पंजीयन क्रमांक 225 दिनांक 31.10.2000

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित

पच्चीसवीं वार्षिक साधारण सभा

23 दिसम्बर 2024

वन धन भवन, सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) फ़ोन : 0771 - 2513100 -110
Email : mfpfed.cg@nic.in | Website : www.cgmfpfed.com

तेन्दूपत्ता व्यापार

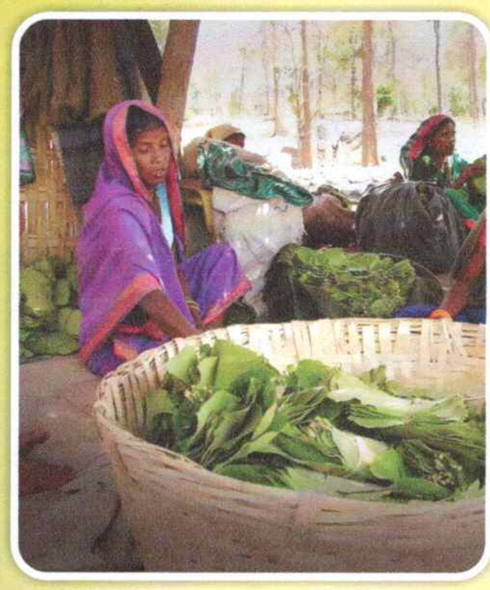

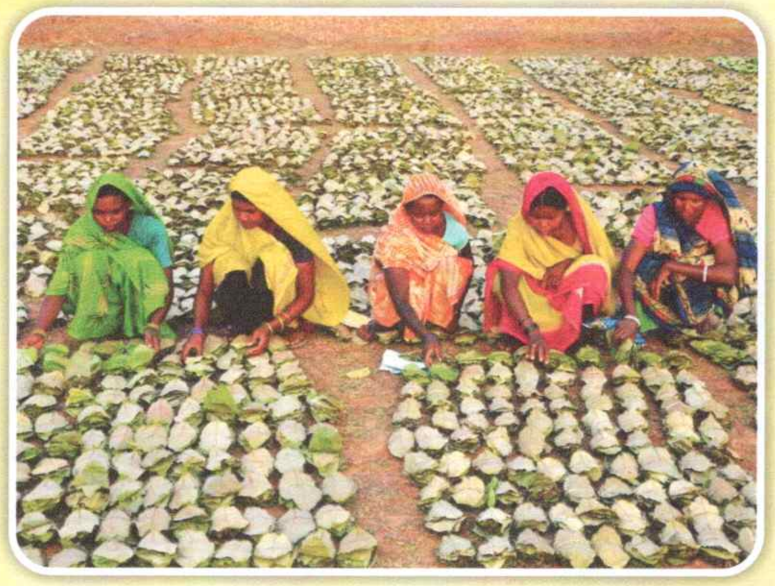

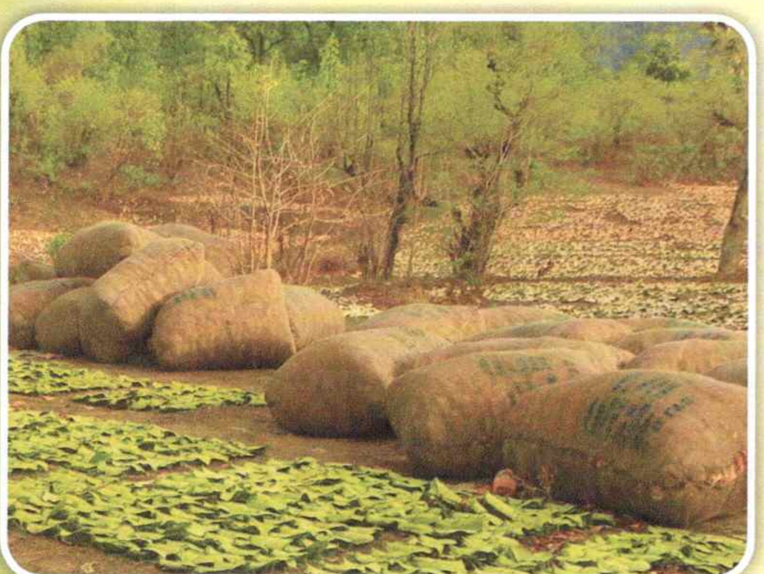

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित

"वन धन भवन", सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

(पंजीयन क्रमांक 225 दिनांक 31.10.2000)

पच्चीसवीं वार्षिक साधारण सभा

दिनांक : 23 दिसम्बर 2024

समय : अपरान्ह 2.00 बजे

स्थान : कान्फ्रेन्स हॉल, तृतीय तल, वन धन भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
"वन धन भवन"
सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
E-mail: mfpfed.cg@nic.in ☎ (0771) 2513100 Website: www.cgmfpfed.org

क्रमांक/MFP08/01/25AGM/2024/15175 **अटल नगर, दिनांक 02/12/2024**

प्रति,

1.	**श्री शिव राम,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बीजापुर, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम बोदली, पोस्ट नेलासनार, तहसील गीदम, जिला दंतेवाड़ा (छ.ग.)
2.	**श्री हुंगाराम बेको,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सुकमा, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम नागारास, पोस्ट गादीरास, तहसील सुकमा, जिला सुकमा (छ.ग.)
3.	**श्री नकुल,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जगदलपुर, **संघ प्रतिनिधि** पता- ग्राम माड़पाल, तहसील जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.)
4.	**श्री सुख लाल,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दक्षिण कोण्डागांव, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम व पोस्ट बयानार, तहसील कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव (छ.ग.)
5.	**श्री रूपसाय सलाम,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, नारायणपुर, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम पोस्ट रेमावंड, तहसील नारायणपुर, जिला नारायणपुर (छ.ग.)
6.	**श्री नितिन पोटाई,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कांकेर, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम सिलतरा, पोस्ट मरकाटोला, तहसील कांकेर जिला उ.ब.कांकेर (छ.ग.)
7.	**श्री गोपीचंद बढ़ाई,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पूर्व भानुप्रतापपुर, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम गोड़पाल, पोस्ट कराकी, तहसील दुर्गूकोंदल, जिला उ.ब.कांकेर (छ.ग.)
8.	**अध्यक्ष,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पश्चिम भानुप्रतापपुर, पता - ग्राम आकमेटा, पोस्ट छोटेबेठिया (बान्दे), जिला उ.ब.कांकेर (छ.ग.)
9.	**श्री विजय लाल,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, खैरागढ़, **संघ प्रतिनिधि** पता ग्राम पाटा, पोस्ट छुईखदान, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
10.	**श्री टुमन सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कवर्धा, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम जामुनपानी, पोस्ट चिल्फी, विकासखण्ड बोडला, जिला कवर्धा (छ.ग.)
11.	**श्रीमती बासन बाई ध्रुव,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धमतरी, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम पोस्ट फरसियां, तहसील नगरी, जिला धमतरी (छ.ग.)
12.	**श्री रविशंकर कश्यप,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, महासमुन्द, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम डोंगरीपाली, पोस्ट छोटेलोरम, तहसील पिथौरा, जिला महासमुन्द (छ.ग.)
13.	**श्री मनी राम,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बलौदा-बाजार, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम बया, पोस्ट बया, तहसील कसडोल, जिला बलौदा-बाजार भाटापारा (छ.ग.)
14.	**श्री देव सिंह रात्रे,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, गरियाबंद, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम डुमरडीह, पोस्ट दुल्ला थाना एवं तहसील छुरा, जिला गरियाबंद (छ.ग.)

15.	**श्री मनोहर सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बिलासपुर, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम पोस्ट छतौना, व्हाया बेलगहना, तहसील कोटा जिला बिलासपुर (छ.ग.)
16.	**कु.समीरा पैकरा,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मरवाही, **संघ प्रतिनिधि,** पता - ग्राम पोस्ट नयापारा (उमरखोई) व्हाया खोडरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
17.	**श्री जागेश्वर सिंह राज,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जांजगीर-चांपा, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम देवरमाल, पोस्ट देवरी, तहसील सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
18.	**श्री सुरेन्द्र कुमार सिदार,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, रायगढ़, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम पोस्ट आमगांव, विकासखण्ड तमनार, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
19.	**श्री हृदय राम राठिया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धरमजयगढ़, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम कुर्रा, पोस्ट राजपुर, तहसील लैलूंगा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
20.	**श्री भुवन सिंह कंवर,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरबा, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम दोन्द्रो, पोस्ट बालको, तहसील बालको, जिला कोरबा (छ.ग.)
21.	**श्री बेद प्रताप सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कटघोरा, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम धजाक, पोस्ट पाली, तहसील पोड़ी उपरोड़ा, जिला कोरबा (छ.ग.)
22.	**श्री हिरू राम निकुंज,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जशपुर नगर, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम नीमगाँव, पोस्ट पैकू, तहसील व जिला जशपुर (छ.ग.)
23.	**श्री प्रदीप कुमार सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरिया, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम व पोस्ट चिरमी, थाना खड़गवा, पोस्ट चिरमी, तहसील पौड़ी, जिला कोरिया
24.	**श्री सुरेन्द्र कुमार,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मनेन्द्रगढ़, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम अमराडंडी (हरई), पोस्ट सिंगरौली, तहसील भरतपुर, जिला कोरिया (छ.ग.)
25.	**श्री देव नारायण,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बलरामपुर, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम व पोस्ट महेवा, जिला बलरामपुर (छ.ग.)
26.	**श्री भवल साय,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सूरजपुर, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम नरोला, पोस्ट गोविन्दपुर, विकासखण्ड प्रतापपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)
27.	**श्री आर.सी. दुग्गा,** भा.व.से., मुख्य वन संरक्षक, **प्राधिकृत अधिकारी** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दन्तेवाड़ा (छ.ग.)
28.	**श्री दिलराज प्रभाकर,** भा.व.से., मुख्य वन संरक्षक, **प्राधिकृत अधिकारी** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, केशकाल (छ.ग.)
29.	**डॉ.के.मैचियो,** भा.व.से., मुख्य वन संरक्षक, **प्राधिकृत अधिकारी** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, राजनांदगांव एवं बालोद (छ.ग.)
30.	**श्री माथेश्वरण वी.,** भा.व.से., मुख्य वन संरक्षक, **प्राधिकृत अधिकारी** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सरगुजा, (छ.ग.)

31.	**कार्यकारी संचालक,** भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, 3 सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016
32.	**संचालक,** आदिम जाति कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, रूम नं. एफ-280, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110016
33.	**प्रमुख सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
34.	**प्रमुख सचिव**, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
35.	**प्रधान मुख्य वन संरक्षक,** वन विभाग, छ.ग., नवा रायपुर, अटल नगर
36.	**प्रबंध संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर, अटल नगर
37.	**सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
38.	**अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)** वन विभाग, छ.ग., नवा रायपुर, अटल नगर
39.	**विशेष सचिव,** छ.ग.शासन, आदिमजाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
40.	**पंजीयक,** सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर

विषयः- **छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की पच्चीसवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 23.12.2024 को आयोजित किये जाने के संबंध में सूचना।**

उपरोक्त विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की पच्चीसवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 23.12.2024 दिन सोमवार समय अपरान्ह 2.00 बजे **"कान्फ्रेन्स हॉल, तृतीय तल, वन धन भवन, सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर"** में आयोजित की गई है। कृपया निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होने का अनुरोध है। **बैठक हेतु विषय सूची एवं संक्षेपिका संलग्न है।**

संलग्नः- विषय सूची।

सही/-
(किरन गुप्ता)
संयुक्त आयुक्त एवं सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

कृ.पृ.उ.

पृ.क्रमांक/MFP08/01/25AGM/2024/15176 **अटल नगर, दिनांक 02/12/2024**

प्रतिलिपिः-

- **कार्यकारी संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्या/वि) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर
- **महा-प्रबंधक (उत्पा/भण्डा),** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्या/वि) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर
- **महा-प्रबंधक (प्रणाली),** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्या/वि) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर
- **प्रबंधक (वित्त),** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्या/वि) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर
- **प्रबंधक (लेखा),** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्या/वि) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर
- **शाखा प्रभारी (समस्त),** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्या/वि) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

की ओर सूचनार्थ संप्रेषित्।

सही/-

संयुक्त आयुक्त एवं सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

विषय सूची

अनु.क्र.	विषय	पृष्ठ क्र.
1	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की चौबीसवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 06.10.2023 के कार्य-वृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन।	01-07
2	वित्तीय वर्ष 2024-25 में किये गये कार्यों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग- 1 एवं वर्ग- 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुंशियों हेतु बीमा योजनायें, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का विवरण।	08-41
3	वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित क्रिया-कलापों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग- 1 एवं वर्ग- 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुंशियों हेतु बीमा योजना, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का अनुमोदन।	42-48
4	वित्तीय वर्ष 2022-23 के पारित अंकेक्षण उपरांत पूंजी पर अर्जित ब्याज (लाभ) का विभाजन।	49
5	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये पुनरीक्षित एवं वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित बजट की स्वीकृति।	50-75
6	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति बाबत्।	76
7	वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन।	77-109
8	वर्ष 2003 सीजन के तेन्दूपत्ता लॉट क्रमांक 471 देवरी के क्रेता मेसर्स लक्ष्मण भाई डायाभाई पटेल, दुर्ग को गोदामीकृत तेन्दूपत्ता का खुला परिदान देने के फलस्वरूप 70.205 मानक बोरा की कमी की राशि रू. 43,375 के अपलेखन बाबत्।	110
9	वर्ष 2007 सीजन के सालबीज संग्रहण की पारिश्रमिक भुगतान हेतु पोषक अधिकारी श्री रतन सिंह उइके द्वारा ली गई अग्रिम राशि रू. 3,23,050/- के अपलेखन बाबत्।	111
10	प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति प्रबंधकों के सेवा के दौरान मृत्यु होने पर प्रबंधक के आश्रित परिवार के एक सदस्य को प्रबंधक पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने बाबत्।	112-116
11	प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति प्रबंधकों के सेवा निवृत्ति/मृत्यु पर एकमुश्त उपादान राशि प्रदान करने बाबत्।	117-120
12	छ.ग. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्या. में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के हड़ताल अवधि का मजदूरी भुगतान के संबंध में।	121-124
13	संघ के सेक्टर-26 में स्थित आवासीय परिसर में रिक्त आवास संघ में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को आबंटन करने विषयक।	125-141

कृपया निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होने का कष्ट करें।

सही/-

संयुक्त आयुक्त एवं सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

उद्‌बोधन

सम्माननीय सदस्यगण (जिला यूनियन प्रतिनिधि एवं शासकीय सदस्य)

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ की पच्चीसवीं वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित सभी सम्मानीय संघ प्रतिनिधियों का मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ।

सहकारिता में त्रिस्तरीय संरचना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) शीर्ष सहकारी संस्था है। जिसका कार्यक्षेत्र समस्त छत्तीसगढ़ राज्य है एवं इसके अंतर्गत 902 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां एवं 31 जिला वनोपज सहकारी संघ कार्यरत है। छत्तीसगढ़ राज्य में 44 प्रतिशत क्षेत्र वनभूमि होने के कारण यहां पर लघु वनोपज का बाहुल्य है। लगभग 13.50 लाख परिवार लघु वनोपज के संग्रहण से आय प्राप्त करते है, जिसमें से अधिकांश गरीब एवं आदिवासी है। राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ इन्ही गरीब व आदिवासी संग्रहणकर्ताओं के आर्थिक व सामाजिक उन्नति के लक्ष्य की पूर्ति में अग्रसर है।

तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2024 में तेन्दू पत्ते की संग्रहण दर रूपये 5500/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई। तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2024 में संग्रहित होने वाले तेन्दू पत्ता के अग्रिम विक्रय हेतु 902 प्राथमिक समितियों के तेन्दू पत्ता के कुल 954 लाट बनाये गये है, उक्त समस्त लाटों की अधिसूचित मात्रा 16.720 लाख मानक बोरा में से 954 लाटों की 16.720 लाख मानक बोरा अग्रिम में विक्रय रु.1035.44 करोड़ में किया गया। इस प्रकार औसत विक्रय दर रु. 6193/- प्रति मानक बोरा है।

तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2024 में जिला यूनियन से प्राप्त जानकारी अनुसार अग्रिम में विक्रित 954 लाटों में से 01 लॉटों में संग्रहण नही हुआ। शेष 953 लॉटों में 15.557 लाख मानक बोरा का संग्रहण हुआ, जिसका विक्रय मूल्य रू. 942.08 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रू. 6056/- प्रति मानक बोरा रहा।

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2023 में तेन्दूपत्ते की संग्रहण दर रूपये 4000/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई थी।

तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्‌देश्य से छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित के समन्वय से राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना दिनांक 01.04.2024 से संचालित की जा रही है। इस योजना की पात्रता से संबंधित संपूर्ण नियम/शर्ते पूर्व में संचालित शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के समान ही है। इस योजना के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया की मृत्यु पर उसके दावेदार को निम्नानुसार राशि प्रदाय किया जाता है:-

क्र.	विवरण	देय राशि (रू.में)	
		आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष तक	आयु 50 वर्ष से 59 वर्ष तक
(i)	सामान्य मृत्यु की स्थिति में	2,00,000	30,000
(ii)	दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में	4,00,000	75,000
(iii)	स्थायी विकलांगता की स्थिति में	2,00,000	75,000
(iv)	आंशिक विकलांगता की स्थिति में	1,00,000	37,500

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक राशि में से 75 प्रतिशत छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा तथा शेष 25 प्रतिशत छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वहन किया जावेगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 30/07/2024 की स्थिति में 1143 हितग्राहियों को राशि रू. 17,05,60,000/- का भुगतान किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित के द्वारा दिनांक 01.04.2020 से सामूहिक सुरक्षा योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के अतिरिक्त पंजीकृत परिवार के अन्य सदस्यों की आकस्मिक/सामान्य मृत्यु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होने पर रूपये 12,000/- मुखिया (दावेदार) को आनलाईन उनके बैंक खातें में भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 30/07/2024 की स्थिति में 453 हितग्राहियों को राशि रू. 54,36,000/- का भुगतान किया गया है।

तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएं जैसे मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार, व्यावसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति, गैर-व्यावसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना, तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू है। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 अंतर्गत मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कार योजना में 2945 छात्र/छात्राओं को राशि रू. 80,88,500/-, प्रतिभाशाली बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजना में 5095 छात्र/छात्राओं को राशि रू. 9,30,35,000/-, व्यावसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति योजना में 151 छात्र/छात्राओं को राशि रू. 11,75,000/- एवं गैर-व्यावसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना में 1188 छात्र/छात्राओं को राशि रू. 55,06,000/- वितरित किया गया है। इस प्रकार कुल 9379 छात्र-छात्राओं को राशि रू. 10,78,04,500/- का भुगतान किया गया है।

सीजन 2021 एवं सीजन 2022 के तेन्दूपत्ता के निर्वर्तन उपरान्त प्राप्त शुद्ध आय (व्यय घटाकर) राशि रूपये क्रमशः 163.05 एवं 279.34 करोड़, प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में तेन्दूपत्ता संग्राहकों को वितरण की अनुमति शासन से प्राप्त हो चुकी है, जिसका वितरण प्रारंभ कर वर्ष 2021 का राशि रू.158.28 एवं वर्ष 2022 का 269.03 का वितरण कर लिया गया है, शेष राशि का शीघ्र वितरण कार्य प्रगति पर है।

माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्यादित के प्रबंधको को तीन स्तरीय वेतन देने की घोषणा के पालन में प्राथमिक वनोपज समितियों के प्रबंधको हेतु लागू प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित प्रबंधक सेवा (नियोजन, निबंधन तथा कार्य स्थिति) नियम में तीन स्तरीय वेतन दिये जाने संबंधी प्रावधान कार्यकारी संचालक सह पंजीयक के आदेश क्रमांक/वनो/संघ/सह/पंजी/94/2023/05 दिनांक 03.10.2023 द्वारा प्रतिस्थापित किये गये है।

माननीय प्रधानमंत्री जी की "सहकार से समृद्धि" की संकल्पना अंतर्गत् सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किये गये विभिन्न पहलों की समीक्षा दिनांक 25.08.2024 को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार द्वारा की गई है। उक्त बैठक में राज्य के उन पंचायत मुख्यालयों जहाँ कोई भी पैक्स, डेयरी अथवा मत्स्य सहकारी समिति नहीं है, नवीन बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समिति का गठन 02 वर्षो के भीतर किये जाने तथा सभी प्राथमिक, केन्द्रीय एवं शीर्ष स्तरीय सहकारी संस्थाओं के सभी प्रकार के खाते व डिपोजिट सहकारी बैंकों में रखे जाने सहित विभिन्न विषयों पर समय-सीमा में कार्यवाही कराये जाने का निर्देश प्रसारित किये गये है।

तत्सबंध में 23 वन धन विकास केन्द्रों को नवीन प्राथमिक वनोपज बहुउद्देशीय समिति के रूप में गठन किया गया है। प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति को बहुउद्देशीय/बहुआयामी सहकारी समिति बनाने हेतु उपनियम में प्रस्तावित संशोधन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु पत्र प्रेषित किये गये है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा राष्ट्रीय सहकारी जैविक समिति NCOL से सदस्यता प्राप्त कर ली गई है। जैविक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा विपणन की व्यवस्था करने हेतु NCOL के साथ MOU किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कुल 11 जिला यूनियन द्वारा संबंधित संस्था सी.जी.शर्ट को कुल 22 लघु वनोपज के लिए जैविक प्रमाणीकरण के लिए आवेदन पर जिला यूनियन द्वारा 16 वनोपज का आर्गेनिक सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा चुका है। शेष 06 वनोपजों (मालकांगनी, जामुन फल, काजू गुठली, बेल फल, करंज बीज, कालमेघ) का प्रमाणीकरण प्रक्रियाधीन है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, 31 जिला लघु वनोपज सहकारी संघ एवं 902 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों का खाता राज्य सहकारी बैंक/जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में खोला जा चुका है।

पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा केवल 07 लघु वनोपज का ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही क्रय किया जाता था जिसे बढ़ाकर 38 वनोपज किया गया। साथ ही संघ द्वारा निर्धारित दर पर 29 वनोपज की खरीदी की जा रही है। इस प्रकार महिला स्व सहायता समूहों द्वारा 67 वनोपज की खरीदी की जा रही है। इससे एक ओर जहां संग्राहकों को उनके वनोपज को उचित मूल्य प्राप्त हो रहा है, वही दूसरी ओर समूहों को रोजगार प्राप्त हो रहा है।

संघ द्वारा संग्रहित वनोपज को प्राथमिक प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिये राज्य में 154 वन-धन विकास केंद्रों की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से 165 प्रकार के हर्बल उत्पाद तैयार कर ''छत्तीसगढ़ हर्बल्स'' नाम पर संजीवनी केंद्रों द्वारा विक्रय किये जा रहे हैं। लघु वनोपज के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने तथा संग्राहकों की आय में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना का कार्य ग्राम जामगाँव (एम.), विकासखण्ड पाटन, जिला दुर्ग में किया जा रहा है, जिसमें छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा आयुर्वेदिक इकाई की स्थापना का कार्य किया जा रहा है।

जिला गरियाबंद के देवभोग में PMFME के अंतर्गत इन्क्यूबेशन सेंटर एवं ग्रामीण फूड पार्क की स्थापना की कार्यवाही प्रगति पर है जिसमें विभिन्न प्रकार के वनोपज एवं कृषि उपज आधारित प्रसंस्करण उद्योग जैसे- लाख, दाल, मसाला, चिरौंजी, खाद्य तेल (फल्ली तेल) एवं तैलीय बीज प्रसंस्करण इकाई स्थापित कर महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से संचालित किये जायेंगे।

छ.ग. शासन द्वारा देश में पहली बार लाख पालन की खेती को बढ़ावा दिये जाने हेतु ''लाख उत्पादक कृषकों/कृषक समूहों को लाख उत्पादन हेतु अल्पकालीन ऋण वितरण कराने हेतु योजना वर्ष 2021'' लागू किया गया है।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य शासन के विभिन्न विभागों की योजनाओं के अंतर्गत् संचालित स्व सहायता समूहों, शिल्पियों, बुनकरों, दस्तकरों, कुम्भकारों अथवा अन्य पारम्परिक एवं कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों का समुचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु, इसकी व्यवसायिक ढ़ंग से मार्केटिंग किये जाने तथा उत्पादक समूहों को अधिकतम लाभ प्रदाय किये जाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा सी-मार्ट योजना आरम्भ की गई है। राज्य स्तरीय सी-मार्ट में अंतर्गत् कलेक्टर सेक्टर एवं अन्य विभाग के कुल 85 से अधिक स्व-सहायता समूह लाभान्वित हैं।

छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पादों की उपलब्धता देश की राजधानी नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय भण्डार के 100 से भी अधिक आउटलेट्स में सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, केन्द्रीय भण्डार एवं भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), रायपुर के मध्य दिनांक 04.08.2023 को त्रिपक्षीय अनुबंध निष्पादित किया गया है। वर्तमान में केन्द्रीय भण्डार से 'छत्तीसगढ़ हर्बल्स' ब्रांड के उत्पादों हेतु प्रथम ऑर्डर भी प्राप्त हो चुका है।

अन्त में मैं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की ओर से पुनः उपस्थित सभी सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपके प्रयासों से छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, जिलो में कार्यरत जिला यूनियन सहकारी संघ तथा 902 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से प्रदेश के लघु वनोपज संग्राहकों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने में सफल हो सका है। आशा है भविष्य में भी आप इसी प्रकार लघु वनोपज संग्राहकों जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं, की सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की दिशा में कार्य करते रहेंगें।

धन्यवाद!

प्रस्ताव क्रमांक - 1

विषय :- **छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की चौबीसवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 06.10.2023 के कार्य-वृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन।**

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की चौबीसवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 06.10.2023 दिन शुक्रवार को अपरान्ह 3.00 बजे कान्फ्रेन्स हॉल, तृतीय तल, वन धन भवन, सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर में आयोजित की गयी।

बैठक के प्रांरभ में प्रबंध संचालक संघ द्वारा निर्वाचित संघ प्रतिनिधियों (सदस्यों), शासन द्वारा नामांकित सदस्यों एवं उपस्थिति सभी अधिकारी/कर्मचारियों का स्वागत/अभिनंदन किया गया। संघ के संचालक मण्डल के कार्यकाल अवसान होने के कारण, संघ की उपविधि की कण्डिका 14(3) के प्रावधान अनुसार कार्यकारी संचालक-सह-पंजीयक द्वारा श्री व्ही.श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को साधारण सभा की अध्यक्षता हेतु अधिकृत किया जाकर अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु आमंत्रित किया गया। अध्यक्षीय उद्बोधन के उपरान्त प्रबंध संचालक संघ की अनुमति से सचिव संघ द्वारा वार्षिक साधारण सभा की बैठक में विषयवस्तु का प्रस्तुतिकरण किया गया।

आम सभा में निम्नानुसार संघ प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे:-

1.	**श्री नकुल,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जगदलपुर, **संघ प्रतिनिधि** पता- ग्राम माड़पाल, तहसील जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.)
2.	**श्री सुख लाल,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दक्षिण कोण्डागांव, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम व पोस्ट बयानार, तहसील कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव (छ.ग.)
3.	**श्री रूपसाय सलाम,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, नारायणपुर, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम पोस्ट रेमावंड, तहसील नारायणपुर, जिला नारायणपुर (छ.ग.)
4.	**श्री गोपीचंद बढ़ाई,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पूर्व भानुप्रतापपुर, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम गोड़पाल, पोस्ट कराकी, तहसील दुर्गूकोंदल, जिला उ.ब.कांकेर (छ.ग.)
5.	**श्री असीम राय,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पश्चिम भानुप्रतापपुर, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम पी.व्ही.36, पोस्ट हरनगढ़, तहसील पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
6.	**श्री विजय लाल,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, खैरागढ़, **संघ प्रतिनिधि** पता ग्राम पाटा, पोस्ट छुईखदान, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
7.	**श्री टुमन सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कवर्धा, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम जामुनपानी, पोस्ट चिल्फी, विकासखण्ड बोडला, जिला कवर्धा (छ.ग.)
8.	**श्रीमती बासन बाई ध्रुव,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धमतरी, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम पोस्ट फरसियां, तहसील नगरी, जिला धमतरी (छ.ग.)

9.	**श्री मनी राम,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बलौदा-बाजार, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम बया, पोस्ट बया, तहसील कसडोल, जिला बलौदा-बाजार भाटापारा (छ.ग.)
10.	**श्री देव सिंह रात्रे,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, गरियाबंद, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम डुमरडीह, पोस्ट दुल्ला थाना एवं तहसील छुरा, जिला गरियाबंद (छ.ग.)
11.	**कु.समीरा पैकरा,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मरवाही, **संघ प्रतिनिधि,** पता - ग्राम पोस्ट नयापारा (उमरखोई) व्हाया खोडरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
12.	**श्री जागेश्वर सिंह राज,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जांजगीर-चांपा, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम देवरमाल, पोस्ट देवरी, तहसील सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
13.	**श्री सुरेन्द्र कुमार सिदार,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, रायगढ़, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम पोस्ट आमगांव, विकासखण्ड तमनार, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
14.	**श्री हृदय राम राठिया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धरमजयगढ़, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम कुर्रा, पोस्ट राजपुर, तहसील लैलूंगा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
15.	**श्री भुवन सिंह कंवर,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरबा, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम दोन्द्रो, पोस्ट बालको, तहसील बालको, जिला कोरबा (छ.ग.)
16.	**श्री बेद प्रताप सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कटघोरा, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम धजाक, पोस्ट पाली, तहसील पोड़ी उपरोड़ा, जिला कोरबा (छ.ग.)
17.	**श्री हिरू राम निकुंज,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जशपुर नगर, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम नीमगाँव, पोस्ट पैकू, तहसील व जिला जशपुर (छ.ग.)
18.	**श्री प्रदीप कुमार सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरिया, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम व पोस्ट चिरमी, थाना खड़गवा, पोस्ट चिरमी, तहसील पौड़ी, जिला कोरिया
19.	**श्री देव नारायण,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बलरामपुर, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम व पोस्ट महेवा, जिला बलरामपुर (छ.ग.)
20.	**श्री भवल साय,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सूरजपुर, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम नरोला, पोस्ट गोविन्दपुर, विकासखण्ड प्रतापपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)
21.	**श्री आर.के.पाण्डेय,** भा.व.से., मुख्य वन संरक्षक, **प्राधिकृत अधिकारी** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दन्तेवाड़ा (छ.ग.)
22.	**श्री राजू अगासिमनी,** भा.व.से., मुख्य वन संरक्षक, **प्राधिकृत अधिकारी** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, केशकाल (छ.ग.)
23.	**श्री दिलराज प्रभाकर,** भा.व.से., मुख्य वन संरक्षक, **प्राधिकृत अधिकारी** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, राजनांदगांव एवं बालोद (छ.ग.)
24.	**श्री नावेद शुजाउद्दीन,** भा.व.से., मुख्य वन संरक्षक, **प्राधिकृत अधिकारी** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सरगुजा, (छ.ग.)
25.	**श्री मयंक पाण्डेय,** उप सचिव, प्रतिनिधि **प्रमुख सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
26.	**श्री इन्द्र प्रकाश रात्रे,** अवर सचिव प्रतिनिधि **प्रमुख सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

27.	**प्रधान मुख्य वन संरक्षक,** वन विभाग, छ.ग., नवा रायपुर, अटल नगर
28.	**प्रबंध संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर, अटल नगर
29.	**श्री पी.एस.सर्पराज,** उप सचिव प्रतिनिधि **सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
30.	**श्रीमती प्रियंका पाण्डेय,** वन संरक्षक, प्रतिनिधि **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)** वन विभाग, छ.ग., नवा रायपुर, अटल नगर
31.	**श्री पी.एस.सर्पराज,** उप सचिव प्रतिनिधि **पंजीयक,** सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर

चौबीसवीं वार्षिक साधारण सभा की बैठक में श्री बी.आनंद बाबू, अपर प्रबंध संचालक (विकास), श्री अमरनाथ प्रसाद, कार्यकारी संचालक, श्री मोहम्मद शाहिद, मुख्य परिचालन अधिकारी (संविदा) वास्ते महा-प्रबंधक (उत्पादन/भण्डारण) एवं सुश्री किरन गुप्ता सचिव, श्री जी.आर.देवांगन, प्रबंधक (वित्त), श्री एस.के.दत्ता, महा-प्रबंधक (प्रणाली), श्री शशांक साहू, प्रबंधक (लेखा) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ, मर्यादित रायपुर भी उपस्थित रहे।

आम सभा में निम्नानुसार पदाधिकारी अनुपस्थित रहेः-

1	**श्री शिव राम,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बीजापुर, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम बोदली, पोस्ट नेलासनार, तहसील गीदम, जिला दंतेवाड़ा (छ.ग.)
2	**श्री हुंगाराम बेको,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सुकमा, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम नागारास, पोस्ट गादीरास, तहसील सुकमा, जिला सुकमा (छ.ग.)
3	**श्री नितिन पोटाई,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कांकेर, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम सिलतरा, पोस्ट मरकाटोला, तहसील कांकेर जिला उ.ब.कांकेर (छ.ग.)
4	**श्री रविशंकर कश्यप,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, महासमुन्द, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम डोंगरीपाली, पोस्ट छोटेलोरम, तहसील पिथौरा, जिला महासमुन्द (छ.ग.)
5	**श्री मनोहर सिंह,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बिलासपुर, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम पोस्ट छतौना, व्हाया बेलगहना, तहसील कोटा जिला बिलासपुर (छ.ग.)
6	**श्री सुरेन्द्र कुमार,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मनेन्द्रगढ़, **संघ प्रतिनिधि** पता - ग्राम अमराडंडी (हरई), पोस्ट सिंगरौली, तहसील भरतपुर, जिला कोरिया (छ.ग.)
7	**कार्यकारी संचालक,** भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित, एन.सी.यू.आई.बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, 3 सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016
8	**संचालक,** आदिम जाति कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, रूम नं. एफ-280, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110016
9	**विशेष सचिव,** छ.ग.शासन, आदिमजाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

सभा में विषयवार विचार-विमर्श करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः-

विषय क्रमांक	विषय	संकल्प	निर्णय
1	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की तेईसवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 23.12.2022 के कार्य-वृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन।	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की तेईसवी वार्षिक साधारण सभा दिनांक 23.12.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
2	वित्तीय वर्ष 2023-24 में किये गये कार्यो - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग- 1 एवं वर्ग- 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुंशियों हेतु बीमा योजनायें, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का विवरण।	वार्षिक साधारण सभा में सचिव संघ के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में संघ द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं यथा - तेंदूपत्ता बोनस वितरण, शहीद महेंद्रकर्मा तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, वन धन योजना, छात्रवृत्ति योजना, लाख विकास आदि के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति से संबंधित विस्तृत विवरण आमसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
3	वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रस्तावित क्रिया-कलापों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग- 1 एवं वर्ग- 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुंशियों हेतु बीमा योजना, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का अनुमोदन।	वार्षिक साधारण सभा में सचिव संघ के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रस्तावित क्रिया-कलापों - तेंदूपत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य, गोंद वर्ग -1 एवं वर्ग-2 का व्यापार, तेंदूपत्ता संग्राहकों एवं फड़मुंशियों हेतु बीमा योजना, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि तथा संघ द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की कार्य योजना तथा निर्धारित लक्ष्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसका अनुमोदन आमसभा द्वारा किया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं हैं। अद्यतन जानकारी का विस्तृत विवरण पुस्तिका में अंकित है।

4	वित्तीय वर्ष 2021-22 के पारित अंकेक्षण उपरांत पूंजी पर अर्जित ब्याज (लाभ) का विभाजन।	वित्तीय वर्ष 2021-22 के पारित अंकेक्षण उपरांत पूंजी के विनियोजन से अर्जित शुद्ध लाभ राशि रूपये 4,13,28,927.00 का विभिन्न मदों में विभाजन का प्रस्ताव संचालक मण्डल की 95वीं बैठक में अनुमोदन उपरान्त वार्षिक साधारण सभा द्वारा अनुमोदन किया गया।	अनुमोदन उपरान्त संघ के लेखा पुस्तिका में मदवार प्रविष्टि की गयी।
5	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये पुनरीक्षित एवं वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित बजट की स्वीकृति।	वार्षिक साधारण सभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये पुनरीक्षित एवं वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित बजट की स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव का वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
6	वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति बाबत्।	प्रस्ताव अनुसार संघ के वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंकेक्षण हेतु मेसर्स समीर सिंह एण्ड एसोसिएट (सी.ए.) रायपुर को, दर राशि रू. 70,000.00 (वस्तु एवं सेवाकर अतिरिक्त) पर नियुक्त किये जाने संबंधी प्रस्ताव संघ की 94वीं संचालक मण्डल में अनुमोदन उपरांत वार्षिक साधारण सभा में सर्व-सम्मति से अनुमोदन किया गया।	कार्यालयीन आदेश क्रमांक 488 दिनांक 07.12.2023 से मेसर्स समीर सिंह एण्ड एसोसिएट (सी.ए.) रायपुर को, दर राशि रू. 70,000.00 (वस्तु एवं सेवाकर अतिरिक्त) पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये अंकेक्षण नियुक्त किया गया है।
7	वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन।	वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों का वार्षिक साधारण सभा में सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
8	प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति में लागू प्रबंधक सेवा (नियोजन, निबंधन तथा कार्य स्थिति) नियम के उपनियम-8 एवं 11 में संशोधन।	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा एवं छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग से प्राप्त अभिमत अनुसार प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधकों का उच्चतर वेतन देने एवं इसकी प्रक्रिया के निर्धारण हेतु कार्यकारी संचालक - सह - पंजीयक के आदेश क्रमांक/वनो/संघ/सह/पंजी/94/2023/01 दिनांक 27.09.2023 द्वारा ''प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित में लागू प्रबंधक सेवा	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।

		(नियोजन, निबंधन तथा कार्यस्थिति) नियम के उपनियम-8 एवं 11 में" प्रतिस्थापित प्रावधान का साधारण सभा द्वारा अवलोकन किया गया।	
9	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित अंतर्गत् संचालित परियोजना एवं परियोजना अंतर्गत् स्वीकृत पदों की अवधि में पाँच वर्ष की वृद्धि किये जाने बाबत्।	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, अंतर्गत संचालित परियोजना एवं परियोजना अंतर्गत स्वीकृत पदों की अवधि में पांच वर्ष की वृद्धि किये जाने संबंधी प्रस्ताव का 94 वीं संचालक मण्डल की बैठक में अनुमोदन उपरांत 24वीं वार्षिक साधारण सभा द्वारा अनुमोदन किया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
10	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित अंतर्गत् पदस्थ संविदा कर्मचारियों को शासन के वित्त निर्देश 22/2023 दिनांक 02.08.2023 के अनुसार वेतन दिये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, अंतर्गत पदस्थ संविदा कर्मचारियों को शासन के वित्त निर्देश 22/2023 दिनांक 02/08/2023 के अनुसार वेतन दिये जाने की स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव का 94वीं संचालक मण्डल की बैठक में अनुमोदन उपरांत 24वीं वार्षिक साधारण सभा द्वारा अनुमोदन किया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
11	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के कर्मचारियों को बोनस प्रदान करने बाबत्।	बोनस एक्ट के प्रावधान के अनुसार बोनस हेतु पात्र एवं राशि रू.21,000/- तक मासिक वेतन पाने वाले नियमित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वेतन का 8.33 प्रतिशत (अधिकतम राशि रू.7,000/- तक) बोनस तथा जिन सेवायुक्तो को बोनस एक्ट के प्रावधानों अंतर्गत् बोनस देना अनिवार्य नहीं है, उन सेवा युक्तों को बोनस के एवज में एक्सग्रेसिया के रूप में अधिकतम राशि रू.7,000/- वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रक/ लेखा के आधार पर संगणित, सीड केपिटल से संघ को प्राप्त होने वाले अर्जित ब्याज (लाभ) की राशि में से दिये जाने	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।

		के संबंध में कार्यकारी संचालक-सह-पंजीयक के आदेश क्रमांक/वनो/संघ/2023/04 दिनांक 27.09.2023 द्वारा दी गई स्वीकृति का 24वीं वार्षिक साधारण सभा द्वारा अवलोकन किया गया।	

उपस्थित सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सुझाव/मांग का विवरण

क्रमांक	सुझाव/मांग	चर्चा उपरान्त लिये गये निर्णय
1	श्री हृदयराम राठिया, संघ प्रतिनिधि, जि.यू धरमजयगढ़ व अन्य संघ प्रतिनिधि द्वारा प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति में लागू प्रबंधक सेवा (नियोजन, निबंधन तथा कार्य स्थिति) नियम में संशोधन करने तथा प्रबंधकों की नियुक्ति संबंधी अधिकार समिति को दिये जाने की मांग की गई।	इस संबंध में चर्चा उपरान्त संघ प्रतिनिधि एवं प्रबंधक को सम्मिलित कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।
2	संघ प्रतिनधियों द्वारा जिला यूनियन कार्यालयों में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बैठने की व्यवस्था किये जाने के संबंध में मांग की गयी ।	उक्त संबंध में प्रबंध संचालक संघ द्वारा संबंधित मुख्य वन संरक्षक/प्रबंध संचालक के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित किये जाने हेतु कहा गया।
3	संघ प्रतिनधि जि.यू गरियाबंद द्वारा समिति कार्यालय में बिजली बिल का भुगतान वर्षो से लंबित होना, तेंदूपत्ता गोदामों की मरम्मत, शौचालय निर्माण कराये जाना, अभिलेखों को सुरक्षित रखने हेतु अलमारी की व्यवस्था एवं जिला यूनियन गरियाबंद के कुछ समितियों वर्ष 2022 का बोनस भुगतान नहीं किया गया है, समस्या बतायी गयी।	प्रबंध संचालक संघ द्वारा उक्त मांग के संबंध में जिला यूनियन से प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु कहा गया एवं वर्ष 2022 का लंबित बोनस भुगतान शीघ्र किये जाने का आश्वासन दिया गया।
4	आमसभा में उपस्थित समस्त संघ प्रतिनिधियों द्वारा फड़मुंशियों को दी जा रही वार्षिक न्यूनतम मानदेय रू. 7,200/- से बढ़ाकर रू. 12,000/- किये जाने की मांग रखी गयी है।	प्रबंध संचालक संघ द्वारा बताया गया कि फड़मुंशी का कार्य अंशकालिक है, वर्तमान में संघ द्वारा सीजन हेतु न्यूनतम मानदेय रू. 7,200/- वार्षिक निर्धारित किया गया है। प्रस्तुत मांग पर परीक्षण उपरांत न्यूनतम मानदेय रू. 7,200/- वार्षिक में वृद्धि किये जाने के संबंध में कार्यवाही की जा सकेगी।

विषय क्रमांक - 2

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में किये गये कार्यो - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग- 1 एवं वर्ग- 2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुशियों हेतु बीमा योजनायें, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का विवरण।

(i) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की पद संरचना

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के नियमित पद संरचना की स्वीकृति राज्य शासन द्वारा दी गई है। दिनांक **27.11.2024** की स्थिति में संघ मुख्यालय, मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महा प्रबंधक कार्यालय तथा जिला वनोपज यूनियन में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण संलग्न **परिशिष्ट-क** पर दर्शित है।

(ii) तेंदूपत्ता संग्राहकों हेतु बीमा योजनायें:-

1. बीमा योजनाएं:-

- **राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना** :- तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित के समन्वय से यह योजना दिनांक 01.04.2024 से संचालित की गई है। इस योजना की पात्रता से संबंधित संपूर्ण नियम/शर्ते पूर्व में संचालित शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के समान ही है। इस योजना के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया की मृत्यु पर उसके दावेदार को निम्नानुसार राशि प्रदाय किया जाता है:-

क्र.	विवरण	देय राशि (रू.में)	
		आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष तक	आयु 50 वर्ष से 59 वर्ष तक
1	2	3	4
(i)	सामान्य मृत्यु की स्थिति में	2,00,000.00	30,000.00
(ii)	दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में	4,00,000.00	75,000.00
(iii)	स्थायी विकलांगता की स्थिति में	2,00,000.00	75,000.00
(iv)	आंशिक विकलांगता की स्थिति में	1,00,000.00	37,500.00

- इस योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक राशि में से 75 प्रतिशत छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा तथा शेष 25 प्रतिशत छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वहन किया जावेगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1143 हितग्राहियों को राशि रू. 17,05,60,000/- का भुगतान किया गया है।

- **सामूहिक सुरक्षा योजना (संघ संचालित)** - छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित के द्वारा दिनांक 01.04.2020 से सामूहिक सुरक्षा योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के अतिरिक्त पंजीकृत परिवार के अन्य सदस्यों की आकस्मिक/सामान्य मृत्यु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होने पर रूपये 12,000/- मुखिया (दावेदार) को आनलाईन उनके बैंक खातें में भुगतान किया जाता है। इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में 453 हितग्राहियों को राशि रू. 54,36,000/- का भुगतान किया गया है।

- **प्रबंधकों समूह बीमा**:- प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत बीमा कराया जाता है, जिसमें प्रबंधक की मृत्यु होने पर उनके दावेदार को राशि रू. 1,00,000/- का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2024-25 में बीमित प्रबंधकों की संख्या 758 है।

- **फड़मुंशियों का समूह बीमा**:- प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के तेंदूपत्ता फड़मुंशियों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत बीमा कराया जाता है, जिसमें फॅड़मुंशी की मृत्यु होने पर उनके दावेदार को राशि रू. 1,00,000/- का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2024-25 में बीमित फॅड़मुंशीयों की संख्या 10196 है।

2. छात्रवृत्ति योजनाएं:-

- **संघ द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं**:- तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएं जैसै मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार, व्यावसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति, गैर-व्यावसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना, तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू है, विवरण निम्नानुसार है:-

- **मेधावी छात्र/छात्राओं हेतु**:- मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कार के तहत् प्रत्येक प्राथमिक वनोपज समिति क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष कक्षा 10वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को रूपये 2500/- तथा कक्षा 12वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को रूपये 3000/- पुरस्कार राशि दी जाती है। यह पुरस्कार समिति क्षेत्र के अंतर्गत एक छात्र तथा एक छात्रा को प्रदान की जाती है। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में 2945 छात्र/छात्राओं को राशि रू. 80,88,500/- वितरित किया गया है।

- **प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं हेतु**:- तेंदूपत्ता संग्राहकों के प्रतिभाशाली बच्चों जिन्होंने 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये है, उनको कक्षा 10वी में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को रूपये 15,000/- तथा कक्षा 12वी में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को रू. 25,000/- शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिया जाता है। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में 5095 छात्र/छात्राओं को राशि रू. 9,30,35,000/- वितरित किया गया है।

- **<u>व्यावसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति योजनाः-</u>** इस योजना अंतर्गत प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति स्तर पर प्रत्येक वर्ष एक विद्यार्थी का चयन किया जायेगा जिसने कि किसी भी राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी व्यावसायिक स्नातक कोर्स जैसे इंजीनियर, मेडिकल, विधि, एम.बी.ए. आदि स्नातक कोर्स में प्रवेश लिया हो तथा जिस कोर्स में प्रवेश की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वी हो। विद्यार्थी को प्रथम वर्ष में राशि रू.10,000/- एवं द्वितीय तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षो में राशि रू.5,000/- प्रतिवर्ष अधिकतम कुल चार वर्षो में राशि प्रदाय की जाती है। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में 151 छात्र/छात्राओं को राशि रू.11,75,000/- वितरित किया गया है।

- **<u>गैर-व्यावसायिक स्नातक शिक्षा हेतु अनुदान योजना</u>**:- इस योजना अंतर्गत प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष एक छात्र व एक छात्रा जिसने किसी भी राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी गैर व्यवसायिक स्नातक कोर्स जैसे बी.ए./बी.कॉम/बी.एस.सी. आदि स्नातक कोर्स में प्रवेश लिया हो को कोर्स के प्रथम वर्ष में राशि रू. 5,000/-, द्वितीय वर्ष में रू. 4,000/- एवं तृतीय वर्ष में रू. 3,000/- अर्थात तीन वर्षो में कुल रू. 12,000/- की अनुदान राशि प्रदाय की जाती है। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में 1188 छात्र/छात्राओं को राशि रू. 55,06,000/- वितरित किया गया है।

(iii) तेन्दू पत्ते का व्यापारः-

तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2023 में तेन्दू पत्ते की संग्रहण दर रूपये 4000/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई।

संग्रहण वर्ष 2023 के तेन्दूपत्ते के निर्वतन में विक्रित लॉटों का जिला यूनियनवार विवरण **परिशिष्ट - ख** में संलग्न है।

विभागीय संग्रहित लॉट क्रमांक 45ब का रूपये 796 प्रति मानक बोरा में विक्रय किया गया था। निविदा प्रावधानों के अंतर्गत्‌ क्रेता द्वारा उक्त लॉट को छोड़ दिया गया। लॉट क्रमांक 45ब पुनः विक्रय के लिए प्रस्तावित किया गया है।

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2024 में तेन्दूपत्ता की संग्रहण दर रूपये 5500/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है।

तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2024 में तेन्दू पत्ते की संग्रहण दर रूपये 5500/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई। तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2024 में संग्रहित होने वाले तेन्दू पत्ता के अग्रिम विक्रय हेतु 901 प्राथमिक समितियों के तेन्दू पत्ता के कुल 954 लॉट बनाये गये है, उक्त समस्त लाटों की अधिसूचित मात्रा 16.720 लाख मानक बोरा में से 954 लॉटो की 16.720 लाख मानक बोरा अग्रिम में विक्रय रूपये 1035.44 करोड़ में किया गया। इस प्रकार औसत विक्रय दर रु. 6193/- प्रति मानक बोरा है।

तेन्दूपता संग्रहण वर्ष 2023 में जिला यूनियन से प्राप्त जानकारी अनुसार अग्रिम में विक्रित 954 लॉटो में से 01 लाट जिलायूनियन पश्चिम भानुप्रतापपुर लॉट क्रमांक 165 सितरम में संग्रहण नहीं हुआ। शेष 953 लॉटों में 15.557 लाख मानक बोरा का संग्रहण हुआ, जिसका विक्रय मूल्य रूपये 942.08 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रूपये 6056 प्रति मानक बोरा रहा।

संग्रहण वर्ष 2024 के तेन्दूपत्ते के निर्वर्तन में विक्रित लॉटो का जिला यूनियनवार विवरण **परिशिष्ट-ग** में संलग्न है।

(iv) तेन्दू पत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण -

तेंदूपत्ता संग्रहण वर्ष 2021 एवं सीजन 2022 के तेन्दूपत्ता के निर्वर्तन उपरान्त प्राप्त शुद्ध आय (व्यय घटाकर) की राशि रूपये क्रमशः 163.05 एवं 279.34 करोड़ प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में तेन्दूपत्ता संग्राहकों को वितरण किया जा रहा है। जिला यूनियनवार प्रोत्साहन पारिश्रमिक के वितरण योग्य, वितरित एवं वितरण से शेष का वितरण **परिशिष्ट-घ एवं** ङ में संलग्न है।

(v) प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधकों के पारिश्रमिक में वृद्धि-

माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्यादित के प्रबंधकों को तीन स्तरीय वेतन देने की घोषणा के पालन में प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों हेतु लागू प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित प्रबंधक सेवा (नियोजन, निबंधन तथा कार्य स्थिति) नियम में तीन स्तरीय वेतन दिये जाने संबंधी प्रावधान कार्यकारी संचालक सह पंजीयक के आदेश क्रमांक/वनो/संघ/सह/पंजी/94/2023/05 दिनांक 03.10.2023 द्वारा प्रतिस्थापित किये गये है।

(vi) सहकार से समृद्धि :-

माननीय प्रधानमंत्री जी की "सहकार से समृद्धि" की संकल्पना अंतर्गत् सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किये गये विभिन्न पहलों की समीक्षा दिनांक 25.08.2024 को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार द्वारा की गई है। उक्त बैठक में राज्य के उन पंचायत मुख्यालयों जहाँ कोई भी पैक्स, डेयरी अथवा मत्स्य सहकारी समिति नहीं है, नवीन बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समिति का गठन 02 वर्षो के भीतर किये जाने तथा सभी प्राथमिक, केन्द्रीय एवं शीर्ष स्तरीय सहकारी संस्थाओं के सभी प्रकार के खाते व डिपोजिट सहकारी बैंकों में रखे जाने सहित विभिन्न विषयों पर समय-सीमा में कार्यवाही कराये जाने का निर्देश प्रसारित किये गये है।

तत्सबंध में भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय, सीटीपी विभाग के पत्र दिनांक 02.09.2024 के पालन में प्रधानमंत्री वनधन योजना अंतर्गत् 154 वन धन केन्द्रो को सहकारी समिति के रूप में गठित कर वैधानिक स्वरूप प्रदान करने की कार्यवाही जिला यूनियन स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

लगभग 800 प्राथमिक लघु वनोपजों सहकारी समितियों को, बहुउद्देशीय/ बहुआयामी समिति में परिवर्तित करने हेतु समिति के उप-नियम में संशोधन का प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग को प्रेषित किया गया था। जिस पर छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक/4973/185/टी.एल./2024/10-2 दिनांक 11.12.2024 से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। जिला स्तर पर प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियें को बहुउद्देशीय/ बहुआयामी समिति बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित द्वारा राष्ट्रीय सहकारी जैविक समिति NCOL से 1000 अंश (Share) क्रय किया जाकर दिनांक 07.08.2024 को वैधानिक रूप से NCOL की सदस्यता ग्रहण प्राप्त कर ली गयी है। आर्गेनिक लघु वनोपज उत्पादों का NCOL के माध्यम से विपणन हेतु NCOL के साथ MOU निष्पादित किया जा चुका है।

कुल 11 जिला यूनियन द्वारा संबंधित संस्था सी.जी.शर्ट को कुल 22 लघु वनोपज के लिए जैविक प्रमाणीकरण के लिए आवेदन उल्लेखित है। उक्त समस्त वनोपजों का आर्गेनिक सर्टिफिकेशन संबंधित वनोपज के संग्रहण अवधि के दौरान किया जायेगा। जिला यूनियन द्वारा 16 वनोपज का आर्गेनिक सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा चुका है। शेष 06 वनोपजों (मालकांगनी, जामुन फल, काजू गुठली, बेल फल, करंज बीज, कालमेघ) का प्रमाणीकरण प्रक्रियाधीन है।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, 31 जिला लघु वनोपज सहकारी संघ एवं 902 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियें का खाता राज्य सहकारी बैंक/जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में खोला जा चुका है।

(vii) संघ मुख्यालय एवं जिला यूनियनों के लेखाओं का कम्प्यूटरीकरण

संघ मुख्यालय एवं जिला यूनियन स्तर पर लेखा संधारण का कार्य ''टैली साफ्टवेयर'' के माध्यम से किया जा रहा है। लेखाओं के कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था से लेखा तैयार करने में समय की बचत तो हुई है साथ ही लेखाओं के गुणात्मक विश्लेषण में भी सुधार हुआ है। संघ द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 का लेखांकन कार्य ''टैली सॉफ्टवेयर'' के माध्यम से पूर्ण किया गया है। इस प्रकार वनोपज संघ लेखा तैयार करने की दृष्टि से अद्यतन हैं। प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों की कार्यक्षमता बढ़ाने एवं प्रभावी नियंत्रण की दृष्टि से चरणबद्ध तरीके से उनका कम्प्यूटाराइजेशन शीघ्र शुरु किया जा रहा है।

(viii) संघ विभाजन संबंधी विवाद

राज्य पुर्नगठन के फलस्वरूप 31.10.2000 की स्थिति में पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ का विभाजन कर पश्चात्वर्ती मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित भोपाल एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित रायपुर का गठन हुआ हैं। उक्त विभाजन में अस्तियों एवं दायित्वों का न्यायोचित विभाजन नहीं किये जाने के कारण तथा आपसी सहमति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रयासों को संघ भोपाल द्वारा क्रियान्वयन नहीं करने के फलस्वरूप संचालक मण्डल के द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार रूपये 93.27 करोड़ की विवादित राशि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विविध याचिका क्रमांक 4958/2008 दायर की गई थी। जो माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा दिनांक 10.09.2024 को उक्त प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किया गया :-

> 6. In that view of the matter, respondent No.3 i.e. Registrar, Cooperative Societies is directed to refer the matter to the Madhya Pradesh State Cooperative Tribunal, Bhopal within a period of two months from the date of production of certified copy of this order.

उपरोक्त के परिपालन में छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा दिनांक 19.11.2024 को पत्र क्र.वनो/संघ/विधि/2024/14566 के द्वारा आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.) माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की certified copy उपलब्ध कराते हुए उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार कार्यवाही करने हेतु लेख किया गया है।

(ix) बैंकिंग व्यवस्था में सुधार

वनोपज के केताओं को देश के किसी भी स्थान से विक्रय मूल्य एवं देय राशि जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई-मनी ट्रान्सफर की व्यवस्था लागू की गई है। यह सुविधा संघ के आई.सी.आई.सी.आई बैंक के खातों में उपलब्ध है। इस सुविधा के अंतर्गत आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमि. के माध्यम से ऑनलाइन मनी रसीदें जारी की जा रही है।

संघ द्वारा की गई पहल के कारण अब लघुवनोपज विक्रय से संबंधी सभी कार्य पूर्णतः पारदर्शी, सुलभ एवं द्रुत हो गये हैं। इससे केताओं का संघ के प्रति दृष्टिकोण अच्छा हुआ है एवं प्रशासन में कसावट आई है। इसी प्रकार केताओं द्वारा विभिन्न जिला यूनियनों में जमा कराई गई राशि को जिला यूनियनों द्वारा संघ मुख्यालय के खातों में ट्रान्सफर करने में होने वाले विलंब को दृष्टिगत रखते हुए अब सभी जिला यूनियनों द्वारा केताओं द्वारा जमा कराई गई राशि कोर बैंकिंग के माध्यम से सीधे संघ मुख्यालय, रायपुर स्थित खातें में जमा कराई जा रही है।

जिला यूनियनों के कार्यों के संपादन हेतु पंजाब नेशनल बैंक रायपुर के सेन्ट्रल पी.एन.बी फण्ड मैनेजमेण्ट (एफ मोड्यूल) योजना के तहत् सेन्ट्रल खाता खोला गया है एवं इसी खाते की आई.डी. सहित समस्त जिला यूनियनों के मुख्यालय पर पंजाब नेशनल बैंक शाखा में जिला यूनियनों के शून्य बैलेंस खातें खोले गये हैं। जिसके परिचालन के अधिकार भी प्रबंध संचालक जिला यूनियन को दिये गए हैं। इस व्यवस्था के तहत प्रति जिला यूनियन हेतु संघ पत्र क्रमांक/MFP03/वित्त/2024/5230 रायपुर दिनांक 23.04.2024 द्वारा स्थापना प्रशासनिक व अन्य व्यय के वार्षिक आहरण सीमा का निर्धारण किया गया है। जिला यूनियन के शेष आवश्यक व्ययों के भुगतान हेतु उनकी मांग अनुसार पृथक से आहरण एवं भुगतान की अनुमति दी जाती हैं।

इसी प्रकार समस्त जिला यूनियनों के संघ मुख्यालय के पंजाब नेशनल बैंक शाखा में न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत कराये गये कार्यों के भुगतान हेतु शून्य बैलेंस पर खाते खोले गये हैं। उक्त खाते से जिला यूनियनों द्वारा जारी किये गये आहरण अनुमति की सीमा तक भुगतान किया जा सकता है।

संघ द्वारा विभिन्न हितग्राहियों के बैंक खातों में योजनाओं की राशि का सीधा हस्तांतरण प्रारंभ किया गया है। सीजन वर्ष 2021 एवं 2022 के प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि ऐक्सिस बैंक के माध्यम से हितग्राहियों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की गई हैं। इसी प्रकार छात्रवृत्ति योजनाओं एवं राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की राशि भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से सीधे हस्तांतरित की जा रही है। इस प्रक्रिया से राशि का हस्तांतरण पारदर्शी एवं त्वरित हो गया है। संघ द्वारा इसी प्रक्रिया के अगले चरण में तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक एवं अन्य लघु वनोपजों के क्रय राशि का भुगतान भी सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में साफ्टवेयर के माध्यम से ऐक्सिस बैंक द्वारा किया जा रहा है।

(x) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का संचालक मण्डल

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित शीर्ष स्तरीय सहकारी संस्था है। जिसके 31 जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन सदस्य है एवं जिनकी 902 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां सदस्य है। यह एक त्रिस्तीय संरचना है। वर्तमान में प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों तथा 31 में से 26 जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न हो चुका है। शेष 05 जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन के संचालक मण्डल के निर्वाचन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है। जिला यूनियन सरगुजा, केशकाल, राजनांदगांव एवं बालोद में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा स्थगन दिये जाने तथा जिला यूनियन दंतेवाड़ा में कोरम के अभाव के कारण संचालक मंडल के निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के संचालक मण्डल का कार्यकाल दिनांक 02.11.2021 को समाप्त हो गया है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49(8) के प्रावधान अनुसार वर्तमान में संघ के संचालक मण्डल की समस्त शक्तियां पंजीयक/कार्यकारी संचालक में निहित है।

(xi) अकाष्ठीय वनोपज विकास - वर्ष 2024-25 में कार्यों की प्रगति

1. लघु वनोपज संग्रहण

1.1 लघु वनोपज के उच्च / मध्यम उत्पादकता वाले समितियों का चयन

छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य लघु वनोपज बहुतायत में पाये जाते हैं। राज्य में कुल 902 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति मर्यादित है परंतु कुछ प्राथमिक समितियों में पर्याप्त वन क्षेत्र नही हेाने के कारण वन क्षेत्रों में पाये जाने वाले अन्य अकाष्ठीय लघु वनोपज का उत्पादन नही होता है। लघु वनोपज संग्रहण को बढ़ाकर संग्राहकों को उनके वनोपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से संघ द्वारा सर्वेक्षण के माध्यम से लघु वनोपज के उच्च एवं मध्यम लघु वनोपज उत्पादकता वाले प्राथमिक लघु वनोपज समिति को चिन्हांकित कर ज्यादा मात्रा में संग्रहण करने हेतु चयन किया गया है। इस हेतु लगभग 50 प्रतिशत प्राथमिक लघुवनोपज समितियां चिन्हांकित की गई है, जहां लघु वनोपज का उच्च या मध्यम उत्पादन होता है। इस प्रकार कुल 208 उच्च उत्पादकता वाले तथा 238 मध्यम उत्पादकता वाले कुल 446 समितियां चिन्हांकित की गई है।

इन समितियों के अंतर्गत लघु वनोपज संग्रहण कार्य को बढ़ावा दिया जावेगा, ताकि वांछित प्रगति प्राप्त हो सके।

1.2 लघु वनोपज संग्रहण

राज्य के लघु वनोपज संग्राहकों को उचित लाभ देने हेतु भारत शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर (38 प्रकार) तथा राज्य द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर (29 प्रकार) इस तरह कुल 67 प्रकार के लघु वनोपज प्रजातियों को 4,800 महिला स्व सहायता समूहों द्वारा ग्राम / हाट बाजार स्तर पर क्रय हेतु व्यवस्था की गई है।

समूह द्वारा जामुन संग्रहण कार्य

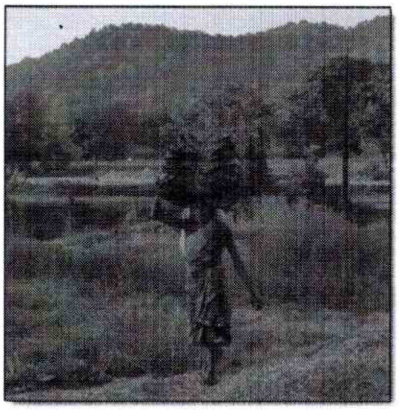

संग्राहक द्वारा माहुल पत्ता संग्रहण

1.2.1 न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना (मद क्र. 7)

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना वर्ष 2014-15 से राज्य में लागू की गई है, जिस हेतु भारत शासन द्वारा रु. 204.91 करोड़ प्रदाय किया गया है। इस राशि को चक्रिय राशि के रूप उपयोग करते हुए लघु वनोपज संग्रहण कार्य प्रारम्भ किया गया है।

1.2.2 लघु वनोपज व्यापार एवं विकास मद से लघु वनोपज संग्रहण (अर्थात् तेन्दू पत्ता व्यापार से प्राप्त लाभांश का 15 प्रतिशत राशि से) (मद क्र. 60)

इस राशि से लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण तथा लाख पालन को बढ़ावा देने हेतु शासन द्वारा स्वीकृति पूर्व से प्राप्त है। इस राशि की सहायता से ऐसे लघु वनोपज, जिस हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वीकृत नहीं है, का संग्रहण एवं प्रसंस्करण किया जा रहा है ।

- वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक लगभग रु. 393.77 करोड़ मूल्य के वनोपज का संग्रहण किया गया है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ने सम्पूर्ण देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय किये गये लघु वनोपज में से 75 प्रतिशत से अधिक मूल्य के वनोपज का संग्रहण कर विगत 04 वर्ष से प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

- वर्ष 2024-25 में लघु वनोपज संग्रहण लक्ष्य राशि रु. 165.00 करोड़ का है।

1.2.3 लघु वनोपज व्यापार एवं विकास मद से महत्वपूर्ण लघु वनोपज संग्रहण संबंधी विवरण

1.2.3.1 कोदो, कुटकी एवं रागी का समर्थन मूल्य पर क्रय

- राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार कोदो, कुटकी एवं रागी का क्रय संघ द्वारा प्राथमिक लघु वनोपज समितियों के माध्यम से वर्ष 2021-22 से किया जा रहा है। मिलेट प्रसंस्करण में सहयोग हेतु आई.आई.एम.आर., हैदराबाद से लघु वनोपज संघ द्वारा एम.ओ.यू. किया गया है।

वित्तीय वर्ष वार कोदो, कुटकी एवं रागी संग्रहण विवरण

क्र.	वित्तीय वर्ष	संग्रहित वनोपज	
		मात्रा (क्विं.)	संग्रहण मूल्य (रु. करोड़)
1.	2021-22	52,728	16.03
2.	2022-23	39,537	12.25
3.	2023-24	16,166	5.31
	योग	**1,08,431**	**33.59**

- **वित्तीय वर्ष 2024-25** - वित्तीय वर्ष 2024-25 में 15 दिसम्बर 2024 में 15 फरवरी 2025 तक मिलेट (कोदो, कुटकी एवं रागी) का क्रय किया जावेगा। जिसका लक्ष्य निम्नानुसार है:- कोदो- 51700 क्विंटल = रूपये 1654.40 लाख, कुटकी - 15250 क्विंटल = रूपये 510.88 लाख, रागी - 15300 क्विटल = रूपये 656.37 लाख, योग मिलेट का कुल संग्रहण लक्ष्य 82250 क्विंटल एवं संग्रहण मूल्य राशि रूपये 2821.65 लाख लक्ष्य निर्धारित की गई है।

- संग्रहित मिलेट्स को प्रसंस्कृत कर शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार विभिन्न विभागों की योजना अंतर्गत कार्यक्रमों में जैसे कि मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी, छात्रावास तथा स्वास्थ्य केन्द्रों आदि में वितरण किये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे है।

- समर्थन मूल्य पर मिलेट संग्रहण द्वारा राज्य में कृषकों को उचित मूल्य प्राप्त होने के कारण मिलेट उत्पादन क्षेत्र के रकबा का विस्तार हो रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य में मिलेट प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित हो रही है जिससे राज्य में मिलेट प्रसंस्करण को बढ़ावा मिल रहा है।

1.2.3.2 फूड ग्रेड महुआ फूल संग्रहण

वित्तीय वर्ष 2021-22 से फूड ग्रेड महुआ फूल संग्रहण करने हेतु संग्रहण नेट तथा सोलर ड्रायर उपयोग किया जा रहा है

वित्तीय वर्ष वार फूड ग्रेड महुआ फूल संग्रहण विवरण

क्र.	वित्तीय वर्ष	संग्रहित महुआ फूल		
		मात्रा (क्विं.)		संग्रहण मूल्य (रु. लाख)
		कच्चा फूल	सूखा फूल	
1.	2021-22	700.00	145.00	8.40
2.	2022-23	4872.41	847.90	48.72
3.	2023-24	1258.48	248.06	12.58
4.	2024-25	788.03	157.38	7.88
	योग	**6918.92**	**1253.34**	**77.58**

➢ 2024-25 में विपरीत मौसम होने के बावजूद 788.03 क्विं. कच्चा महुआ फूल संग्रहण करते हुए उसे सोलर ड्रायर से सुखाकर 157.38 क्विं. फूड ग्रेड महुआ फूल (सूखा) प्राप्त किया गया है, जिसके विक्रय हेतु कार्यवाही जारी है।

1.2.3.3 रैली कोसा संग्रहण-भंडारण

वित्तीय वर्षवार रैली कोसा संग्रहण विवरण

क्र.	वित्तीय वर्ष	प्रकार	संग्रहण मात्रा (नग में)	संग्रहण मूल्य (रु. लाख में)
1.	2022-23	रैली कोसा - साबुत	16,65,126	70.68
		रैली कोसा - पोली	2,90,752	3.44
	योग		**19,55,878**	**74.12**
2.	2023-24	रैली कोसा - साबुत	3,88,201	29.11
		रैली कोसा - पोली	43,985	1.01
	योग		**4,32,186**	**30.12**
3.	2024-25	रैली कोसा - साबुत	20,80,845	140.02
		रैली कोसा - पोली	47,420	0.78
	योग		**21,28,265**	**140.80**

➢ वर्तमान वर्ष में रैली कोसा के बढ़ते मांग के कारण बाजार दर में वृद्धि हुई है। इस हेतु संघ द्वारा भी रेशम विभाग के सहमति से रैली कोसा के क्रय दरों में वृद्धि की गई है।

क्र.	वनोपज का नाम	ग्रेड	वर्ष 2022-23 में निर्धारित दर (रू. प्रति नग)	वर्ष 2024-25 का संशोधित क्रय दर (रू. प्रति नग)
1.	रैली कोसा (साबुत)	ग्रेड-1	4.2	6.80
2.		ग्रेड-2	3.6	6.00
3.		ग्रेड-3	2.8	4.60
4.	रैली कोसा (पोली)	ग्रेड-1	1.5	1.95
5.		ग्रेड-2	1.25	1.65
6.		ग्रेड-3	0.70	1.25

➢ उपरोक्त रैली कोसा को उचित दर पर प्राप्त कर धागा तथा साड़ी आदि निर्माण करने हेतु रेशम विभाग द्वारा कार्यवाही किया जायेगा। इस हेतु रेशम विभाग तथा राज्य लघु वनोपज संघ के मध्य एमओयू किया गया है।

समूह द्वारा रैली कोसा क्रय

1.2.3.4 आमचूर संग्रहण

- वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में कुल 691.81 क्विं. आमचूर जिसका मूल्य रु. 68.31 लाख का संग्रहण किया गया है। इस आमचूर को प्रसंस्कृत कर विक्रय करने हेतु कार्यवाही जारी है।

आमचूर संग्रहण प्रगति

क्र.	वित्तीय वर्ष	प्रकार	संग्रहण मात्रा (क्विं. में)	संग्रहण मूल्य (रु. लाख में)
1.	2023-24	आमचूर	568.80	51.50
2.	2024-25	आमचूर	123.01	16.81
	योग		**691.81**	**68.31**

1.2.3.5 लघु वनोपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वानिकी वर्ष 2024-25

क्र.	वनोपज का नाम	ग्रेड	भारत सरकार द्वारा लागू न्यूनतम समर्थन मूल्य (रू. प्रति क्विंटल)	न्यूनतम समर्थन मूल्य दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि / कमी का प्रस्ताव	छ.ग. शासन द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम समर्थन मूल्य दर (रू. प्रति क्विंटल)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	मालकांगनी बीज(सूखा)	-	10000.00	-	10000.00
2	बायबडिंग	-	9400.00	रू. 600 प्रति क्विं. की वृद्धि	10000.00
3	कालमेघ				
	कालमेघ / भुई नीम (सूखा)	ग्रेड - 1	3500.00	-	3500.00
		ग्रेड - 2	-	-	3150.00
4	आंवला (बीज रहित) (सूखा)	-	5200.00	रू. 500 प्रति क्विं. की वृद्धि	5700.00
5	रंगीनी लाख (सूखा छिली लाख)	-	20000.00	रू. 2000 प्रति क्विं.की वृद्धि	22000.00

क्र.	वनोपज का नाम	ग्रेड	भारत सरकार द्वारा लागू न्यूनतम समर्थन मूल्य (रू. प्रति क्विंटल)	न्यूनतम समर्थन मूल्य दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि / कमी का प्रस्ताव	छ.ग. शासन द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम समर्थन मूल्य दर (रू. प्रति क्विंटल)
1	2	3	4	5	6
6	रीठा फल (सूखा)	-	1400.00	रू. 100 प्रति क्विं. की वृद्धि	1500.00
7	वन जीरा बीज	-	7000.00	रू. 700 प्रति क्विं. की कमी	6300.00
8	सतावर जड़ (सूखा)	-	10700.00	रू. 700 प्रति क्विं. की कमी	10000.00
9	चरौटा				
	चरौटा बीज	ग्रेड - 1	1600.00	रू. 150 प्रति क्विं. की वृद्धि	1750.00
		ग्रेड - 2	1600.00	-	1600.00
10	शहद	-	22500.00	-	22500.00
11	नागरमोथा (सूखा)	-	3000.00	रू. 300 प्रति क्विं. की वृद्धि	3300.00
12	माहुल पत्ता	-	1500.00	-	1500.00
13	हर्रा				
	हर्रा (साबुत सूखा)	ग्रेड - 1	1500.00	-	1500.00
		ग्रेड - 2	-	-	1350.00
14	हर्रा कचरिया		2500.00	-	2500.00
15	बहेड़ा				
	बहेड़ा (साबुत सूखा)	ग्रेड - 1	1700.00	-	1700.00
		ग्रेड - 2	-	-	1530.00
16	बहेड़ा कचरिया	-	2000.00	-	2000.00
17	गिलोय				
	गिलोय (सूखा)	ग्रेड - 1	4000.00	-	4000.00
		ग्रेड - 2	-	-	3600.00
18	कुसुमी लाख (सूखा छिली लाख)	-	27500.00	रू. 2500 प्रति क्विं.की वृद्धि	30000.00
19	वन तुलसी बीज	-	1600.00	रू. 150.00 प्रति क्विं. की कमी	1450.00
20	भेलवा	-	900.00	रू. 75.00 प्रति क्विं. की वृद्धि	975.00
21	शिकाकाई फल्ली (सूखा)	-	5000.00	रू. 500 प्रति क्विं. की वृद्धि	5500.00
22	इमली				
	इमली आंटी (बीज सहित)	ग्रेड - 1	3600.00	-	3600.00
		ग्रेड - 2	-	-	3300.00

क्र.	वनोपज का नाम	ग्रेड	भारत सरकार द्वारा लागू न्यूनतम समर्थन मूल्य (रू. प्रति क्विंटल)	न्यूनतम समर्थन मूल्य दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि / कमी का प्रस्ताव	छ.ग. शासन द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम समर्थन मूल्य दर (रू. प्रति क्विंटल)
1	2	3	4	5	6
23	इमली फूल (बीज रहित)	-	6900.00	-	6900.00
24	इमली बीज	-	1100.00	रू. 100 प्रति क्विं. की वृद्धि	1200.00
25	महुआ फूल (सूखा)	-	3000.00	रू. 300 प्रति क्विं. की वृद्धि	3300.00
26	महुआ बीज	-	2900.00	रू. 250 प्रति क्विं. की वृद्धि	3150.00
27	फूल झाडू		5000.00	-	5000.00
28	कौंच बीज	-	2100.00	-	2100.00
29	धवई				
	धवई फूल (सूखा)	ग्रेड - 1	3700.00		3700.00
		ग्रेड - 2	-	-	3350.00
30	चिरौंजी				
	चिरौंजी गुठली	ग्रेड - 1	12600.00	रू. 1200 प्रति क्विं.की वृद्धि	13800.00
		ग्रेड - 2	12600.00	-	12600.00
31	करंज बीज		2200.00	रू. 200 प्रति क्विं. की वृद्धि	2400.00
32	बेल				
	बेलगुदा (सूखा)	ग्रेड - 1	3000.00	-	3000.00
		ग्रेड - 2	-	-	2700.00
33	कुल्लू गोंद	-	12500.00	-	12500.00
34	काजू				
	काजू (गुठली)	ग्रेड - 1	9000.00	रू. 900 प्रति क्विं. की वृद्धि	9900.00
		ग्रेड - 2	9000.00	-	9000.00
35	सालबीज				
	सालबीज	ग्रेड - 1	2000.00	-	2000.00
		ग्रेड - 2	-	-	1800.00
36	कुसुम				
	कुसुम बीज	ग्रेड - 1	2300.00	-	2300.00
		ग्रेड - 2			2070.00
37	नीम बीज	-	2700.00	रू. 200 प्रति क्विं. की वृद्धि	2900.00

क्र.	वनोपज का नाम	ग्रेड	भारत सरकार द्वारा लागू न्यूनतम समर्थन मूल्य (रू. प्रति क्विंटल)	न्यूनतम समर्थन मूल्य दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि / कमी का प्रस्ताव	छ.ग. शासन द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम समर्थन मूल्य दर (रू. प्रति क्विंटल)
1	2	3	4	5	6
38	जामुन				
	जामुन बीज (सूखा)	ग्रेड - 1	4200.00	-	4200.00
		ग्रेड - 2	-	-	3800.00

लघु वनोपज समर्थन मूल्य (SP) वानिकी वर्ष 2024-25

क्र.	प्रजाति	वनोपज का नाम	ग्रेड	स्वीकृत दर (रू. क्विं.)
1	2	3	4	5
1	मालकांगनी	मालकांगनी फल कच्चा(लाल रंग)		1700.00
2	कालमेघ	कालमेघ / भूईनीम (कच्चा)		550.00
3	आंवला	आंवला फल (कच्चा)		2800.00
4	रंगीनी लाख	रंगीनी लाख बीहन (जीवित लाख कीट के साथ)		27500.00
5	हर्रा	हर्रा कच्चा		600.00
6		हर्रा बाल		3000.00
7	बहेड़ा	बहेड़ा कच्चा		500.00
8	गिलोय	गिलोय (कच्चा)		550.00
9	कुसुमी लाख	कुसुमी लाख बीहन (जीवित लाख कीट के साथ)		55000.00
10	महुआ	महुआ फुल कच्चा (फूड ग्रेड)		1000.00
11	झाडू	झाडू कांटा (घास)		2500.00
12		झाडू छिंद (घास)		1500.00
13	बेल	बेल फल (कच्चा)		1000.00
14	जामुन	जामुन फल (कच्चा)		2300.00
15	रैली कोसा	रैली कोसा (साबुत) (दर 100 नग हेतु)	ग्रेड-1	680.00
		रैली कोसा (साबुत) (दर 100 नग हेतु)	ग्रेड-2	600.00
		रैली कोसा (साबुत) (दर 100 नग हेतु)	ग्रेड-3	460.00
16		रैली कोसा (पोली) (दर 100 नग हेतु)	ग्रेड-1	195.00
		रैली कोसा (पोली) (दर 100 नग हेतु)	ग्रेड-2	165.00
		रैली कोसा (पोली) (दर 100 नग हेतु)	ग्रेड-3	125.00
17	सवई	सवई घास		1500.00
18	कोदो	कोदो		3200.00
19	कुटकी	कुटकी (काला)		3350.00
		कुटकी (भूरा)		3350.00
20	रागी	रागी		3846.00
21	पाताल कुम्हड़ा	पाताल कुम्हड़ा कंद (सूखा)		2000.00

क्र.	प्रजाति	वनोपज का नाम	ग्रेड	स्वीकृत दर (रू. क्विं.)
1	2	3	4	5
22	सफेद मुसली	सफेद मुसली कंद (सूखा)		65000.00
23	तीखुर	तीखुर कंद (कच्चा)		1700.00
24	अश्वगंधा	अश्वगंधा जड़ (सूखा)		30000.00
25	कोरिया	कोरिया बीज (इन्द्र जौ) (सूखा)		6000.00
26		कुटज छाल (सूखा)		1200.00
27	पलाश	पलाश फूल (सूखा)		1150.00
28	आम	अमचूर सफेद	ग्रेड-1	16000.00
		अमचूर भूरा	ग्रेड-2	13000.00
29	इमली	इमली फल छिल्का सहित	ग्रेड-1	2000.00
			ग्रेड-2	1800.00

1.3 लघु वनोपज प्रसंस्करण

लघु वनोपज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिये राज्य में 139 वनधन विकास केन्द्रों की स्थापना की गई है। स्थापित वनधन विकास केन्द्रों में लघु वनोपज का प्राथमिक प्रसंस्करण तथा प्रसंस्करण कार्य किया जाता है। वनधन विकास केन्द्रों के अंतर्गत लगभग 17,424 महिला स्व सहायता समूह लाभान्वित हो रहे हैं।

वनधन विकास केन्द्रों के माध्यम से लगभग 165 उत्पादों का निर्माण छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्राण्ड के तहत किया जा रहा है। हर्बल उत्पाद निर्माण के लिये चयनित समूह पूर्ण रूपेण प्रशिक्षित है एवं हर्बल उत्पाद निर्माण नवीनतम तकनीक का उपयोग कर किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इन प्रसंस्करण केन्द्रों द्वारा रु. 4.79 करोड़ का उत्पादन किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में महत्वपूर्ण लघु वनोपज के प्रसंस्करण का विवरण निम्नानुसार है:-

1.3.1 जामुन प्रसंस्करण

वर्ष 2024-25 में 250 क्विं. जामुन संग्रहण कर उससे 185 क्विं. पल्प प्राप्त किया गया। पल्प निर्माण कार्य से लगभग 23 हितग्राहियों को राशि रू. 0.65 लाख की आय 12 दिवस में प्राप्त हुई। प्राप्त पल्प से विभिन्न जामुन उत्पाद जैसे- जामुन जूस, जामुन बार, तथा आर.टी.एस. का निर्माण किया जावेगा।

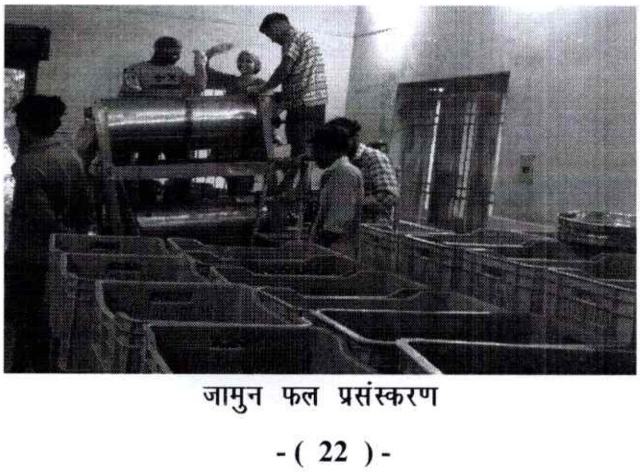

जामुन फल प्रसंस्करण

1.3.2 औषधि उत्पाद उत्पादनः-

राज्य में 07 वन धन विकास केन्द्रों द्वारा औषधि उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार आयुष विभाग द्वारा औषधि के उत्पादों की मांग प्राप्त हो रही है। वर्ष 2024-25 में 08 प्रकार के औषधि उत्पाद वन-धन विकास केद्रों से तैयार कर आयुर्वेदिक फार्मेसी को विक्रय किया गया है। जिसका विक्रय मूल्य लगभग राशि रू.2.55 करोड़ है।

1.3.3 गुणवत्ता नियंत्रण

लघु वनोपज एवं हर्बल उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण व परीक्षण अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, कांकेर एवं जगदलपुर में वृत्त स्तर स्थापित लैब द्वारा सतत् रूप से किया जा रहा है।

1.3.4 अनुसंधान एवं विस्तार

1.3.4.1 नवीन उत्पादों का निर्माण

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वर्तमान वर्ष में विभिन्न प्रकार के नवीन उत्पादों को लॉच किया गया।

क्र.	उत्पाद का नाम	संस्था
1.	महुआ एनर्जीबार	CFTRI, मैसूर
2.	कटहल आचार	पारंपरिक विधि- CIPHET लुधियाना के सलाह से
3.	रोपा करील आचार	पारंपरिक विधि- CIPHET लुधियाना के सलाह से

अनुसंधान विस्तार हेतु संचालित परियोजनाएँ

लघु वनोपज के संग्रहण, प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रसंस्करण, हर्बल उत्पाद निर्माण के अंतर्गत उन्नत तकनीक विकास, प्रक्रियाओं का मानकीकरण तथा नवीन उत्पादों के निर्माण आदि कार्य हेतु विभिन्न संस्थाओं से अनुबंध किये गये हैं। विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र.	परियोजना विषय	लागत (रू.लाख में)	संस्था का नाम	वांछित आउटपुट
1.	लघु वनोपज संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण हेतु अम्ब्रेला एम.ओ.यू.	164.00	ICAR-CIPHET लुधियाना	➢ लघु वनोपज भंडारण, प्रोटोकाल निर्माण, कीट नियंत्रण तथा भंडारण संबंधी प्रशिक्षण। ➢ लघु वनोपज के प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रसंस्करण हेतु मशीनों का विकास तथा मॉर्डन प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना। ➢ लघु वनोपज तथा हर्बल उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था।

क्र.	परियोजना विषय	लागत (रू.लाख में)	संस्था का नाम	वांछित आउटपुट
2.	Development of all-Natural Silk Protein an Thocyanin based restorative hair - dye formulation	24.86	IIT, BHU वाराणसी	➢ कोसा कोकून से हेयर डाई निर्माण। ➢ उत्पाद तैयार क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है।

उपरोक्त के अतिरिक्त इमली चटनी के प्रसंस्करण प्रक्रिया तथा पैकेजिंग तकनीक विकास, पैकेजिंग तथा इमली ब्रिक्स सेल्फलाईफ बढ़ाने, पैकेजिंग डिजाईन विपणन आदि पर भी अनुसंधान परियोजनायें स्वीकृत की गई है ।

1.3.4.2 विशेषज्ञ सेवाएँ

उपरोक्त के अतिरिक्त सीफेट लुधियाना के वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा अन्य संस्थानों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों की सेवाएँ लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण, भण्डारण, संरक्षण तथा कृषि वानिकी के लिए विभिन्न प्रोटोकॉल डेवलप किये गये हैं।

- ➢ वैज्ञानिक पद्धति से फूड ग्रेड महुआ फूल संग्रहण, प्रसंस्करण, ग्रेडिंग (नेट डिजाईन, सोलर ड्रायर, इलेक्ट्रिक सोलर ड्रायर स्पेसिफिकेशन, पैकिंग आदि) तथा भण्डारण तकनीक विकास।
- ➢ 67 लघु वनोपज प्रजातियों के क्रय मानक हेतु प्रोटोकॉल विकास जिसकी स्वीकृति शासन से प्राप्त की गई है।
- ➢ मिलेट के प्राथमिक प्रसंस्करण हेतु मशीनों एवं इकाई का स्पेशिफिकेशन विकास कर राज्य में 08 स्थानों पर मिलेट तथा अन्य वनोपज प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किया गया है।
- ➢ वनधन विकास केन्द्र, रेंगाखार, कवर्धा में माह अप्रैल 2024 में मिलेट प्रसंस्करण इकाई की स्थापना कर माह अक्टूबर 2024 तक राशि रूपये 5.00 लाख का मिलेट प्रसंस्करण कार्य पूर्ण किया गया।
- ➢ वनधन विकास केन्द्र, बोड़ला, कवर्धा में उन्नत तथा नवीन तकनीक के शहद प्रसंस्करण केन्द्र स्थापना हेतु मशीनों का स्पेशिफिकेशन विकास।
- ➢ क्वालिटी कन्ट्रोल लैब स्थापना योजना, परीक्षण प्रोटोकॉल विकास तथा प्रशिक्षण आदि।
- ➢ कृषकों की भूमि पर लघु वनोपज / औषधीय प्रजाति रोपण तथा वन धन क्लस्टर के अंतर्गत् ग्राफ्टेड पौधे लगाये जाने हेत एवं मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का लाभ हितग्राहियों को प्रदान करने हेतु विशेषज्ञों की सलाह ली गई तथा प्रोटोकॉल

विकसित किया गया। साथ ही किसानों एवं जिला यूनियनों के अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

विशेषज्ञ द्वारा जामुन जूस निर्माण प्रशिक्षण

1.4 जैविक प्रमाणीकरणः-

लघु वनोपज एवं हर्बल उत्पादों के बाजार दर में वृद्धि तथा गुणवत्ता नियंत्रण हेतु जिला यूनियन तथा प्रसंस्करण केद्रों का जैविक प्रमाणीकरण कार्य प्रस्तावित है। इसके तहत् वर्ष 2024-25 में 06 जिला यूनियनों के अंतर्गत् जैविक प्रमाणीकरण कार्य कराया जा रहा है जिसमें 16 प्रकार के लघु वनोपजो का जैविक प्रमाणीकरण कराया गया था। 04 जिला यूनियन के अंतर्गत् जैविक प्रमाणीकरण का कार्य प्रक्रियाधीन है।

साथ ही साथ लघु वनोपज प्रसंस्करण के अंतर्गत् जिला यूनियन बिलासपुर में वन धन विकास केंद्र कानन पेण्डारी का जैविक प्रमाणीकरण ऑर्गेनिक शहद निर्माण हेतु जैविक प्रमाणीकरण कराया गया है। जिला यूनियन कवर्धा में वनधन विकास केन्द्र बोड़ला का भी प्रमाणीकरण प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त चिरौंजी, काजू एवं इमली के प्रसंस्कृत उत्पाद, जैविक प्रमाणीकरण हेतु प्रसंस्करण केन्द्रों के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया प्रगति पर है।

1.5 लघु वनोपज विपणन

1.5.1 कच्चे लघु वनोपज

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा संग्रहित लघु वनोपज को ई-निविदा के माध्यम से विक्रय किया जाता है तथा लघु वनोपज को स्थानीय स्तर पर नीलाम /निश्चित दर पर भी विक्रय किया जाता है। साथ ही वर्ष 2023-24 में राशि रु. 70.99 करोड़ मूल्य के लघु वनोपज विक्रय किया गया है। वर्ष 2024-25 में कुल राशि रु. 50.00 करोड़ लघु वनोपज विपणन से प्राप्त किये जाने का लक्ष्य है।

1.5.2 हर्बल उत्पाद विपणनः-

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित वन धन विकास केद्रों एवं प्रसंस्करण केद्रों के माध्यम से लघु वनोपज आधारित विभिन्न उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है। लघु वनोपज आधारित इन उत्पादों को छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के अंतर्गत् प्रदेश में एवं प्रदेश के बाहर विक्रय किया जा रहा है। इन उत्पादों की संघ द्वारा स्थापित वनधन विकास केद्रों तथा प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से निर्मित हर्बल उत्पादों की रिटेल मार्केटिंग करने हेतु संवितरक की नियुक्ति की गई है, जिसके माध्यम से हर्बल उत्पादों का विक्रय किया जा रहा है। राज्य

में थोक विक्रय हेतु 06 NWFP मार्ट एवं रिटेल विक्रय हेतु 35 संजीवनी विक्रय केंद्र तथा 01 मोबाइल वैन संचालित है। संजीवनी के अतिरिक्त निजी दुकानों एवं Amazon, Flipkart जैसे E-platform में भी उत्पाद विक्रय हेतु उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राशि रुपए 4.02 करोड़ मूल्य के उत्पाद विक्रय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित हर्बल उत्पादों का दिनांक 31.08.2024 की स्थिति में राशि रुपए 1.51 करोड़ का विक्रय किया गया है। वन धन विकास केन्द्रों से निर्मित उत्पादों के अतिरिक्त कलेक्टर सेक्टर अंतर्गत् कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, सुकमा, रायपुर, बिलासपुर एवं कोरिया कुल 08 जिले में स्थापित अन्य प्रसंस्करण केद्रों द्वारा कुल 141 प्रकार के उत्पादों का विक्रय **"छत्तीसगढ़ हर्बल्स" ब्रांड** के अंतर्गत् डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा उत्पादों के विक्रय को बढ़ाने के लिए केंद्रीय भंडार नई दिल्ली तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान, रायपुर के साथ M.O.U. का निष्पादन किया गया है। केंद्रीय भंडार नई-दिल्ली को शुरुआती तौर पर कुल 32 उत्पादों का विक्रय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया गया।

प्रदेश के बाहर छत्तीसगढ़ हर्बल के उत्पादन की उपस्थिति हेतु Institution Agent/Agency का चयन I.O.I. के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन की संक्षिप्त प्रगति निम्नानुसार है:-

लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण तथा विपणन प्रगति वर्ष 2024-25

(दिनांक 30.09.2024 की स्थिति में)

क्र.	कार्य का नाम	विगत वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 30.09.2024 तक)
1	2	3	4
1	संग्रहित लघु वनोपज प्रजाति संख्या	51	30
2	वनधन विकास केन्द्र संख्या	155	0
3	लघु वनोपज संग्रहण (मूल्य रु. करोड़ में)	53.23	7.49
4	लघु वनोपज विपणन (मूल्य रु. करोड़ में)	71.77	35.47
5	प्रसंस्कृत उत्पाद विपणन (मूल्य रू. करोड़ में)	4.79	4.32

1.6 लघु वनोपज व्यापार में लाभ-हानि

लघु वनोपज व्यापार में होने वाले लाभ हानि की गणना अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर की जाती है। इस योजना अंतर्गत जनजातीय मंत्रालय, भारत शासन को अतिरिक्त अनुदान तथा व्यापार में हानि प्रतिपूर्ति हेतु प्रेषित प्रस्ताव के विरुद्ध राशि अप्राप्त है, जिसके कारण समर्थन मूल्य पर वनोपज क्रय कार्य में कठिनाई हो रही है। लघु वनोपज क्रय-विक्रय एवं लाभ-हानि का विवरण निम्नानुसार हैः-

वित्तीय वर्ष वार लघु वनोपज संग्रहण एवं लाभ-हानि की प्रगति

(मात्रा क्विंटल में राशि रु. लाख में)

क्र.	वित्तीय वर्ष	वनोपज संख्या	संग्रहण		विक्रय मूल्य	लाभ		हानि	
			मात्रा	संग्रहण मूल्य		वनोपज संख्या	मूल्य	वनोपज संख्या	मूल्य
1	2014-15	3	142309.54	1438.00	714.00	2	262.22	1	0.43
2	2015-16	7	199145.54	4412.00	1152.00	4	45.64	3	165.11
3	2016-17	7	53129.74	2374.00	2247.00	0	0.00	7	2831.64
4	2017-18	7	128089.49	1403.00	1191.00	2	248.58	5	720.87
5	2018-19	7	5074.48	381.00	1636.00	3	220.98	4	244.24
6	2019-20	13	72188.66	1632.00	324.00	5	25.89	8	1256.41
7	2020-21	35	637402.00	15303.00	3430.00	20	1645.48	15	7520.56
8	2021-22	37	341384.40	8987.00	5154.00	12	663.63	25	7303.16
9	2022-23	35	138192.67	4932.00	2177.00	5	538.54	30	5574.10
10	2023-24	35	200385.45	3715.44	2902.68	6	56.38	29	3768.40
महायोग		-	**1917301.97**	**44577.44**	**20927.68**		**3707.34**		**29384.92**

1.6.1 भारत शासन के प्रावधान

केन्द्र शासन द्वारा स्वीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, प्रधानमंत्री वन-धन योजना, अन्य योजनाओं के अंतर्गत संग्रहित एवं प्रसंस्कृत वनोपज के व्यापार से प्राप्त हानि की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा तथा प्राप्त लाभ का वितरण प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में संग्राहकों एवं समूहों को किया जावेगा ।

1.6.1.1 हानि की प्रतिपूर्ति

भारत शासन के निर्देशानुसार लघु वनोपज क्रय-विक्रय में होने वाले हानि की प्रतिपूर्ति भारत शासन तथा राज्य शासन द्वारा किया जायेगा। हानि की 75 प्रतिशत राशि भारत शासन द्वारा तथा 25 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा देय होगी। भारत शासन को हानि की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये है। परंतु आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की हानि प्रतिपूर्ति नही की गई है।

1.6.1.2 **लाभांश का वितरण**

लघु वनोपज के विक्रय प्राप्त होने वाले लाभ का वितरण प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में संग्राहकों एवं समूहों के मध्य किया जाना है, जिसके लिये विस्तृत दिशा-निर्देश छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा प्रशासकीय विभाग के पूर्व अनुमोदन उपरांत जारी किया जायेगा।

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना

- संग्रहण वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक संग्रहित लघु वनोपज के व्यापार में यदि लाभ प्राप्त हुआ है तो उसके शुद्ध लाभ की 100 प्रतिशत राशि प्रजाति वार लघु वनोपज संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरित किया जावेगा। यह राशि संग्रहित मात्रा के अनुपात में वितरित होगी।

- वर्ष 2020-21 या उसके पश्चात् संग्रहित वनोपज के विक्रय से प्राप्त शुद्ध लाभ की 80 प्रतिशत राशि जिला यूनियन / प्राथमिक समिति के संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में उनके द्वारा संग्रहित मात्रा के अनुपात में वितरित किया जावेगा। साथ ही शुद्ध लाभ की 5 प्रतिशत राशि ग्राम स्तरीय स्व सहायता समूहों को तथा 5 प्रतिशत राशि हाट बाजार स्तरीय स्व सहायता समूहों को वितरित की जावेगी। शेष 10 प्रतिशत राशि लघु वनोपज समृद्ध क्षेत्र के संवर्धन तथा विकास हेतु आवंटित किया जावेगा।

तेंदूपत्ता व्यापार से प्राप्त लाभांश की 15 प्रतिशत राशि से संग्रहित लघु वनोपज व्यापार में लाभांश वितरण

- सम्पूर्ण राज्य में प्रत्येक लघु वनोपज व्यापार में प्राप्त शुद्ध लाभ का 60 प्रतिशत राशि लाभ प्राप्त करने वाले जिला यूनियन / प्राथमिक समिति के संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में उनके द्वारा संग्रहित मात्रा के अनुपात में वितरित किया जायेगा। इसी प्रकार 5 प्रतिशत राशि ग्राम स्तर समूह को 5 प्रतिशत राशि हाट बाजार स्तर समूह को वितरित किया जावेगा। 20 प्रतिशत राशि का समायोजन उन वनोपज के व्यापार में हानि प्रतिपूर्ति के रूप में किया जायेगा जिसमें संग्रहण वर्ष में हानि की स्थिति बनती है।

- सम्पूर्ण राज्य में प्रत्येक लघु वनोपज व्यापार में प्राप्त शुद्ध लाभ का 10 प्रतिशत राशि लघु वनोपज समृद्ध क्षेत्र के संवर्धन तथा विकास हेतु वितरित किया जाये।

1.6.2 हानि का कारण

1. भारत शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से अधिक है।
2. अन्य राज्य में MSP दर पर लघु वनोपज की खरीदी नहीं होती जिसके कारण राष्ट्रीय स्तर पर बाजार दर में वृद्धि नहीं हो पाती।
3. लघु वनोपज के बाजार माँग में अत्यंत उतार-चढ़ाव होता है।
4. मौसम के प्रतिकूल होने पर लघु वनोपज की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

1.6.3 व्यापार में हानि को कम करने हेतु किये गये प्रयास

1. जिन प्रजातियों का बाजार दर एमएसपी दर से कम है उन प्रजातियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को भारत शासन के निर्देश तथा राज्य शासन की स्वीकृति अनुसार 10 प्रतिशत तक कम किया गया।
2. बाजार मानक अनुरूप लघु वनोपज खरीदी हेतु समस्त 67 लघु वनोपज के संग्रहण मानक निर्धारित कर समूहों / संग्राहकों तथा स्टाफ को प्रशिक्षित किया गया।
3. गुणवत्ता नियंत्रित करने हेतु राज्य में 05 लैब की स्थापना की गई जहाँ प्रत्येक लघु वनोपज की गुणवत्ता जाँच कर क्रय किये गये उत्पादों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।
4. लघु वनोपज के मूल्यवर्धन हेतु अधिकाधिक प्रयास किया जा रहा है।
5. संग्राहकों एवं समूहों के मध्य जागरुकता लाने हेतु सतत् रूप से क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
6. मूल्यवर्धन गुणवत्ता नियंत्रण हेतु विशेषज्ञों की सेवा ली जा रही है।

1.7 लाख पालन (मद क्र. 35)

छत्तीसगढ़ राज्य में लाख पालन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की अपार सम्भावना है। छ.ग. राज्य में वर्तमान में लगभग 4,000 मी. टन लाख उत्पादन, जिसका मूल्य रु. 100.00 करोड़ होता है। वर्तमान में राज्य के विभिन्न जिला जैसे- कोरबा, कोरिया, बलरामपुर, गरियाबंद, कांकेर, धमतरी, जशपुर, सूरजपुर एवं जगदलपुर आदि कुल 18 जिलों में लाख पालन की खेती प्रमुखतः से किया जाता है। छ.ग. शासन द्वारा देश में पहली बार लाख पालन की खेती को बढ़ावा दिये जाने हेतु ''लाख उत्पादक कृषकों/कृषक समूहों को लाख उत्पादन हेतु अल्पकालीन ऋण वितरण कराने हेतु योजना वर्ष 2021'' लागू किया गया है।

इस योजनांतर्गत लाख पालक कृषकों को लाख पालन हेतु निःशुल्क ब्याज दर पर सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) के माध्यम से ऋण वितरण कर लाख पालन की खेती को बढ़ाया जायेगा जिससे प्रथम वर्ष प्रत्येक कृषक को राशि रु. 50,000/- राशि स्व सहायता समूहों को राशि रु. 50,000/- से रु. 2.00 लाख निःशुल्क ब्याज पर

ऋण राशि स्वीकृत किया जावेगा। इससे राज्य के लगभग 50,000 किसान परिवारों को अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध होगी।

माह दिसम्बर-जनवरी 2024 तक में लाख पालन की खेती हेतु जिला यूनियन गरियाबंद, पूर्व भानुप्रतापपुर, बालोद एवं धमतरी अंतर्गत् कुल 246 प्रकरण का स्वीकृति प्रदाय कर लाख पालक कृषकों को लगभग राशि रू. 63.31 लाख का वितरण सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) के माध्यम से सीधे कृषकों के खाते में किया गया है।

लाख उत्पादन क्लस्टर क्षेत्रों का चिन्हांकित कर फसल ऋण प्रदाय करने हेतु वनधन मित्रों के माध्यम से सर्वेक्षण का कार्य किया गया है। निश्चित समयावधि में बीहन लाख प्रदाय करने हेतु निविदा / सप्लाई चैन प्रक्रिया के तहत कृषकों को मांग अनुसार अग्रिम राशि जमा करने उपरांत ही बीहन लाख प्रदाय किया जाता है। सीजन में बीहन लाख की बाजार दर अधिक होने की स्थिति में कृषकों द्वारा प्रति कि.ग्रा. मांग अनुसार कृषक सहयोग राशि जमा उपरान्त अनुदान राशि भी प्रदाय किया जाता है। जिससे लाख पालक कृषकों को उचित दर पर बीहन लाख की उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

1.8 उद्यमिता विकास (मद क्र. 53)

1.8.1 रैली कोसा वेट रीलिंग यूनिट

बस्तर क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रैली कोसा प्रसंस्करण हेतु जिला यूनियन जगदलपुर के नानगूर प्राथमिक समिति क्षेत्र में रैली कोसा वेट रीलिंग यूनिट केन्द्रीय सिल्क बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गई है। परियोजना के अंतर्गत राशि रु. 2.88 करोड़ भवन तथा मशीनरी हेतु स्वीकृत की गई है। संघ मुख्यालय द्वारा जिला यूनियन जगदलपुर को उक्त निर्माण कार्य हेतु राशि रूपये 290.04 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति वर्ष 2023-24 में प्रदान की गई है। उक्त निर्माण कार्य प्रगति पर है।

1.8.2 केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना :-

लघु वनोपज के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने तथा संग्राहकों की आय में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना का कार्य ग्राम जामगाँव (एम.), विकासखण्ड पाटन, जिला दुर्ग में किया जा रहा है, जिसमें छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा आयुर्वेदिक इकाई, हर्बल एक्सट्रेक्ट इकाई की स्थापना का कार्य किया जा रहा है। आयुर्वेदिक इकाई के भवन निर्माण का कार्य पूर्णता की ओर है तथा आयुर्वेदिक इकाई हेतु इक्यूपमेन्ट/मशीन क्रय करने की कार्यवाही CSIDC के द्वारा की जा रही है। हर्बल एक्सट्रेक्शन इकाई की स्थापना का कार्य RFP विधि से चयनित फर्म द्वारा किया जा रहा है। केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई के लिये आधारभूत अधोसंरचनाएँ जैसे- वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, कामन फेसिलिटि, बिजली, पानी, सड़क इत्यादि का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

1.8.3 लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु निजी निवेशकों के माध्यम से उद्योगों की स्थापना -

राज्य में उत्पादित होने वाले लघु वनोपजों को राज्य में ही प्रसंस्कृत कर इनका मूल्य संवर्धन किये जाने के लिये वनांचल अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ तथा निजी निवेशकों के मध्य कुल 04 एमओयू का निष्पादन किया गया है। यह एमओयू, विराज कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड रायपुर के साथ महुआ फूल प्रसंस्करण की इकाई की स्थापना हेतु, अवनी आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड रायपुर के साथ मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हेतु, बस्तर बॉटनिक्स प्राइवेट लिमिटेड बस्तर के साथ महुआ डिस्टिलेशन प्लांट स्थापना हेतु तथा कोसर एग्रो प्राइवेट लिमिटेड पुणे के साथ इमली प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना हेतु किया गया है।

उपरोक्त 04 इकाईयों की स्थापना के लिये किये गये एमओयू की लागत कुल रु. 38.64 करोड़ है तथा इस प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना से बस्तर में उत्पादित होने वाले लघु वनोपज जैसे इमली, महुआ एवं कोदो, कुटकी का प्रसंस्करण राज्य में ही किया जावेगा। वर्तमान में कोदो, कुटकी एवं रागी के उत्पादों का प्रसंस्करण प्रारंभ हो चुका है। साथ ही इसका विक्रय ''छत्तीसगढ़ हर्बल्स'' ब्राण्ड अंतर्गत भी किया जा रहा है। इस प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना से स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होगा तथा इमली, महुआ एवं कोदो, कुटकी के संग्राहकों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा।

1.8.4 वनधन विकास केन्द्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम

लघु वनोपज से समृद्ध वनधन विकास केन्द्रों का चयन कर वहां लघु वनोपज आधारित विकास कार्य को विशेष कार्य योजना के तहत संपादित कर संग्राहकों एवं महिला समूहों के आय वृद्धि हेतु वनधन विकास केन्द्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत् प्रथम चरण में लघु वनोपज से समृद्ध 10 जिला यूनियनों के 30 वनधन विकास केन्द्र क्लस्टर का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। साथ ही इन जिला यूनियनों / वनधन विकास केन्द्रा के अंतर्गत संग्राहक जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया गया है।

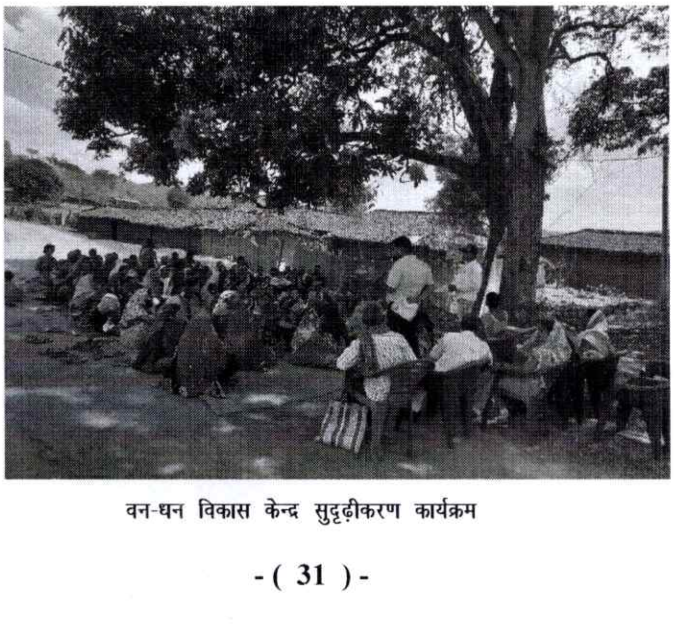

वन-धन विकास केन्द्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम

1.9 लघु वनोपज प्रजाति एवं औषधि पौधों का संवर्धन एवं कृषक भूमि पर लघु वनोपज प्रजाति रोपण (कृषि वानिकी)

प्रत्येक "प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति मर्यादित" जहां पर विभिन्न प्रकार की लघु वनोपज प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, परंतु लगातार दोहन से लघु वनोपज में कमी आई है, ऐसे क्षेत्रों में लघु वनोपज/औषधि प्रजाति के उत्पादन में वृद्धि करने, संबंधित वनक्षेत्र का संवर्धन कार्य वन प्रबंधन समिति के सदस्यों तथा लघु वनोपज संग्राहकों को जागरूक कर किया जा रहा है।

क्षेत्र के मुख्य लघु वनोपज / औषधि प्रजाति के पौधों को कृषक भूमि पर रोपण कर उनके उत्पादन में वृद्धि के साथ कृषकों को अतिरिक्त आय का साधन प्रदाय किया गया ।

1.9.1 कृषि वानिकी

इस कार्यक्रम के अंतर्गत लघु वनोपज से समृद्ध वन क्षेत्र के समीप प्राथमिक समिति क्षेत्र में निजी भूमि पर उन्नत किस्म की लघु वनोपज प्रजाति रोपण को बढ़ावा देते हुए, लघु वनोपज उत्पादन मात्रा तथा गुणवत्ता को बढ़ाया जाना है। इस प्रक्रिया द्वारा क्षेत्र के वनवासियों को अतिरिक्त आय के साथ-साथ वन क्षेत्र पर जैविक दबाव भी कम होगा।

प्रस्तावित कार्य योजना में कृषक का श्रम योगदान, तथा योगदान राशि अनिवार्य है। इस योजना में प्रत्येक लाभार्थी को प्रति ग्राफ्टेड पौधे/उच्च गुणवत्ता के बीज से तैयार पौधे हेतु अपना योगदान राशि देना है, तथा राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा प्रति ग्राफ्टेड पौधे/उच्च गुणवत्ता के बीज से तैयार पौधे हेतु अनुदान राशि कृषक को प्रदाय की जायेगी ।

योजना का लाभ लेने हेतु चयनित प्राथमिक समिति क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम में इच्छुक कृषकों द्वारा कम से कम 5 से 500 पौधे ग्राफ्टेड पौधे स्वयं के खेत में रोपण आवश्यक है । किसी कृषक द्वारा स्वयं की भूमि, बाड़ी, कृषि भूमि मेढ़ / सीमा फेंसिंग पर सुरक्षित स्थान पर 5 से 500 पौधे लघु वनोपज / औषधि प्रजाति के ग्राफ्टेड आँवला, जामुन, इमली, बेल इत्यादि लगाये जा सकते हैं । साथ ही महुआ, चिरौंजी आदि के पौधे भी लगाये जा सकते हैं। उक्त पौधों हेतु कृषक योगदान एवं अनुदान राशि संघ मुख्यालय के पत्र क्र. 9375 दिनांक 10.07.2024 अनुसार निम्नानुसार है:-

क्र.	प्रजाति का नाम	कृषक योगदान राशि (रू.में)	संघ का अनुदान राशि (रू.में)	योग राशि (रू.में)
1	ग्राफ्टेड आंवला	25	47.25	72.25
2	ग्राफ्टेड जामुन	35	87.75	122.75
3	ग्राफ्टेड इमली	50	64.74	114.74
4	आंवला,जामुन चिरौंजी बीजू	10	48.6	58.6
5	बेर,महुआ,कुसुम	5	41.85	46.85

वर्ष 2024-25 में वर्षा ऋतु में जुलाई-अगस्त 2024 में ग्राफ्टेड, आँवला, इमली, जामुन इत्यादि के पौधे लगाये गये हैं। इसके अतिरिक्त उच्च गुणवत्ता के बीज से तैयार पौधे आँवला, चिरौंजी, महुआ, माहुल बेल व लाख पोषक वृक्ष (कुसुम, बेर) का रोपण निम्नानुसार किया गया:-

कृषि वानिकी पौध रोपण कि जानकारी

(वित्तीय वर्ष/वानिकी वर्ष 2024-25)

क्र.	जिला यूनियन का नाम	प्रजातिवार रोपित पौध संख्या												
		ग्राफ्टेड आँवला	ग्राफ्टेड इमली	ग्राफ्टेड जामुन	आँवला (बीजू)	इमली (बीजू)	जामुन (बीजू)	महुआ (बीजू)	चिरौंजी (बीजू)	माहुल (बीजू)	कुसुम (बीजू)	बेर (बीजू)	बेल (बीजू)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	जगदलपुर	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	0	4500
2	दंतेवाड़ा	0	296	150	0	0	0	0	0	0	0	226	0	672
3	बीजापुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2328	0	2328
4	कांकेर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11993	0	11993
5	नारायणपुर	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	2656	0	2840
6	पूर्व भानुप्रतापपुर	246	100	0	0	0	0	4	26	6	522	8020	0	8924
7	पश्चिम भानुप्रतापपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	700
8	महासमुंद	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	3000
9	धमतरी	12345	98	0	38	0	0	0	0	0	0	6552	0	19033
10	गरियाबंद	2862	214	127	0	0	0	0	1049	0	123	5014	0	9389
11	खैरागढ़	9655	228	0	1008	0	0	0	11	0	13	1581	0	12496
12	कवर्धा	363	0	0	2380	0	0	0	0	0	0	7244	0	9987
13	धरमजयगढ़	143	30	0	0	0	0	0	0	0	0	12941	0	13114
14	कोरबा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26568	0	26568
15	कटघोरा	8568	2342	4056	0	0	0	2928	5454	176	602	1501	529	26156
16	मरवाही	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500
17	बिलासपुर	14153	0	0	0	0	0	0	0	500	0	1373	588	16614
18	रायगढ़	5464	23	1395	30	20	550	142	658	10	0	2188	5	10485
19	मनेन्द्रगढ़	5000	219	370	0	0	0	634	30	156	32	309	0	6750
20	कोरिया	2550	216	0	64	15	27	398	78	23	51	133	0	3555
21	जशपुर	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1650
22	सूरजपुर	820	250	0	21	21	454	303	341	250	82	205	0	2747
	योग	**66319**	**5200**	**6098**	**3541**	**56**	**1031**	**4409**	**7647**	**1121**	**1425**	**97032**	**1122**	**1,95,001**

1.10 मानव संसाधन विकास

1.10.1 इंटर्न चयन

लघु वनोपज आधारित विकास कार्यों अंतर्गत वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एवं शासन की योजनाओं का संग्राहकों एवं हितग्राहियों के मध्य प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से संघ द्वारा इंटर्नशिप योजना संचालित की जा रही है, जिसके तहत इंटर्न संग्रहण, प्रसंस्करण, आयुर्वेद, आई.टी., लैब, मार्केटिंग, आदि के लिये 100 पद की स्वीकृति संचालक मंडल से प्राप्त की गई है। इंटर्न चयन से लघु वनोपज आधारित कार्यों में वृद्धि परिलक्षित हुई है। साथ ही इससे राज्य में बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

01 वर्ष इंटर्नशिप पूर्ण कर चुके योग्य अभ्यर्थियों को साक्षात्कार आधार पर मैनेजर (वन धन विकास केन्द्र) के रूप में चयन किया जाता है।

1.10.2 वन धन मित्र चयन

उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए तेन्दू पत्ता संग्राहक परिवार के पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों का कौशल उन्नयन किये जाने के उद्देश्य से लगभग 1100 वनधन मित्रों का चयन किया गया। ये वनधन मित्र स्व सहायता समूहों को लाख विकास, लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन संबंधी कार्यों में सहयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त समय-समय पर संघ से प्रेषित निर्देशानुसार अन्य कार्यों में भी इनका सहयोग लिया जाता है। इनके कौशल उन्नयन के लिए संघ द्वारा सतत् रूप से वनधन मित्रों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इन्हें इस कार्य हेतु रू. 1500/- प्रतिमाह मानदेय के साथ प्रगति के आधार पर संघ द्वारा निर्धारित इन्सेंटिव प्रदान किया जाता है।

1.10.3 प्रशिक्षण

वर्ष 2023-24 में संघ द्वारा विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण आयोजित किये गये जिसमें लगभग 5000 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। जिसमें महिला स्व सहायता समूह के सदस्य, वनधन मित्र, संग्राहक, किसान आदि शामिल थे।

क्र.	प्रशिक्षण का नाम
1.	सप्लाई चैन प्रबंधन
2.	इमली संग्रहण, प्रसंस्करण तथा भंडारण
3.	फूड ग्रेड महुआ फूल संग्रहण
4.	चिरौंजी संग्रहण
5.	आमचूर संग्रहण तथा प्रसंस्करण
6.	वनधन विकास केन्द्र सुदृढ़ीकरण

वर्ष 2024-25 में संघ द्वारा विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण आयोजित किये गये जिसमें लगभग 1200 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। जिसमें महिला स्व सहायता समूह के सदस्य, वनधन मित्र, संग्राहक, किसान आदि शामिल थे।

क्र.	प्रशिक्षण का नाम
1.	कृषि वानिकी पौधा रोपण प्रशिक्षण
2.	हर्रा-बहेड़ा संग्रहण

आगामी वर्ष 2025-26 में लघु वनोपज संग्रहण एवं प्रसंस्करण कार्य को विस्तार देने के लिए लगभग 8000 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। जिसमें मुख्य रूप से वनोपज संग्राहक, वनधन मित्र तथा महिला स्व-सहायता समूह के सदस्य शामिल होंगे।

*****

स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण 27.11.2024 की स्थिति में

क.	पदनाम	संघ मुख्यालय के पद			वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक के पद			जिला यूनियन के पद			कुल योग		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	प्रबंध संचालक (प्र.मु.व.सं.)	1	1	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	1	1	**0**
2	कार्यकारी संचालक (मु.वन संरक्षक)	2	0	**2**	0	0	**0**	0	0	**0**	2	0	**2**
3	महा प्रबंधक (वन संरक्षक)	2	1	**1**	0	0	**0**	0	0	**0**	2	1	**1**
4	उप महा प्रबंधक (उप वनसंरक्षक)	1	0	**1**	0	0	**0**	0	0	**0**	1	0	**1**
5	सचिव (संयुक्त पंजीयक)	1	1	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	1	1	**0**
6	प्रबंधक वित्त (उप संचालक)	1	1	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	1	1	**0**
7	प्रणाली विश्लेषक	1	1	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	1	1	**0**
8	प्रबंधक लेखा	1	1	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	1	1	**0**
9	उप प्रबंधक (स.व.सं.)	2	2	**0**	6	6	**0**	30	24	**6**	38	32	**6**
10	उप प्रबंधक (आंतरिक अंकेक्षण)	1	1	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	1	1	**0**
11	स्टाफ आफिसर	1	1	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	1	1	**0**
12	सहायक लेखाधिकारी	1	1	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	1	1	**0**
13	निज सहायक/निज सचिव	2	1	**1**	0	0	**0**	0	0	**0**	2	1	**1**
14	वरिष्ठ शीघ्रलेखक	1	2	**-1**	0	0	**0**	0	0	**0**	1	2	**-1**
15	प्रोग्रामर	1	1	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	1	1	**0**
16	वन क्षेत्रपाल	1	1	**0**	0	0	**0**	10	9	**1**	11	10	**1**
17	उप वन क्षेत्रपाल	0	0	**0**	0	0	**0**	180	100	**80**	180	100	**80**
18	सहायक प्रोग्रामर	1	1	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	1	1	**0**
19	कर सहायक	1	1	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	1	1	**0**
20	आंतरिक अंकेक्षक	4	4	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	4	4	**0**
21	शीघ्रलेखक	[illegible]	1	**1**	0	0	**0**	0	0	**0**	2	1	**1**
22	अधीक्षक	3	2	**1**	0	0	**0**	0	0	**0**	3	2	**1**
23	लेखा अधीक्षक	4	5	**-1**	0	0	**0**	0	0	**0**	4	5	**-1**
24	वरिष्ठ लेखापाल	1	1	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	1	1	**0**
25	लेखापाल	4	2	**2**	6	5	**1**	27	22	**5**	37	29	**8**
26	कनिष्ट लेखापाल	7	6	**1**	0	0	**0**	21	15	**6**	28	21	**7**
27	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	7	9	**-2**	6	7	**-1**	31	25	**6**	44	40	**4**
28	आयुर्वेद चिकित्सक (संविदा)	1	0	**1**	0	0	**0**	0	0	**0**	1	0	**1**
29	टेक्सानामिस्ट	1	0	**1**	0	0	**0**	0	0	**0**	1	0	**1**
30	सहायक वर्ग-3/स्वागतकर्ता	21	12	**9**	6	6	**0**	61	32	**29**	88	50	**38**
31	वाहन चालक	12	10	**2**	4	2	**2**	18	8	**10**	34	20	**14**
32	दफ्तरी	1	1	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	1	1	**0**
33	संदेशवाहक	16	7	**9**	12	8	**4**	49	21	**28**	77	34	**43**
34	चौकीदार (कलेक्टर दर)	2	2	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	2	2	**0**
	योगः-	**108**	**80**	**28**	**40**	**34**	**6**	**427**	**311**	**116**	**575**	**367**	**208**

संयुक्त आयुक्त एवं सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ नवा रायपुर

F:\Jaya Dilliwar\New sttaffing_pattern for AGM 2020

All staffing Update27.11.24

जिला यूनियनवार अग्रिम में विक्रित एवं विभागीय गोदामीकृत विक्रित लाटों का विवरण (वास्तविक संग्रहण अनुसार)

संग्रहण वर्ष : 2023

जिला यूनियन का नाम	कुल लाटों की संख्या	लाटों की संख्या जहाँ पर संग्रहण हुआ है	कुल संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में)	कुल भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)	अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण				विभागीय गोदामीकृत विक्रित लाटों का विवरण				अविक्रित लाटों का	
					लाटों की संख्या	अग्रिम में विक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)	लाटों की संख्या	विक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)	लाटों की संख्या	अविक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
बीजापुर	45	45	81098.457	81098.457	45	81098.457	539330402.88	6650.32	---	---	---	---	---	---
सुकमा	48	48	122075.766	122075.766	40	107861.244	467286427.68	4332.29	8	14214.522	44154618.00	3106.30	0	0.000
दंतेवाड़ा	11	11	15632.670	15632.670	11	15632.670	74226185.44	4748.15	---	---	---	---	---	---
जगदलपुर	15	15	20921.880	20782.304	13	18634.680	65031427.15	3489.81	2	2148	1751225	815.42	0	0.000
दक्षिण कोंडागांव	11	11	18608.188	18608.188	11	18608.188	63979340.79	3438.24	---	---	---	---	---	---
केशकाल	16	16	24963.330	24963.330	16	24963.330	104178238.01	4173.25	---	---	---	---	---	---
नारायणपुर	12	11	18609.669	18609.669	11	18609.669	93407344.90	5019.29	---	---	---	---	---	---
पूर्व भानुप्रतापपुर	56	56	90786.110	90786.110	56	90786.110	736754448.26	8115.28	---	---	---	---	---	---
पश्चिम भानुप्रतापपुर	55	45	34937.080	34888.830	51	32949.260	197751310.70	6001.69	4	1939.570	9875975.00	5091.84	0	0.000
कांकेर	24	24	33342.855	33342.855	24	33342.855	245559892.19	7364.69	---	---	---	---	---	---
राजनांदगांव	51	51	60586.950	60586.950	51	60586.950	443780955.64	7324.70	---	---	---	---	---	---
खैरागढ़	24	24	24516.100	24516.100	24	24516.100	134584582.17	5489.64	---	---	---	---	---	---
बालोद	18	18	19031.185	19031.185	18	19031.185	135551122.90	7122.58	---	---	---	---	---	---
कवर्धा	24	24	32347.170	32347.170	24	32347.170	174851775.40	5405.47	---	---	---	---	---	---
धमतरी	23	23	20584.065	20584.065	23	20584.065	147946228.79	7187.42	---	---	---	---	---	---
गरियाबंद	62	62	77606.433	77580.452	60	76129.385	595967164.48	7828.35	2	1451.067	1143696.00	788.18	0	0.000
महासमुंद	69	69	70944.335	70944.335	69	70944.335	505139089.31	7120.22	---	---	---	---	---	---
बलौदा बाजार	16	16	16017.980	16017.980	14	14797.185	104173283.46	7040.07	2	1220.795	3064627.00	2510.35	0	0.000
बिलासपुर	21	21	25549.815	25549.815	20	25255.300	153784563.92	6089.20	1	294.515	1775926.00	6030.00	0	0.000
मरवाही	14	14	10867.177	10867.177	14	10867.177	70209021.19	6460.65	---	---	---	---	---	---
जांजगीर-चांपा	7	7	6883.235	6883.235	6	6512.190	26298942.57	4038.42	1	371.045	1911253.00	5151.00	0	0.000
रायगढ़	41	41	49221.565	49221.565	41	49221.565	288928614.52	5869.96	---	---	---	---	---	---
धरमजयगढ़	53	53	70945.485	70945.485	53	70945.485	561147971.49	7909.57	---	---	---	---	---	---
कोरबा	34	34	43822.253	43822.253	34	43822.253	334241893.56	7627.22	---	---	---	---	---	---
कटघोरा	39	39	58736.810	58736.810	38	58034.415	437463744.80	7538.01	1	702.395	3056121.00	4351.00	0	0.000
जशपुर नगर	20	20	27936.790	27936.790	20	27936.790	118018798.29	4224.49	---	---	---	---	---	---
मनेन्द्रगढ़	20	20	28756.450	28756.450	20	28756.450	153983533.06	5354.75	---	---	---	---	---	---

जिला यूनियन का नाम	कुल लाटों की संख्या	लाटों की संख्या जहाँ पर संग्रहण हुआ है	कुल संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में)	कुल भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)	अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण				विभागीय गोदामीकृत विक्रित लाटों का विवरण				अविक्रित लाटों का	
					लाटों की संख्या	अग्रिम में विक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)	लाटों की संख्या	विक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)	लाटों की संख्या	अविक्रित लाटों में भण्डारित मात्रा (मानक बोरा में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
कोरिया	16	16	21177.595	21177.595	16	21177.595	130032396.17	6140.09	---	---	---	---	---	---
सरगुजा	15	15	22403.144	22403.144	15	22403.144	128447195.54	5733.45	---	---	---	---	---	---
बलरामपुर	64	64	90617.061	90581.657	48	65409.201	259826313.05	3972.32	16	25172.456	86167385.00	3423.08	0	0.000
सूरजपुर	30	30	54584.010	54579.520	28	53324.680	292416927.11	5483.71	2	1254.840	5177092.00	4125.70	0	0.000
कुल योग	954	943	1294111.613	1293857.912	914	1245089.083	7784299135.42	6252.00	39	48768.829	158077918.00	3241.37	0	0.000

(Manivasagan S.)
I.F.S.
Conservator of Forest
General Manager & Executive Director
C.G. State Minor Forest Produce
Co-oprative Federation, Nawa Raipur

UNION WISE DETAILS OF LOTS

Collection Year : 2024

Union Name	Total Lots		Details of Sold Lots				Details of Unsold Lots	
	No. of Lots	Quantity (St.Bags)	No. of Lots	Quantity (St.Bags)	Sale Price	Average Sale Rate	No. of Lots	Quantity (St.Bags)
BIJAPUR	45	98225.282	45	98225.282	585336084.19	5959.12	0	.000
SUKMA	48	141348.281	48	141348.281	514899525.44	3642.77	0	.000
DANTEWADA	11	20525.139	11	20525.139	77660748.53	3783.69	0	.000
JAGDALPUR	15	22617.409	15	22617.409	70922792.63	3135.76	0	.000
KONDAGAON	11	16289.562	11	16289.562	48658964.45	2987.13	0	.000
KESHKAL	16	19672.076	16	19672.076	85045100.77	4323.14	0	.000
NARAYANPUR	12	19462.205	12	19462.205	88750191.97	4560.13	0	.000
E.BHANUPRATAPPUR	56	85519.195	56	85519.195	710273013.75	8305.42	0	.000
W.BHANUPRATAPPUR	54	72520.235	54	72520.235	474679020.51	6545.47	0	.000
KANKER	24	30042.755	24	30042.755	237328454.52	7899.69	0	.000
RAJNANDGAON	51	70235.260	51	70235.260	522203577.55	7435.06	0	.000
KHAIRAGARH	24	33009.365	24	33009.365	194624716.52	5896.05	0	.000
BALOD	18	22864.370	18	22864.370	157640398.61	6894.59	0	.000
KAWARDHA	24	37229.880	24	37229.880	207489303.59	5573.19	0	.000
DHAMTARI	23	23677.080	23	23677.080	176440621.13	7451.96	0	.000
GARIYABAND	62	76146.071	62	76146.071	593742879.18	7797.42	0	.000
MAHASAMUND	69	76937.905	69	76937.905	549261307.55	7139.02	0	.000
BALODA BAZAR	16	20444.816	16	20444.816	140668464.61	6880.40	0	.000
BILASPUR	21	29705.455	21	29705.455	181538972.61	6111.30	0	.000
MARWAHI	14	21497.900	14	21497.900	145519330.99	6769.00	0	.000
JANJGIR-CHAMPA	7	8260.190	7	8260.190	27002137.12	3268.95	0	.000
RAIGARH	41	49450.360	41	49450.360	303763289.12	6142.79	0	.000
DHARAMJAIGARH	53	75424.400	53	75424.400	616847416.93	8178.35	0	.000
KORBA	34	43778.940	34	43778.940	358310427.26	8184.54	0	.000
KATGHORA	39	69230.551	39	69230.551	505095870.29	7295.85	0	.000
JASHPURNAGAR	20	36538.509	20	36538.509	191852889.85	5250.70	0	.000
MANENDRAGARH	20	44731.165	20	44731.165	251710417.84	5627.18	0	.000
KOREA	16	34080.820	16	34080.820	216334409.01	6347.69	0	.000
SARGUJA	15	35034.756	15	35034.756	214641829.49	6126.54	0	.000
BALRAMPUR	64	145694.435	64	145694.435	576386127.47	3956.13	0	.000
SURAJPUR	30	75515.020	30	75515.020	396180906.70	5246.39	0	.000
Grand Total --->	953	1555709.387	953	1555709.387	9420809190.18	6055.64	0	.000

(Manivasagan S.)
I.F.S.
Conservator of Forest
General Manager & Executive Director
C.G. State Minor Forest Produce
Co-oprative Federation Nawa Raipur

तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक 2021 की वितरण की स्थिति

क्र.	जिला यूनियन का नाम	वितरण योग्य प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि (6-7)	वितरण समारोह पर व्यय होने वाली राशि 5/- प्रति मा.बो.	वितरित राशि	शेष राशि (3-5)
1	2	3	4	5	6
1	बीजापुर	13,93,70,297	3,76,977	9,36,63,880	4,57,06,417
2	सुकमा	4,51,50,388	2,22,744	4,51,50,388	-
3	दंतेवाड़ा	31,83,871	37,028	27,13,679	4,70,192
4	जगदलपुर	5,01,956	16,843	5,01,956	-
5	दक्षिण कोंडागांव	-	-	-	-
6	केशकाल	61,17,713	32,174	61,17,713	-
7	नारायणपुर	37,89,087	34,072	36,32,143	1,56,944
8	पूर्व भानुप्रतापपुर	19,23,88,896	4,41,454	19,16,27,569	7,61,327
9	प. भानुप्रतापपुर	11,00,62,169	3,51,668	11,00,62,169	-
10	कांकेर	6,08,68,033	1,69,280	6,08,68,033	-
11	राजनांदगांव	11,58,89,366	3,13,441	11,58,89,366	-
12	खैरागढ़	1,95,18,400	1,59,738	1,95,18,400	-
13	बालोद	2,69,84,595	98,164	2,69,84,595	-
14	कवर्धा	1,69,83,690	1,51,892	1,69,83,690	-
15	धमतरी	3,59,55,599	1,08,730	3,59,55,599	-
16	गरियाबंद	14,65,86,009	3,49,154	14,65,86,009	-
17	महासमुन्द	10,08,18,586	3,63,617	10,08,18,586	-
18	बलौदाबाजार	2,65,63,792	98,146	2,65,63,792	-
19	बिलासपुर	2,66,61,229	1,37,310	2,62,04,319	4,56,910
20	मरवाही	1,29,46,646	77,405	1,29,46,646	-
21	जांजगीर-चांपा	1,63,843	4,271	1,63,843	-
22	रायगढ़	4,27,40,374	2,11,403	4,27,40,374	-
23	धरमजयगढ़	15,10,61,779	3,50,785	15,10,61,779	-
24	कोरबा	9,20,36,410	2,04,932	9,20,36,410	-
25	कटघोरा	11,50,27,512	3,17,134	11,50,27,512	-
26	जशपुरनगर	1,48,71,606	80,050	1,48,71,606	-
27	मनेन्द्रगढ़	1,66,41,664	78,214	1,66,41,664	-
28	कोरिया	2,19,72,020	95,588	2,19,11,920	60,100
29	सरगुजा	2,18,95,330	1,38,873	2,18,95,330	-
30	बलरामपुर	1,40,72,101	1,65,452	1,40,72,101	-
31	सूरजपुर	4,96,85,239	2,58,697	4,96,85,239	-
	योग	**1,63,05,08,200**	**54,45,236**	**1,58,28,96,310**	**4,76,11,890**

प्रबंधक लेखा

छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, मर्या. रायपुर (छ.ग.)

तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक 2022 की वितरण की स्थिति

क्र.	जिला यूनियन का नाम	वितरण योग्य प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि	वितरण समारोह पर व्यय होने वाली राशि 5/- प्रति मा.बो.	वितरित राशि	शेष राशि (3-5)
1	2	3	4	5	6
1	बीजापुर	25,50,98,411	3,74,577	15,98,19,141	9,52,79,270
2	सुकमा	3,32,71,624	1,77,839	3,32,71,624	-
3	दंतेवाड़ा	1,55,21,256	74,038	1,22,99,454	32,21,802
4	जगदलपुर	12,07,295	16,215	12,07,295	-
5	दक्षिण कोंडागांव	25,17,969	33,647	25,17,969	-
6	केशकाल	1,42,30,183	65,571	1,42,30,183	-
7	नारायणपुर	2,22,47,470	1,01,894	2,11,96,510	10,50,960
8	पूर्व भानुप्रतापपुर	32,08,92,231	4,86,632	31,77,76,513	31,15,718
9	प. भानुप्रतापपुर	17,15,26,591	3,43,913	17,15,26,591	-
10	कांकेर	5,86,35,739	1,12,119	5,86,35,739	-
11	राजनांदगांव	18,62,31,322	3,25,502	18,62,31,322	-
12	खैरागढ़	4,79,54,587	1,69,623	4,79,54,587	-
13	बालोद	5,11,12,788	1,13,713	5,11,12,788	-
14	कवर्धा	5,89,57,077	1,76,818	5,89,57,077	-
15	धमतरी	5,52,39,172	1,08,823	5,52,39,172	-
16	गरियाबंद	24,83,04,036	3,84,708	24,83,04,036	-
17	महासमुन्द	19,55,19,367	4,14,115	19,55,19,367	-
18	बलौदाबाजार	5,14,86,248	98,009	5,14,86,248	-
19	बिलासपुर	5,26,49,513	1,45,552	5,26,20,262	29,251
20	मरवाही	3,91,42,083	1,07,423	3,87,57,543	3,84,540
21	जांजगीर-चांपा	6,40,018	5,354	6,40,018	-
22	रायगढ़	7,99,84,454	2,12,284	7,99,84,454	-
23	धरमजयगढ़	25,00,54,271	4,12,544	25,00,54,271	-
24	कोरबा	16,14,16,286	2,48,636	16,14,16,286	-
25	कटघोरा	20,46,47,378	3,60,357	20,46,47,378	-
26	जशपुरनगर	1,20,05,527	65,391	1,20,05,527	-
27	मनेन्द्रगढ़	2,27,60,627	94,985	2,27,60,627	-
28	कोरिया	1,86,02,797	83,830	1,86,02,797	-
29	सरगुजा	4,95,03,636	1,56,666	4,95,03,636	-
30	बलरामपुर	2,93,83,564	1,65,118	2,93,83,564	-
31	सूरजपुर	8,27,25,849	2,66,572	8,27,25,849	-
	योग	**2,79,34,69,369**	**59,02,468**	**2,69,03,87,828**	**10,30,81,541**

प्रबंधक लेखा

छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, मर्या. रायपुर (छ.ग.)

विषय क्रमांक - 3

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित क्रिया कलापों - तेन्दू पत्ता का व्यापार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, गोंद वर्ग-1 एवं वर्ग-2 का व्यापार, तेन्दू पत्ता संग्राहकों एवं फड़मुंशियों हेतु बीमा योजनायें, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा, लाख विकास, लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि का अनुमोदन।

(i) बीमा योजनायें:-

- **राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना:-** तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वन विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ (मर्यादित) के समन्वय से यह योजना दिनांक 01.04.2024 से संचालित की गई है। इस योजना के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 18 वर्ष से अधिक किंतु 50 वर्ष से अधिक न हो, की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति/उत्तराधिकारी को राशि रू. 2.00 लाख की सहायता अनुदान राशि प्रदाय की जायेगी। दुर्घटना से मृत्यु होने पर राशि रू. 2.00 लाख अतिरिक्त रूप से प्रदाय किया जा रहा है। दुर्घटना से पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में राशि रू. 2.00 लाख तथा आंशिक निःशक्तता की स्थिति में राशि रू. 1.00 लाख की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेंदुपत्ता संग्राहक को प्रदान की जाएगी।

- तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 50 वर्ष पूर्ण से 59 वर्ष के बीच हो, की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति/उत्तराधिकारी को राशि रू. 30,000/- तथा दुर्घटना से मृत्यु होने पर रू. 75,000/- की सहायता अनुदान राशि प्रदाय की जायेगी। दुर्घटना में पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में रू. 75,000/- तथा आंशिक निःशक्तता की स्थिति में रू. 37,500/- की सहायता अनुदान राशी दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेंदुपत्ता संग्राहक को प्रदाय करने का प्रावधान है।

- इस योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक राशि में से 75 प्रतिशत की राशि छ.ग.शासन, वन विभाग द्वारा तथा शेष 25 प्रतिशत छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वहन किया जावेगा। वर्ष 2025-26 में इस हेतु राशि रूपये 45.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

- **सामूहिक सुरक्षा योजना (संघ संचालित)** - वर्ष 2025-26 हेतु सामूहिक सुरक्षा योजना का संचालन छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित के द्वारा दिनांक 01.04.2020 से किया जा रहा है। संघ संचालित सामूहिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत मृतक तेंदूपत्ता संग्राहक के परिवार के मुखिया (दावेदार) को रूपये 12,000/- भुगतान किया जाता है। वर्ष 2025-26 में इस हेतु राशि रूपये 2.50 करोड़ का व्यय संभावित है।

* **<u>प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधक समूह बीमा</u>**:- प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए बीमा कराया गया है। वर्ष 2024-25 में बीमित प्रबंधकों की संख्या 758 है, जिसका प्रीमियम भुगतान राशि रू. 7.96 लाख किया गया है। वर्ष 2025-26 में इस योजना हेतु राशि रू. 10.00 लाख व्यय संभावित है।

* **<u>प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के फॅड़मुंशीयों का समूह बीमा</u>**:- प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के तेंदूपत्ता फॅड़मुंशीयों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 में बीमा कराया गया है। वर्ष 2024-25 में बीमित फॅड़मुंशीयों की संख्या 10024 है, जिसका प्रीमियम भुगतान 50.32 लाख किया गया है। वर्ष 2025-26 में इस योजना हेतु राशि रू. 55.00 लाख व्यय संभावित है।

* **<u>संघ द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं</u>**- तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएं जैसे मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार, व्यावसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति, गैर व्यावसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना, तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में शैक्षणिक वर्ष 2023-24 की छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाईन साफ्टवेयर के माध्यम से कार्यवाही प्रगति पर है। आगामी वर्षो में भी छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन ऑनलाईन साफ्टवेयर के माध्यम से संचालित रहेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए इस योजना हेतु राशि रू. 13.00 करोड़ व्यय संभावित है।

(ii) राष्ट्रीयकृत वनोपज का व्यापार

तेन्दू पत्ता - वर्ष 2025-26 में तेन्दूपत्ता का संग्रहण एवं विक्रय प्राथमिक लघु वनोपज समितियों के माध्यम से संचालित की जावेगी। अनुमानित संग्रहण लक्ष्य 16.72 लाख मानक बोरा है।

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2022, 2023, 2024 एवं पूर्व के वर्षो के क्रेता करारनामा समाप्त लाटों का निर्वर्तन किया जावेगा तथा निर्वर्तन से प्राप्त राशि एवं प्रथम क्रेता से प्राप्त योग्य राशि के अंतर की राशि की वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

प्रदेश में संग्रहण वर्ष 2025 में कुल 954 लाटों में लगभग 16.72 लाख मानक बोरे के संग्रहण का अनुमान है। अनुमानित तेन्दूपत्ते का अग्रिम विक्रय ऑनलाइन निविदाएँ आमंत्रित करके की जावेगी। तेन्दूपत्ता संग्रहण में कुल रू. 919.60 करोड़ के संग्रहण पारिश्रमिक के वितरण का अनुमान है।

(iii) वर्ष 2021 एवं 2022 के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण

सीजन 2021 एवं सीजन 2022 के तेन्दूपत्ता के निर्वर्तन उपरान्त प्राप्त शुद्ध आय (व्यय घटाकर) राशि रूपये क्रमशः 163.05 एवं 279.34 करोड़, प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में तेन्दूपत्ता संग्राहकों को वितरित किया जा रहा है।

(iv) अकाष्ठीय वनोपज विकासः- वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित क्रियाकलाप (भविष्य की रणनीति)

1. लघु वनोपज संरक्षण एवं उत्पादन का बढ़ावा

वर्ष 2023-24 में लघु वनोपज संरक्षण एवं कृषि वानिकी के अंतर्गत् लघु वनोपज / औषधीय प्रजातियों का रोपण किया गया है। वर्ष 2023-24 में कुल 1349.20 हेक्टेयर क्षेत्र को लोक संरक्षित में संरक्षित करते हुए लघुवनोपज / औषधीय प्रजाति 236880 पौधों का अंगीकरण एवं 64000 पौधें का रोपण किया गया। कृषि वानिकी अंतर्गत् कृषकों की जमीन पर लघु वनोपज प्रजाति के 194041 पौधों का रोपण किया गया। जिसमें पौधों की कीमत का 50 प्रतिशत राशि कृषकों से सहयोग राशि के रूप में (कुल रूपये 2726295) प्राप्त कर इतनी ही राशि की अनुदान राशि देकर कृषि वानिकी को प्रोत्साहित किया गया। वर्ष 2024-25 में इस कार्य को विशेष कार्य योजना अंतर्गत् सम्पादित किया जावेगा।

2. लघु वनोपज संग्रहण

लघु वनोपज संग्रहण हेतु निम्नानुसार संचालित योजनाओं के अंतर्गत गुणवत्तायुक्त लघु वनोपज खरीदी को बढ़ावा दिया जावेगा ।

2.1 न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना (मद क्र. 7)

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संचालित लघु वनोपज हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना वर्ष 2014-15 से राज्य में लागू की गई है। इस योजनांतर्गत लघु वनोपज व्यापार हेतु वर्ष 2014-15 से अभी-तक रू. 204.91 करोड़ राशि संघ को प्राप्त हुई है, जिसमें 75 प्रतिशत राशि भारत शासन द्वारा तथा 25 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

भारत शासन से स्वीकृति की प्रत्याशा में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 में लघु वनोपज खरीदी के बजट प्रस्ताव भी तैयार किया गया है।

2.2 लघु वनोपज व्यापार एवं विकास मद (अर्थात् तेन्दू पत्ता व्यापार से प्राप्त लाभांश का 15 प्रतिशत राशि से) (मद क्र. 60)

2.2.1 लघु वनोपज संग्रहण कार्य

छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज संग्राहकों को लाभ देने हेतु 38 प्रकार के लघु वनोपज को भारत शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तथा 29 प्रकार के अन्य वनोपज को शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर इस तरह कुल 67 प्रकार के लघु वनोपज के क्रय हेतु व्यवस्था की गई हैं। वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर अन्य लघु वनोपज क्रय एवं मिलेट क्रय हेतु राशि रू. 15.00 करोड़ प्रस्तावित हैं।

2.3 लघु वनोपज गुणवत्ता नियंत्रण

स्थापित लैब के माध्यम से लघु वनोपज गुणवत्ता नियंत्रण कार्य नियुक्त विशेषज्ञ अमलों के माध्यम से कराया जायेगा। इस कार्य को प्राथमिकता के तहत सम्पादित किया जावेगा। गुणवत्ता नियंत्रण निम्न चरणों में होगी :-

- खरीदी के समय
- भंडारण के पूण प्री डिस्पेच इंस्पेक्शन
- भंडारण पश्चात् लैब में
- भंडारण के समय

3 लघु वनोपज प्रसंस्करण तथा लघु वनोपज प्रसंस्करण को बढ़ावा

लघु वनोपज आधारित आजीविका विकास कार्यों को लाभप्रद बनाने के लिये तथा संग्राहकों को उनके वनोपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु वर्ष 2024-25 में लघु वनोपज के मूल्यवर्धन को बढ़ावा दिया जायेगा । यह कार्य निम्न योजनाओं के अंतर्गत संचालित होगा :-

3.1 प्रधानमंत्री वन-धन योजना (मद क्र. 8)

लघु वनोपज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने हेतु राज्य में 139 वन-धन विकास केंद्र स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री वन-धन योजनांतर्गत प्रत्येक केंद्र के लिये रूपये 15.00 लाख अनुदान राशि भारत शासन से प्राप्त हुआ है। उक्त योजनांतर्गत स्व-सहायता समूहों का प्रशिक्षण, उपकरण व्यवस्था, लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण हेतु चक्रीय राशि का प्रावधान किया गया है।

3.1.1 प्राथमिक/द्वितीयक प्रसंस्करण

समर्थन मूल्य पर क्रय किये जा रहे वनोपज के प्राथमिक / द्वितीयक प्रसंस्करण हेतु कार्य योजना तैयार कर उसे क्रियान्वित किया जायेगा। इससे वन धन विकास केन्द्र से जुड़े हितग्राहियों को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा एवं वनोपज की मूल्य वृद्धि होगी।

3.1.2 हर्बल उत्पादः-

इस योजना के तहत वनधन विकास केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण कर उनका क्षमता विकास किया जावेगा। वर्ष 2024-25 में वन धन विकास केन्द्रों के माध्यम से रुपए 20.00 करोड़ के हर्बल उत्पाद **"छत्तीसगढ़ हर्बल" ब्रांड** के तहत उत्पादित कर विक्रय करने का लक्ष्य है। यह कार्य चयनित इंटर्न वनधन मित्र एवं संघ के अमलों के माध्यम से संपादित किया जाएगा।

3.2 लघु वनोपज प्रजाति एवं औषधि पौधों का संवर्धन एवं कृषक भूमि पर लघु वनोपज प्रजाति रोपण (कृषि वानिकी)

वर्ष 2023-24 में लघु वनोपज संरक्षण एवं कृषि वानिकी के अंतर्गत् लघु वनोपज / औषधीय प्रजातियों का रोपण किया गया है। वर्ष 2023-24 में कुल 1349.20 हेक्टेयर क्षेत्र को लोक संरक्षित में संरक्षित करते हुए लघुवनोपज / औषधीय प्रजाति 236880 पौधों का अंगीकरण एवं 64000 पौधें का रोपण किया गया। कृषि वानिकी अंतर्गत् कृषकों की जमीन पर लघु वनोपज प्रजाति के 194041 पौधों का रोपण किया गया। जिसमें पौधों की कीमत का 50 प्रतिशत राशि कृषकों से सहयोग राशि के रूप में (कुल रूपये 2726295) प्राप्त कर इतनी ही राशि की अनुदान राशि देयकर कृषि वानिकी को प्रोत्साहित किया गया। वर्ष 2024-25 में इस कार्य को विशेष कार्य योजना अंतर्गत् सम्पादित किया जावेगा।

3.3 लघु वनोपज व्यापार एवं विकास मद (मद क्र. 60)

इस योजना के तहत स्थापित प्रसंस्करण केन्द्रों के अंतर्गत तकनीकी उन्नयन, अधोसंरचना विकास, अनुसंधान विस्तार, कॉमन फेसिलिटी सेंटर स्थापना आदि कार्य सम्पादित किये जायेंगे।

3.3.1 लघु वनोपज प्रसंस्करण

इस मद अंतर्गत लघु वनोपज प्रसंस्करण को बढ़ावा दिये जाने का कार्य किया जावेगा। साथ ही जिला स्तरीय प्रसंस्करण इकाई - कॉमन फेसिलिटी सेंटर देवभोग, गरियाबंद तथा सिल्क प्रसंस्करण यूनिट नानगूर, जगदलपुर आदि कार्य किये जायेंगे।

3.3.2 अनुसंधान विस्तार एवं विशेषज्ञ सेवाएँ

प्रस्तावित परियोजनाओं के अंतर्गत प्राप्त सुझाव के आधार पर नवीन उत्पाद निर्माण, तकनीकी उन्नयन तथा परियोजना में अन्य प्रस्तावित कार्यों का क्रियान्वयन किया जावेगा।

3.3.3 अधोसंरचना निर्माण

लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण एवं भंडारण हेतु निर्मित अधोसंरचना के उन्नयन तथा नवीन अधोसंरचना निर्माण किया जावेगा।

3.3.4 मानव संसाधन विकास

इस मद अंतर्गत हितग्राहियों एवं अमलों का प्रशिक्षण तथा अमले, इंटर्न एवं वन धन मित्र की नियुक्ति की जावेगी।

3.4 उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण

तैयार हर्बल उत्पाद के प्रत्येक बैच की टेस्टिंग स्थापित लैब के माध्यम से की जावेगी।

3.5 जैविक प्रमाणीकरण

वर्तमान वर्ष में 09 जिला यूनियन को जैविक प्रमाणिकरण कार्य किया जा रहा है, जिसमें 16 प्रकार के वनोपज हेतु जैविक प्रमाण-पत्र प्राप्त करना प्रस्तावित है। जिसके अंतर्गत बेल, चिरौंची, आमला, महुआ फूल, इमली, हर्रा, बेहड़ा, शहद, जामून फल, कालमेघ आदि, वनोपज संम्मिलित है।

4 लघु वनोपज विपणन (मद क्र. 42 एवं 61)

राष्ट्रीय स्तर पर विक्रय

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से संग्रहित लघु वनोपज को ऑनलाईन निविदा के माध्यम से विक्रय किया जाता है। राजकीय वनोपज व्यापार के अंतर्विभागीय समिति के निर्णय के अनुसार सीमित वनोपज को निश्चित दर पर भी विक्रय किया जाता है। संघ द्वारा स्थापित वन-धन विकास केंद्रों तथा प्रसंस्करण इकाईयों के माध्यम से निर्मित हर्बल उत्पादों को रिटैल मार्केटिंग करने हेतु डिस्ट्रीब्यूटर आदि द्वारा विक्रय किया जावेगा।

5 लाख पालन (मद क्र. 35)

छत्तीसगढ़ राज्य में लाख पालन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की अपारा संभावना है। छ.ग. राज्य में वर्तमान में लगभग 4,000 मी. टन लाख उत्पादन, जिसका लगभग मूल्य रू.100.00 करोड़ होता है। वर्तमान में राज्य के विभिन्न जिला जैसे - कोरबा, कोरिया, बलरामपुर, गरियाबंद, कांकेर, धमतरी, जशपुर, सूरजपुर एवं जगदलपुर आदि कुल 18 जिलों में लाख पालन की खेती मुख्यतः से किया जाता है। छ.ग. शासन द्वारा देश में पहली बार लाख पालन की खेती को बढ़ावा दिये जाने हेतु **''लाख उत्पादक कृषकों/कृषक समूहों को लाख उत्पादन हेतु अल्पकालीन ऋण वितरण कराने हेतु योजना वर्ष 2021''** लागू किया गया है।

इस योजनांतर्गत लाख पालक कृषकों को लाख पालन हेतु **निःशुल्क ब्याज दर** पर सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) के माध्यम से ऋण वितरण कर लाख पालन की खेती को बढ़ाया जायेगा जिससे प्रत्येक प्रथम वर्ष प्रत्येक कृषक को राशि रु. 50,000/- राशि स्व सहायता समूहों को राशि रु. 50,000/- से रु. 2,00,000/- निःशुल्क ब्याज पर ऋण राशि स्वीकृत किया जावेगा। इससे राज्य के लगभग 50,000 किसान परिवारों को अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध होगी।

माह दिसम्बर 2024 तक में लाख पालन की खेती हेतु जिला यूनियन गरियाबंद, पूर्व भानुप्रतापपुर, बालोद एवं धमतरी अंतर्गत् कुल 246 प्रकरण का स्वीकृति प्रदाय कर लाख पालक कृषकों को लगभग राशि रू.63.31 लाख का वितरण सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) के माध्यम से सीधे कृषकों के खाते में किया गया है। आगामी वर्ष दिसम्बर 2025 तक लाख विकास हेतु लाख पालक कृषकों को 200 विभिन्न ऋण प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में राशि रूपये 50.00 लाख का स्वीकृति कर वितरण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

लाख उत्पादन क्लस्टर क्षेत्रों का चिन्हांकित कर फसल ऋण प्रदाय करने हेतु वनधन मित्रों के माध्यम से सर्वेक्षण का कार्य किया गया है। निश्चित समयावधि में बीहन लाख प्रदाय करने हेतु निविदा/सप्लाई चैन प्रक्रिया के तहत् कृषकों को मांग अनुसार राशि जमा करने उपरान्त ही बीहन लाख प्रदाय किया जाता है। सीजन में बीहन लाख की बाजार दर अधिक होने की स्थिति में क कृषकों द्वारा प्रति कि.ग्रा. मांग अनुसार कृषक सहयोग राशि जमा उपरान्त अनुदान राशि भी प्रदाय किया जाता है। जिससे लाख पालक कृषकों को उचित दर पर बीहन लाख की उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

6 लघु वनोपज आधारित विकास कार्यों के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) को बढ़ावा

लघु वनोपज आधारित विकास कार्यों के अंतर्गत प्रस्तावित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्यों की मॉनिटरिंग अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यदि लघु वनोपज / हर्बल उत्पाद के व्यापार को बढ़ावा देना है तथा व्यापार को लाभप्रद बनाना है तो यह आवश्यक है कि क्षेत्र विस्तार हो एवं क्रेताओं को अधिकाधिक सुविधायें प्राप्त हों, इस हेतु लघु वनोपज विकास कार्यों के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जायेगा।

इसके अंतर्गत एक ओर जहाँ लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन का रियलटाईम डाटा प्राप्त होगा, वहीं दूसरी ओर संग्राहकों तथा महिला समूहों को तत्काल ऑनलाईन भुगतान प्राप्त हो जावेगा। साथ ही साथ क्रेताओं को वनोपज संबंध में सम्पूर्ण विवरण, फोटाग्राफ आदि क्यूआर कोड के माध्यम से प्राप्त हो जायेंगे।

7 सुदृढ़ीकरण

7.1 संस्थागत सुदृढ़ीकरण कार्य

इसके तहत लघु वनोपज विकास कार्य से जुड़े अधिकारी/कर्मचारियों का क्षमता विकास किया जावेगा तथा क्षेत्रीय स्तर पर अमले एवं इंटर्न का चयन किया जावेगा।

7.2 वन धन विकास केन्द्र सुदृढ़ीकरण

वन धन विकास केन्द्र सुदृढ़ीकरण के माध्यम से वन धन विकास केन्द्रों की वार्षिक कार्य योजना तैयार कर जुड़े महिला स्व सहायता समूहों को आर्थिक लाभ दिया जावेगा । साथ ही अक्रियाशील केन्द्रों को क्रियाशील किया जायेगा।

8. केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई (सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट) की स्थापना -

छ.ग. शासन, वन विभाग के आदेश दिनांक 21.12.2020 से छ.ग. राज्य में लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु जिला दुर्ग के अंतर्गत पाटन विकासखण्ड के ग्राम जामगांव (एम) में केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई है। केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना दो भागों में की जा रहीं है। प्रथम भाग, जिसका रकबा 27.69 हेक्ट. है, में छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा तथा द्वितीय भाग जिसका रकबा 17.57 हेक्ट. है, में सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना किये जाने की स्वीकृति राज्य शासन द्वारा प्रदान की गई है।

छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा सी.एस.आई.डी.सी. के माध्यम से परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ की भूमि पर दो परियोजनाएं संचालित की जायेगीः-

i. आयुर्वेदिक औषधी केन्द्र की स्थापना।

ii. हर्बल एक्सट्रेक्शन इकाई।

iii. कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउस (गोदाम)।

iv. लघु वनोपज आधारित केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना।

इसी प्रकार सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा उनको आबंटित भूमि पर लघु वनोपज से संबंधित फूड पार्क की स्थापना किया जावेगा इस हेतु परियोजना प्रतिवदेन तैयार किया जा रहा है।

वर्ष 2021-22 में आयुर्वेदिक औषधी इकाई की स्थापना का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है तथा लघु वनोपज आधारित केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना हेतु अधोसंरचना निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाकर प्रगति पर है। हर्बल एक्सट्रेक्ट से संबंधित प्रसंस्करण इकाई की स्थापना का कार्य केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई, ग्राम- जामगांव (एम), पाटन में प्रगति पर है।

संघ द्वारा स्थापित तथा स्थापित किये जा रहे प्रसंस्करण केन्द्रों के अलावा निजी निवेशको को भी लघु वनोपज आधारित आद्योगों को स्थापित करने तथा निजी निवेश हेतु प्रयास किये जा रहे है। जिसके तहत ट्राईपार्टीयट मेमोरेन्डम ऑफ अन्डरस्टेंडिंग छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, सी.एस.आई.डी.सी. एवं Kossher Agro Pvt. Ltd. द्वारा बस्तर में इमली प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई है।

*****

विषय क्रमांक - 4

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 के पारित अंकेक्षण उपरांत पूंजी पर अर्जित ब्याज (लाभ) का विभाजन।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के वित्तीय वर्ष 2022-23 का अंकेक्षण पूर्ण उपरांत वित्तीय पत्रकों का संघ की 24वीं आम सभा अक्टूबर 2023 में अनुमोदन कराया जा चुका है।

छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ के वर्ष 2022-23 में अनुमोदित वित्तीय पत्रकों में वनोपज संघ को राशि 4,96,80,638/- रूपये का पूंजी पर अर्जित ब्याज प्रदर्शित हो रहा है।

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/वनो/संघ/सह/पंजी/99/2024/03,दिनांक 21.10.2024 के तहत् बोनस एक्त के प्रावधान के अनुसार बोनस हेतु पात्र एवं राशि रूपये 21,000/- तक मासिक वेतन पाने वाले नियमित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वेतन का 8.33 प्रतिशत (अधिकतम राशि रूपये 7,000/- तक) बोनस तथा जिन सेवायुक्तों को बोनस एक्ट के प्रावधानों अंतर्गत बोनस देना अनिवार्य नहीं है, उन सेवायुक्तों को बोनस के एवज में एक्सग्रेसिया के रूप में अधिकतम राशि रूपये 7,000/- अंकेक्षित वित्तीय पत्रक/लेखा के आधार पर संगणित, सीड केपिटल से संघ को प्राप्त होने वाले अर्जित ब्याज (लाभ) की राशि से दिया जाना है।

अतः उक्त आदेश के पालन में छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 43 एवं संघ के उप नियम 30 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में संघ की पूंजी के विनियोजन से अर्जित ब्याज (लाभ) की राशि 4,96,80,638/- रूपये में से कर्मचारी बोनस हेतु वितरित की जाने वाली अनुमानित राशि जो लगभग रूपये 18,00,000/- होगी को घटाते हुये शेष राशि रूपये 4,78,80,638/- का विभाजन विभिन्न मदों में किया जाना है, अतः वास्तविक बोनस राशि घटाने के पश्चात् संघ की शुद्ध लाभ का निम्नानुसार किया जाना है -

क्रमांक	फंड का नाम	विभाजन प्रतिशत	विभाजित राशि
1	रक्षित निधि फंड	33.50%	1,60,40,013.73
2	अंश पूंजी मोचन फंड	20%	95,76,127.60
3	इन्वेंट्री लॉस फंड	10%	47,88,063.80
4	सहकारिता आंदोलन के विकास फंड	3%	14,36,419.14
5	सहकारिता प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण	10%	47,88,063.80
6	भवन फंड	17%	81,39,708.46
7	वाहन फंड	4.50%	21,54,628.71
8	संदिग्ध एवं डूबत निधि फंड	2%	9,57,612.76
	योग :-	100%	4,78,80,638.00

अतः वनोपज संघ द्वारा अर्जित आय का उपरोक्त मदों में विभाजन संबंधी प्रस्ताव संघ की 99वीं संचालक मण्डल की बैठक में अनुमोदन उपरांत 25वीं वार्षिक साधारण आमसभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

*****

विषय क्रमांक - 5

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये पुनरीक्षित एवं वर्ष 2025-26 के लिये बजट की स्वीकृति।

(अ) लघु वनोपज (तेन्दू पत्ता) संग्रहण वर्ष 2024-25 का पुनरीक्षित व्यय एवं वर्ष 2025-26 का अनुमानित बजट निम्नानुसार प्रस्तावित हैः-

पुनरीक्षित व्यय वर्ष 2024-25

अ. क्र.	वनोपज का नाम	संग्रहण वर्ष	मात्रा	इकाई	दर (रूपयों में)	राशि (रू.लाख में)
1.	तेन्दू पत्ता (अग्रिम निविदा में विक्रय)	2024	15.556	लाख मानक बोरा	6900.00 प्रति मानक बोरा	107336.40
योग						**107336.40**

अनुमानित व्यय वर्ष 2025-26

अ. क्र.	वनोपज का नाम	संग्रहण वर्ष	मात्रा	इकाई	दर (रूपयों में)	राशि (रू.लाख में)
1.	तेन्दू पत्ता (अग्रिम निविदा में विक्रय)	2025	16.720	लाख मानक बोरा	6900.00 प्रति मानक बोरा	115368.00
योग						**115368.00**

(ब) अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज व्यापार / विकास का वित्तीय वर्ष 2024-25 में पुनरीक्षित व्यय बजट तथा 2025-26 का प्रस्तावित व्यय बजट

(राशि रू. लाख में)

क्र.	मद क्रमांक	मद एवं उपमद का नाम	विवरण	2024-25 स्वीकृत बजट	2024-25 पुनरीक्षित बजट	2025-26 प्रस्तावित बजट
1	2	3	4	5	6	7
1	**7**	**न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज संग्रहण योजना**	**केन्द्र प्रवर्तित योजना**	**17402.00**	**6700.00**	**7450.00**
	7.1	कच्चे लघु वनोपज पर व्यय				
	7.1.1	कच्चे लघु वनोपज का क्रय मूल्य		12600.00	5000.00	5500.00
	7.1.2	कच्चे लघु वनोपज संग्रहण / भंडारण पर व्यय		2800.00	800.00	1000.00
	7.2.2	कच्चे लघु वनोपज प्रसंस्करण आदि पर व्यय		1750.00	750.00	800.00
	7.3	प्रशासकीय व्यय		252.00	150.00	150.00
2	**8**	**प्रधान मंत्री वन धन योजना**	**केन्द्र क्षेत्रीय योजना**	**1100.00**	**400.00**	**300.00**
	8.1	वन धन केन्द्र स्थापना / उपकरण व्यवस्था		400.00	100.00	100.00
	8.2	प्रसंस्करण केन्द्र हेतु कार्यपूंजी		600.00	250.00	150.00
	8.3	क्षमता विकास		100.00	50.00	50.00
3	**9**	**प्रधान मंत्री जन मन योजना**	**केन्द्र क्षेत्रीय योजना**	**0.00**	**59.88**	**59.88**
4	**31**	**लोक संरक्षित क्षेत्र - 01 (संघ मद) परियोजना**	**संघ पोषित योजना**	**1305.00**	**880.00**	**890.00**
	31.1	संसाधन सर्वेक्षण		50.00	50.00	60.00
	31.2	अंतःस्थलीय संवर्धन		1000.00	600.00	600.00
	31.3	बाह्यस्थलीय संवर्धन एवं औषधि रोपणी		150.00	100.00	100.00
	31.4	क्षमता विकास		50.00	75.00	75.00
	31.5	वन औषधालय		45.00	45.00	45.00
	31.6	अन्य व्यय		10.00	10.00	10.00

क्र.	मद क्रमांक	मद एवं उपमद का नाम	विवरण	2024-25 स्वीकृत बजट	2024-25 पुनरीक्षित बजट	2025-26 प्रस्तावित बजट
5	**32**	**आदिवासी उप योजना 41-5091 (राज्य शासन) लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना**	**राज्य योजना**	**480.00**	**212.00**	**212.00**
	32.1	संसाधन सर्वेक्षण		50.00	15.00	15.00
	32.2	अंतःस्थलीय संवर्धन		225.00	100.00	100.00
	32.3	बाह्यस्थलीय संवर्धन एवं औषधि रोपणी		125.00	60.00	60.00
	32.4	क्षमता विकास		30.00	15.00	15.00
	32.5	वन औषधालय		40.00	10.00	10.00
	32.6	अन्य व्यय		10.00	12.00	12.00
6	**35**	**लाख विकास योजना**	**राज्य योजना**	**400.00**	**200.00**	**200.00**
	35.1	लाख संबंधी सर्वेक्षण		50.00	10.00	10.00
	35.2	लाख पालन परियोजना		70.00	110.00	110.00
	35.3	लाख प्रसंस्करण		100.00	10.00	10.00
	35.4	लाख विषय पर क्षमता विकास		100.00	50.00	50.00
	35.5	लाख अनुसंधान एवं विस्तार		50.00	5.00	5.00
	35.6	लाख आधारित उद्यमिता विकास		15.00	5.00	5.00
	35.7	लाख पालन हेतु ऋण तथा बीमा योजना		10.00	5.00	5.00
	35.8	लाख विकास योजना (अन्य व्यय)		5.00	5.00	5.00
7	**40**	**41-2406-0802-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जनजाति उपयोजना 09041-वानिकी (5231)**	**केन्द्र प्रवर्तित योजना**	**1500.00**	**600.00**	**350.00**
	40.1	हाट बाजार उन्नयन		500.00	250.00	150.00
	40.2	गोदाम निर्माण		500.00	250.00	125.00
	40.3	अन्य विकास कार्य		500.00	100.00	75.00
8	**42**	**सिल्क समग्र योजना-2 (90%)**	**केन्द्र प्रवर्तित योजना**	**300.00**	**150.00**	**100.00**

क्र.	मद क्रमांक	मद एवं उपमद का नाम	विवरण	2024-25 स्वीकृत बजट	2024-25 पुनरीक्षित बजट	2025-26 प्रस्तावित बजट
9	**46**	**प्रसंस्करण केन्द्र अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अ.ज.जा.) 14-2406-102-5231 लघु वनोपज कार्य हेतु**	**केन्द्र क्षेत्रीय योजना**	**2325.00**	**300.00**	**300.00**
	46.1	प्रसंस्करण केन्द्रों का भवन निर्माण व्यय		700.00	50.00	50.00
	46.2	प्रसंस्करण केन्द्रो का मशीनरी व्यय		1300.00	100.00	100.00
	46.3	स्थापना व्यय / तकनीकी सहायता / क्षमता विकास		75.00	50.00	50.00
	46.5	अन्य व्यय		50.00	50.00	50.00
	46.6	अधोसंरचना निर्माण		200.00	50.00	50.00
10	**47**	**लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान 41-2406-01-0702 एवं 0705-(6373)**	**केन्द्र प्रवर्तित योजना**	**1000.00**	**150.00**	**150.00**
11	**48**	**लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान 41-2406-01-102-0102-5231**	**राज्य योजना**	**1.00**	**1.00**	**1.00**
12	**50**	**लघु वनोपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान (अ.ज.जा.) 41-2406-800-0102-(0802) (5231)**	**राज्य योजना**	**2000.00**	**2000.00**	**2000.00**
	50.1	**लघु वनोपज व्यापार में हानि प्रतिपूर्ति (मिलेट आदि)**		1000.00	1000.00	1000.00
	50.2	**मिलेट उत्पाद प्रमोशन**		1000.00	1000.00	1000.00
13	**53**	**लघु वनोपज आधारित उद्यमिता विकास**	**संघ पोषित योजना (संघ के अग्रिम ब्याज से)**	**100.00**	**20.00**	**40.00**
	53.1	उद्यमिता विकास कार्यक्रम		25.00	5.00	10.00
	53.2	उद्यमिता संबंधी कार्यशाला आदि आयोजन		25.00	5.00	10.00
	53.3	विशेषज्ञ सेवाएँ		25.00	5.00	10.00
	53.4	उद्यमी विकास संबंधी अन्य कार्य		25.00	5.00	10.00
14	**54**	**अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज - क्षमता विकास परियोजना**	**अन्य स्रोत (NRLM) आदि**	**0.00**	**1.00**	**0.00**
15	**55**	**विश्व बैंक सहायता प्राप्त चिराग परियोजना**	**बाह्य सहायता प्राप्त**	**1.00**	**0.00**	**0.00**

क्र.	मद क्रमांक	मद एवं उपमद का नाम	विवरण	2024-25 स्वीकृत बजट	2024-25 पुनरीक्षित बजट	2025-26 प्रस्तावित बजट
16	**60**	**लघु वनोपज व्यापार एवं विकास**	**संघ पोषित योजना (15 प्रतिशत लाभांश राशि)**	**22802.00**	**11902.00**	**11902.00**
	60.1	लघु वनोपज क्षेत्र संवर्धन / उत्पादन		1.00	1.00	1.00
	60.2	लघु वनोपज प्रजाति रोपण / औषधि खेती		1.00	1.00	1.00
	60.3	लाख विकास		300.00	300.00	300.00
	60.4	कच्चे लघु वनोपज का क्रय, संग्रहण / भंडारण पर व्यय		7000.00	1500.00	1500.00
	60.5	**प्रसंस्कृत लघु वनोपज पर व्यय**		1000.00	800.00	800.00
	60.6	**लघु वनोपज विपणन**		**2500.00**	**2000.00**	**2000.00**
	60.6.1	मार्ट व्यापार हेतु चक्रीय निधि		1500.00	1000.00	1000.00
	60.6.2	विपणन हेतु ब्राण्ड प्रमोशन आदि		1000.00	1000.00	1000.00
	60.7	**अनुसंधान एवं विस्तार**		**700.00**	**700.00**	**700.00**
	60.8	**सूचना प्रबंधन प्रणाली**		**1000.00**	**500.00**	**500.00**
	60.9	**मानव संसाधन विकास**		**1700.00**	**900.00**	**900.00**
	60.9.1	मानव संसाधन पर व्यय		600.00	300.00	300.00
	60.9.2	क्षमता विकास		800.00	450.00	450.00
	60.9.3	वन धन मित्र मानदेय पर व्यय		300.00	150.00	150.00
	60.10	**प्रसंस्करण इकाईयों का विकास**		**4900.00**	**4450.00**	**4450.00**
	60.10.1	केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई		4000.00	4000.00	4000.00
	60.10.2	क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाईयाँ		100.00	150.00	150.00
	60.10.3	जिला स्तरीय प्रसंस्करण इकाईयाँ		800.00	300.00	300.00
	60.11	**अधोसंरचना विकास**		**3700.00**	**750.00**	**750.00**
	60.11.1	नवीन भवन निर्माण		3000.00	400.00	400.00
	60.11.2	भवन मरम्मत		200.00	200.00	200.00
	60.11.3	अन्य अधोसंरचनाएँ		500.00	150.00	150.00
			योग :-	**50716.00**	**23575.88**	**23954.88**

टीप :-

1. राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप 15 प्रतिशत की राशि से लघु वनोपजों के व्यापार एवं विकास के तारतम्य में मद क्रमांक - 60 लघु वनोपज व्यापार एवं विकास के अंतर्गत् उप मदों में परिवर्तन कर वित्तीय वर्ष 2024-25 का पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तावित किया गया है।

2. वित्तीय वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित बजट तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट अंतर्गत् मद क्रमांक 9 सम्मिलित किया गया है। मद क्रमांक 9 प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत् परियोजना की राशि का निर्वहन केन्द्र सरकार द्वारा किया जावेगा।

3. अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज व्यापार एवं विकास अंतर्गत् वित्तीय वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित बजट तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट के अंतर्गत मद क्र.42 सम्मिलित किया गया है। परियोजना हेतु केन्द्रीय रेशम बोर्ड एवं छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ के मध्य 90:10 के अनुपात में मद क्र. 42 (सिल्क समग्र योजना-2) एवं मद क्र. 60.10.3 (जिला स्तरीय प्रसंस्करण इकाईयां) अंतर्गत् परियोजना लागत की राशि का निर्वहन किया जावेगा।

4. अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज व्यापार एवं विकास अंतर्गत् वित्तीय वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित बजट तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट के अंतर्गत् मद क्र. 47 लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान केन्द्र प्रवर्तित योजना सम्मिलित किया गया है, जिसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP), इनक्यूबेशन सेन्टर, आदि से संबंधित व्यय भारित किया जावेगा।

5. वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत मद क्रमांक 47 में पुनरीक्षित बजट तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट के अंतर्गत् मद क्रमांक 48 लघु वनोपज प्रसंस्करण को अनुदान राज्य योजना में सम्मिलित किया गया है।

(स) कार्यालयीन व्यवस्था व्यय (रूपये लाख में)							
मद क्रमांक	मद	वर्ष 2024-25					वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्ताव
		स्वीकृत बजट	माह अगस्त 2024 तक का व्यय	शेष 07 माह का अनुमानित व्यय	योग	पुनरीक्षित बजट	
1	2	3	4	5	6	7	8
13.1	वेतन एवं भत्ते	1000.00	355.38	544.62	900.00	900.00	1000.00
13.3	कर्मचारी बोनस	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
13.4	भवन किराया	10.00	3.40	4.76	8.16	10.00	5.00
13.5	अन्य भत्ते	25.00	7.13	9.98	17.11	20.00	25.00
13.6	यात्रा भत्ता	30.00	2.55	5.57	8.12	10.00	20.00
13.7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	50.00	11.13	35.87	47.00	50.00	50.00
13.8	स्टेशनरी आदि क्रय	15.00	4.96	6.94	11.90	12.00	15.00
13.8.1	फोटोकापी एवं छपाई व्यय	20.00	0.84	4.00	4.84	5.00	10.00
13.10	टेलीफोन एवं इन्स्टालेशन/लीज़ व्यय	15.00	2.83	3.96	6.79	10.00	10.00
13.11	बिजली एवं पानी व्यय	30.00	8.59	21.03	29.62	30.00	40.00
13.12	पोस्टेज	1.00	0.18	0.25	0.43	1.00	1.00
13.13	विज्ञापन एवं निविदा व्यय	30.00	4.41	6.17	10.58	11.00	20.00
13.13.1	प्रचार-प्रसार	15.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00
13.14.1	प्रशिक्षण	20.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00
13.14.2	सम्मेलन व्यय	5.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
13.18	न्यायालयीन/विविध व्यय	40.00	44.13	51.78	95.91	100.00	100.00
13.22	अंकेक्षण शुल्क	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00
13.23.1	फर्नीचर मरम्मत	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
13.23.2	कम्प्यूटर/प्रिंटर/अन्य उपकरण मरम्मत/व्यय	15.00	3.74	5.24	8.98	10.00	15.00
13.24	अतिथि सत्कार, बैठक आयोजन पर व्यय	30.00	5.41	7.57	12.98	15.00	20.00
13.25.1	वाहन ईन्धन व्यय	40.00	10.80	15.12	25.92	30.00	40.00
13.27	वाहन मरम्मत व्यय	10.00	0.85	1.19	2.04	5.00	10.00
13.28	वाहन किराया	90.00	15.71	21.99	37.70	40.00	50.00

13.29	वाहन बीमा एवं अन्य व्यय		**2.00**	1.21	0.69	**1.90**	**2.00**	**2.00**
13.30	विशेष मरम्मत (गोदाम, कार्यालय, आवासीय एवं प्रसंस्करण केन्द्र)		**1000.00**	114.82	160.75	**275.57**	**300.00**	**1000.00**
13.31	विविध व्यय		**30.00**	2.49	6.49	**8.98**	**10.00**	**10.00**
13.33	ग्रेज्युटी (उपादान)		**200.00**	0.00	200.00	**200.00**	**200.00**	**200.00**
13.34	सेवानिवृत्त अवकाश नगदीकरण (उपादान)		**100.00**	0.00	100.00	**100.00**	**100.00**	**100.00**
13.35	किताब पत्रिका क्रय		**2.00**	0.04	0.06	**0.10**	**0.50**	**0.50**
13.36	विभिन्न भवनो, परिसरो का रख रखाव/मरम्मत		**35.00**	12.68	20.75	**33.43**	**35.00**	**50.00**
13.37	उत्कृष्टता सम्मान पुरस्कार		**5.00**	0.00	0.00	**0.00**	**1.00**	**1.00**
13.38	घसारा (डेपरिशिएशन)		**600.00**	0.00	660.00	**660.00**	**660.00**	**700.00**
13.39	सलाहाकार सेवाएं पर व्यय		**370.00**	**23.40**	**32.76**	**56.16**	**60.00**	**60.00**
	13.39.1	व्यावसायिक	**300.00**	16.50	23.10	**39.60**	**40.00**	**40.00**
	13.39.2	तकनीकि	**70.00**	6.90	9.66	**16.56**	**20.00**	**20.00**
14.4	ई.पी.एफ. अंशदान		**200.00**	60.67	84.94	**145.61**	**150.00**	**200.00**
14.4.1	पेंशन अंशदान		**60.00**	15.85	22.19	**38.04**	**40.00**	**60.00**
योग:-			**4137.00**	**713.20**	**2014.68**	**2727.88**	**2810.50**	**3867.50**

(द) जिला यूनियनों / समितियों का स्थापना / प्रशासनिक व्यय (रूपये लाख में)		
विवरण	**वर्ष 2024-25**	**वर्ष 2025-26**
जिला यूनियनों का स्थापना / प्रशासनिक व्यय	**5000.00**	**6000.00**
समितियों का स्थापना / प्रशासनिक व्यय	**3500.00**	**5000.00**

(इ) संग्राहक मूलक योजनाओं पर व्यय (प्राप्त ब्याज की राशि से व्यय) (रूपये लाख में)								
मद क्रमांक	मद		वर्ष 2024-25					वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्ताव
			स्वीकृत बजट	माह अगस्त 2024 तक का व्यय	शेष 07 माह का अनुमानित व्यय	योग	पुनरीक्षित बजट	
1	2		3	4	5	6	7	8
17	बीमा योजनाये		**8870.00**	**1783.75**	**5387.00**	**7170.75**	**7356.75**	**6370.00**
	17.1	शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना	4500.00	1714.00	1100.00	**2814.00**	3000.00	0.00
	17.6	राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना	4000.00	0.00	4000.00	**4000.00**	4000.00	6000.00
	17.2	तेंदूपत्ता संग्राहक सामुहिक सुरक्षा योजना (परिवार बीमा योजना)	300.00	18.00	282.00	**300.00**	300.00	300.00
	17.3	फड मुंशी बीमा योजना (LIC)	60.00	45.00	5.00	**50.00**	50.00	60.00
	17.4	समिति प्रबंधको की बीमा योजना (LIC)	10.00	6.75	0.00	**6.75**	6.75	10.00
17.5	मेघावी व प्रतिभाशाली शिक्षा प्रोत्साहन योजना (छात्रवृत्ति)		1200.00	64.38	935.62	**1000.00**	1000.00	1200.00
योगः-			**10070.00**	**1848.13**	**6322.62**	**8170.75**	**8356.75**	**7570.00**
टीपः-	**राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना हेतु 75 प्रतिशत की राशि राज्य शासन से सहायक अनुदान एवं 25 प्रतिशत संघ द्वारा व्यय की जावेगी।**							
	शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना हेतु 50 प्रतिशत की राशि राज्य शासन से सहायक अनुदान एवं 50 प्रतिशत संघ द्वारा व्यय की जावेगी।							

(फ) पूंजीगत व्यय (रूपये लाख में)								
मद क्रमांक	मद		वर्ष 2024-25					वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्ताव
			स्वीकृत बजट	माह अगस्त 2024 तक का व्यय	शेष 07 माह का अनुमानित व्यय	योग	पुनरीक्षित बजट	
1	2		3	4	5	6	7	8
25	निर्माण (अचल सम्पत्ति)		**2100.00**	**120.00**	**630.00**	**750.00**	**750.00**	**1350.00**
	25.11	भवन निर्माण (मुख्यालय / आवासीय भवन)	300.00	0.00	50.00	**50.00**	50.00	50.00
	25.9	भवन निर्माण (जिला यूनियन / प्राथमिक समिति)	300.00	20.00	180.00	**200.00**	200.00	300.00
	25.8	गोदाम निर्माण	1500.00	100.00	400.00	**500.00**	500.00	1000.00
25.1	कम्प्यूटर एवं संबंधित उपकरण क्रय		50.00	2.03	2.84	**4.87**	5.00	5.00
25.2	अंशपूंजी क्रय		10.00	10.00	0.00	**10.00**	10.00	10.00
25.4	फर्नीचर, उपस्कर, आंतरिक साज-सज्जा क्रय		600.00	2.00	2.80	**4.80**	5.00	10.00
25.5	वाहन क्रय		40.00	0.00	40.00	**40.00**	40.00	40.00
25.7	कार्यालयीन उपकरण क्रय		10.00	0.00	5.00	**5.00**	5.00	5.00
योगः-			**2810.00**	**134.03**	**680.64**	**814.67**	**815.00**	**1420.00**

(भ) NWFP मार्ट से संबंधित विपणन व्यय (लाख में)

मद क्रमांक	मद	वर्ष 2024-25					वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्ताव
		स्वीकृत बजट	माह अगस्त 2024 तक का व्यय	शेष 07 माह का अनुमानित व्यय	योग	पुनरीक्षित बजट	
1	2	3	4	5	6	7	8
61	**NWFP मार्ट से संबंधित विपणन व्यय**						
61.1	मजदूरी एवं पारिश्रमिक	27.00	11.40	12.55	23.95	25.00	27.00
61.2	विघुत व्यय	7.00	1.80	2.10	3.90	6.00	8.00
61.3	भवन, परिसर का रख रखाव/ मरम्मत	4.00	1.20	1.50	2.70	3.00	4.00
61.4	टेलीफोन एवं इंटरनेट व्यय	2.00	0.80	1.10	1.90	2.00	2.10
61.5	कम्प्यूटर एवं स्टेशनरी व्यय	3.00	0.75	1.20	1.95	3.00	3.20
61.6	परिवहन व्यय	4.00	2.20	2.50	4.70	5.00	5.00
61.7	प्रचार-प्रसार	20.00	5.00	12.00	17.00	20.00	20.00
61.8	सामग्री से संबंधित व्यय (पैकेजिंग)	120.00	60.50	60.00	120.50	120.00	125.00
61.9	सामग्री से संबंधित व्यय (कच्चे वनोपज)	400.00	108.50	200.00	308.50	400.00	400.00
61.10	प्रसंस्करण केन्द्रों को उत्पाद का भुगतान	650.00	212.50	350.00	562.50	650.00	675.00
61.11	अन्य व्यय	4.00	1.50	2.50	4.00	4.00	4.50
योगः-		**1241.00**	**406.15**	**645.45**	**1051.60**	**1238.00**	**1273.80**

नोटः- 1. मार्ट संचालन हेतु चक्रीय निधि मद क्रमांक 60.6.1 से राशि प्रदाय की जायेगी। मार्ट से प्रसंस्कृत उत्पादों के विक्रय से प्राप्त राशि का उपयोग करते हुए उक्त मदों/उपमदों में राशि व्यय की जायेगी। संघ पर कोई वित्तीय भार नहीं होगा।

2. चक्रीय निधि का उपयोग मार्ट के संचालन हेतु किया जायेगा तथा यह राशि संघ को वापसी योग्य होगी।

अनुमानित आय

(अ) राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज निर्वर्तन से आय

वर्ष 2025-26 में वनोपज की बिक्री से **रू. 90024.00** लाख प्राप्त होने का अनुमान है, जिसका वनोपजवार विवरण निम्नानुसार है:-

अ.क्र.	वनोपज का नाम	प्रस्तावित राशि (रूपये लाख में)
1.	तेन्दू पत्ता	90024.00
	योग	**90024.00**

उपरोक्त तालिका में दर्शायी आय का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

अ. क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
1.	**अ.** वर्ष 2025 संग्रहण काल में कुल संग्रहण अनुमान 16.720 लाख मानक बोरा हरे पत्ते के अग्रिम में विक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 10.000 लाख मानक बोरा के अनुमानित रू. 6200/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य का 90% राशि **ब.** वर्ष 2025 संग्रहण काल में अग्रिम में अविक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 6.72 लाख मानक बोरा की 75% मात्रा हेतु अनुमानित रू. 5600/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य की राशि	55800.00 28224.00
2.	वर्ष 2026 संग्रहण काल में कुल संग्रहण अनुमान 16.720 लाख मानक बोरा हरे पत्ते के अग्रिम में विक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 10.000 लाख मानक बोरा के अनुमानित रू. 6000/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य का 10% राशि	6000.00
	योग	**90024.00**

(ब) विभिन्न बैंको में संघ की जमा निधियों से प्राप्त ब्याज (2025-26)

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में) (अनुमानित)
1.	संघ की जमा निधियों पर प्राप्त ब्याज	4000.00

(स) वित्तीय वर्ष 2025-26 में तेन्दू पत्ता संग्राहकों हेतु सामाजिक सुरक्षा योजनांतर्गत छ.ग. शासन से प्रस्तावित अनुदान की राशि

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
1.	राज्य शासन से राजमोहिनी देवी तेन्दू पत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना हेतु प्रस्तावित अनुदान	**4500.00**

लघु वनोपज संघ द्वारा तेंदुपत्ता संग्राहकों हेतु शहीद महेन्द्र कर्मा सामाजिक सुरक्षा योजना संचालित थी, जिस हेतु छ.ग. शासन द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान प्राप्त होता था। मंत्रीपरिषद् के निर्णयानुसार शहीद महेन्द्र कर्मा सामाजिक सुरक्षा योजना के स्थान पर राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना प्रांरभ किया गया है जिस हेतु छ.ग. शासन द्वारा 75 प्रतिशत अनुदान दिया जावेगा। अतः मंत्रीपरिषद् के निर्णयानुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजमोहिनी देवी तेन्दू पत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजनांतर्गत राशि रू. 45 करोड़ छ.ग. शासन से प्राप्त होना अपेक्षित हैं।

(द) तेन्दू पत्ता व्यापार से हानि का राज्य शासन से प्रतिपूर्ति राशि (2025-26)

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
1.	वर्ष 2024 में तेन्दू पत्ता व्यापार से कुल 574 लॉट में हानि का राज्य शासन से प्रतिपूर्ति राशि	**20836.00**

तेंदूपत्ता संग्रहण सीजन 2024 में आंकलित क्षति की प्रतिपूर्ति छ.ग शासन से बजट के रूप में प्राप्त होने के संबंध में :-

छ.ग शासन के घोषणा अनुसार संग्रहण पारिश्रमिक की दर राशि रूपये 5500/- प्रति मानक बोरा की दर से संग्राहकों को भुगतान किया गया है।

संग्रहण पारिश्रमिक की दर में वृद्धि होने से लघु वनोपज संघ को 574 लॉटों पर राशि रूपये 208.36 करोड़ की हानि आंकलित हुई है।

छ.ग शासन मंत्रि परिषद् के निर्णयानुसार तेंदूपत्ता के संग्रहण एवं विपणन कार्य से होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति छ.ग शासन द्वारा बजट अनुदान के रूप में किया जावेगा।

संघ द्वारा पत्र क्रमांक/13645 दिनांक 21.10.2024 के माध्यम से हानि की राशि रूपये 208.36 करोड़ की प्रतिपूर्ति हेतु शासन को लेख किया गया है। तद्नुसार लघु वनोपज संघ को संग्रहण सीजन वर्ष 2024 के व्यापार से आंकलित हानि रूपये 208.36 करोड़ छ.ग शासन से बजट के रूप में प्राप्त होना अपेक्षित है।

(द) अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज व्यापार / विकास का वित्तीय वर्ष 2024-25 में पुनरीक्षित राजस्व बजट एवं 2025-26 का प्रस्तावित राजस्व बजट

(राशि रू. लाख में)

क्र.	मद क्रमांक	मद एवं उपमद का नाम	विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25 स्वीकृत	वित्तीय वर्ष 2024-25 पुनरीक्षित	वित्तीय वर्ष 2025-26 प्रस्तावित
1	2	3	4	5	6	7
		अ - विक्रय से प्राप्त आय				
1	**42**	**न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत विक्रय से प्राप्त आय**	**केन्द्र प्रवर्तित योजना**	**17200.00**	**12200.00**	**12500.00**
	42.1	कच्चे लघु वनोपज विक्रय से आय		9000.00	5000.00	5000.00
	42.2	प्रसंस्कृत लघु वनोपज विक्रय से आय		2000.00	1500.00	1800.00
	42.3	लघु वनोपज व्यापार में हानि प्रतिपूर्ति	**केन्द्र प्रवर्तित योजना**	6000.00	5500.00	5500.00
	42.4	अन्य आय		200.00	200.00	200.00
2	**61**	**लघु वनोपज व्यापार एवं विकास मद के अंतर्गत विक्रय से प्राप्त आय**	**संघ पोषित योजना**	**4300.00**	**1800.00**	**1400.00**
	61.1	कच्चे लघु वनोपज विक्रय से आय		3500.00	1000.00	800.00
	61.2	प्रसंस्कृत लघु वनोपज विक्रय से आय		800.00	800.00	600.00
	61.3	लघु वनोपज व्यापार में हानि प्रतिपूर्ति (मद क्र. 50.1 से प्राप्त राशि से समायोजन)		(1000)	(1000)	(1000)
		योगः-		**21500.00**	**14000.00**	**13900.00**

ब - अनुदान एवं उपलब्ध राशि						
3	7	न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज संग्रहण योजना	केन्द्र प्रवर्तित योजना	5000.00	1000.00	1000.00
4	8	वनधन विकास केन्द्र योजना		500.00	0.00	0.00
5	9	प्रधानमंत्री जन मन योजना		0.00	59.88	59.88
6	31	लोक संरक्षित क्षेत्र - 01 संघ मद परियोजना	संघ पोषित योजना	1305.00	1035.00	1710.00
7	32	आदिवासी उप योजना 41-5091 (राज्य शासन) लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना	राज्य शासन योजना	480.00	212.00	212.00
8	35	लाख विकास योजना	राज्य योजना	400.00	200.00	200.00
9	40	गोदाम निर्माण एवं हाट बाजार उन्नयन	केन्द्र प्रवर्तित योजना	1000.00	0.00	0.00
10	42	सिल्क समग्र योजना-2	केन्द्र प्रवर्तित योजना	300.00	30.00	30.00
11	46	प्रसंस्करण केन्द्र अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अ.ज.जा.) 14-2406-102-5231 लघु वनोपज कार्य हेतु	केन्द्र क्षेत्रीय योजना	2325.00	0.00	0.00
12	47	लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान 41-2406-01-0702 एवं 0705-(6373)	केन्द्र प्रवर्तित योजना	1000.00	0.00	0.00
13	48	लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान 41-2406-01-102-0102-5231	राज्य योजना	1.00	1.00	1.00
14	50	लघु वनोपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान (अ.ज.जा.) 41-2406-800-0102-(0802)(5231)	राज्य योजना	2000.00	2000.00	2000.00
	50.1	लघु वनोपज व्यापार में हानि प्रतिपूर्ति (मिलेट आदि) (मद क्र. 60.3 में समायोजन)		1000.00	1000.00	1000.00
	50.2	मिलेट उत्पाद प्रमोशन		1000.00	1000.00	1000.00
15	54	अराष्ट्रीयकृत लघु योजना - क्षमता विकास परियोजना	अन्य स्रोत (NRLM) आदि	0.00	1.00	0.00
16	55	विश्व बैंक सहायता प्राप्त चिराग परियोजना	बाहूय सहायता प्राप्त	1.00	0.00	0.00

17	60	लघु वनोपज का व्यापार एवं विकास (पूर्व में मद क्रमांक - 27.11) 15 प्रतिशत की राशि	संघ पोषित योजना	20000.00	1425.00	1300.00
योग :-				34312.00	5963.88	6512.88
स - ऋण						
18	-	निरंक	-	-	-	-
महायोग :-				55812.00	19963.88	20412.88

<u>टीप</u> :- उपरोक्त मदों के अंतर्गत् संघ के पास उपलब्ध राशि में प्राप्त ब्याज की राशि भी सम्मिलित है।

<u>नोट</u> :-

1. लोक संरक्षित क्षेत्र योजनांतर्गत (01 संघ मद परियोजना) में मार्च 2024 की स्थिति में राशि रू. **<u>70.80</u>** करोड़ शेष है।
2. आदिवासी उप योजना 41-5091 (राज्य शासन) लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना (राज्य शासन योजना) में मार्च 2024 की स्थिति में राशि रू. **<u>3.32</u>** करोड़ शेष है।
3. छ.ग. राज्य में अकाष्ठीय वनोपज आधारित रोजगारान्मुखी परियोजना संघ पोषित योजना (ब्याज मद से) मार्च 2024 की स्थिति में राशि रू. **<u>17.52</u>** करोड़ शेष है।
4. लाख विकास योजना (राज्य शासन योजना) में मार्च 2023 की स्थिति में राशि रू. **<u>3.54</u>** करोड़ शेष है।
5. लघु वनोपज का व्यापार एवं विकास (पूर्व में मद क्रं. 27.11) तेंदू पत्ता लाभांश की 15 प्रतिशत की राशि (संघ पोषित योजना) में मार्च 2023 की स्थिति में राशि रू. **<u>440.09</u>** करोड़ शेष है।
6. उपरोक्त शेष राशियों में असमायोजित राशि सम्मिलित है।

NWFP- Mart से संबंधित विपणन आय (राशि लाख में)				
मद क्रमांक	मद	स्वीकृत बजट (2024-25)	पुनरीक्षित बजट (2024-25)	बजट प्रस्ताव (2025-26)
1	2	3	4	5
62.13.1	विक्रय से प्राप्त आय	800.00	1000.00	1800.00
62.13.2	अन्य आय	15.00	12.00	12.00
	योगः-	**815.00**	**1012.00**	**1812.00**

C- Mart से संबंधित विपणन आय (राशि लाख में)				
मद क्रमांक	मद	स्वीकृत बजट (2024-25)	पुनरीक्षित बजट (2024-25)	बजट प्रस्ताव (2025-26)
1	2	3	4	5
62.14.1	विक्रय से प्राप्त आय	1000.00	500.00	700.00
62.14.2	चक्रीय निधि (राज्य शासन से प्राप्त अनुदान)	0.00	0.00	0.00
62.14.3	अन्य आय	10.00	5.00	5.00
	योगः-	**1010.00**	**505.00**	**705.00**

नोटः-

1. चक्रीय निधि राज्य शासन द्वारा प्रदाय की जायेगी, जिसका उपयोग उत्पादन क्रेताओं को त्वरित भुगतान हेतु किया जायेगा। चूंकि संचालक द्वारा उत्पादों की प्राप्ति के 45 दिवस के भीतर भुगतान का प्रावधान है, तथा उत्पादकों को 07 दिवस के भीतर भुगतान का प्रावधान है।
2. प्रथम वर्ष में विक्रय से प्राप्त आय कुल व्यय से कम है चूंकि संचालक से राशि प्राप्ति की अवधि 45 दिन की है, जो लेनदारी के रूप में रहेगी।

आय एवं व्यय का संक्षिप्त विवरण (वर्ष 2025-26)

अ.क्र.	आय	राशि (रूपये लाख में)
1.	राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के बिक्री से आय	**90024.00**
2.	संघ की जमा निधियों पर प्राप्त ब्याज	**4000.00**
3.	तेन्दू पत्ता संग्राहकों की सामाजिक सुरक्षा योजना हेतु प्राप्त राशि	**4500.00**
4.	अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज व्यापार / विकास के लिये प्राप्त राशि	**20412.88**
5.	तेन्दू पत्ता व्यापार से हानि का राज्य शासन से प्रतिपुर्ति	**20836.00**
	योग	**139772.88**

अ.क्र.	व्यय	राशि (रूपये लाख में)
1.	कुल संग्रहण व्यय	**115368.00**
2.	कार्यालयीन व्यवस्था व्यय	**3867.50**
3.	संग्राहकमूलक योजनाओं पर व्यय	**7570.00**
4.	पूंजीगत व्यय	**1420.00**
5.	अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज व्यापार / विकास एवं विपणन पर व्यय	**23954.88**
6.	प्रारंभिक स्कन्ध का मूल्य	**0.00**
7.	प्राथमिक समितियों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक, अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय / विक्रय, भंडारण तथा प्रसंस्करण हेतु तथा घाटे वाली समितियों के घाटे की अस्थायी प्रतिपूर्ति हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली राशि	**निरंक**
योग		**152180.38**

आधिक्य / कमी (लाख में)

1.	कुल आय	**139772.88**
2.	कुल व्यय	**152180.38**
3.	संघ का शुद्ध लाभ / हानि **(1-2)**	**12407.50** (हानि)

संघ की पूंजी (शीड केपीटल) (लाख में)

1.	संघ की पूंजी (शीड केपीटल)	**11579.75**

वर्ष 2024-25 में स्वीकृत बजट के विरूद्ध अनुपूरक / पुनरीक्षित बजट का अनुमोदन

वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु स्वीकृत बजट के विरूद्ध **दिनांक 31.08.2024 की स्थिति में हुए वास्तवित व्यय एवं आगामी 7 माह में अधिक व्यय होना संभावित है।** आमसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु स्वीकृत बजट के अंतर्गत कुछ मदों में अतिरिक्त व्यय निम्नानुसार प्रस्तावित है:-

1. **न्यायालयीन / विविध व्यय** :- न्यायालयीन / विविध व्यय में स्वीकृत बजट राशि रूपये 40.00 लाख के विरूद्ध माह अगस्त-2024 तक राशि रू. 44.13 लाख व्यय हो चुका है। आगामी माह में उक्त व्यय के अनुपात में अधिक व्यय होने के कारण राशि रू. 100.00 लाख का व्यय संभावित है।

अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज व्यापार / विकास

अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज/औषधी पौधों के विकास संबंधी परियोजनाओं हेतु वर्ष 2024-25 का पुनरीक्षित बजट तथा वर्ष 2025-26 का प्रस्तावित बजट

अ. अनुमानित व्यय शीर्ष

1. न्यूनतम समर्थन मूल्य संग्रहण योजना (मद क्रमांक - 7)

न्यूनतम समर्थन मूल्य संग्रहण संवर्धन योजना अंतर्गत कच्चे लघु वनोपज क्रय एवं क्रय किए गए कच्चे लघु वनोपज के मूल्य संवर्द्धन हेतु पुनरीक्षित बजट वर्ष 2024-25 में राशि रू. 6700.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2025-26 में इस हेतु राशि रू. 7450.00 लाख प्रस्तावित है। उक्त राशि से 38 प्रकार के लघु वनोपज का क्रय एवं प्रसंस्करण योग्य लघु वनोपज का मूल्य संवर्द्धन का कार्य किया जावेगा।

2. प्रधान मंत्री वनधन विकास योजना मद (मद क्रमांक - 8)

प्राथमिक प्रसंस्करण / प्रसंस्करण से जुड़े वनधन विकास केन्द्रों के अंतर्गत् लगभग राशि रू. 40.00 करोड़ का उत्पाद निर्माण लक्ष्य वर्ष 2024-25 हेतु स्वीकृत किया गया है। योजनांतर्गत् प्रसंस्करण कार्य हेतु उपकरण व्यवस्था प्रसंस्करण हेतु कार्य पूंजी, क्षमता विकास एवं अधोसंरचना विकास कार्य हेतु राशि प्रस्तावित की जा रही है। ट्रायफेड नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशानुसार उक्त मद में वनधन विकास केन्द्र के समूहों को कार्य पूंजी राशि के रूप में राशि रू. 10 लाख जारी की गई है। वर्तमान वर्ष में ट्रायफेड नई दिल्ली को नवीन वनधन विकास केन्द्र स्थापना तथा पुराने वनधन विकास केन्द्र के अधोसंरचना विकास, प्रिमिटिव ट्राईब हेतु वन धन विकास केन्द्र स्वीकृति हेतु राशि प्रस्तावित की जा रही है। तदानुसार वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित बजट में राशि रू. 400.00 लाख एवं वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित बजट में राशि रू. 300.00 लाख प्रस्तावित की गई है।

3. प्रधानमंत्री जनमन योजना (मद कमांक - 9)

प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत् वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित बजट में राशि रू. 59.88 लाख एवं वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित बजट में राशि रू. 59.88 लाख प्रस्तावित की गई है।

4. लोक संरक्षित क्षेत्र-01 (संघ मद) परियोजना (मद कमांक - 31)

लघु वनोपज आधारित विकास कार्यों को जारी रखने के लिए यह आवश्यक है कि महत्वपूर्ण प्रजातियों का संरक्षण किया जावे। इस हेतु संघ मद में संचालित पी.पी.ए. योजना अंतर्गत् अंतःस्थली एवं बाहृय स्थली संवर्द्धन, गैर औषधि प्रजाति जैसे इमली, जामुन, चिरौंजी आदि तथा औषधि प्रजाति जैसे आँवला, सतावर, अश्वगंधा, सर्पगंधा आदि के किसानों के माध्यम से रोपण आदि कार्यों के लिए वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित बजट में राशि रू. 880.00 लाख तथा वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट में राशि रू. 890.00 लाख प्रस्तावित किया गया है।

5. आदिवासी उप योजना 41-5091 (राज्य शासन) लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना (मद क्रमांक - 32)

लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना कर महत्वपूर्ण लघु वनोपज के संरक्षण तथा औषधि एवं गैर औषधि पौधों के रोपण हेतु उक्त योजना में कार्य किया जावेगा। इस योजना में वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित बजट में राशि रू. 212.00 लाख तथा वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट में राशि रू. 212.00 लाख प्रस्तावित किया गया है।

6. लाख विकास योजना (मद कमांक - 35)

लाख को शासन द्वारा कृषि फसल घोषित किया गया है। तदानुसार योजना का स्वरूप पूर्णरूपेण परिवर्तित हो गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लाख पालन, प्रसंस्करण, अनुसंधान विस्तार, क्षमता विकास एवं लाख आधारित उद्यामिता विकास कार्यों के लिए पुनरीक्षित बजट में राशि रू. 200.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट में राशि रू. 200.00 लाख प्रस्तावित किया गया है।

7. 41-2406-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जनजाति उपयोजना 09041-वानिकी (5231) (मद कमांक - 40)

आदिवासी मामले के मंत्रालय भारत शासन से हाट बाजार उन्नयन / गोदाम निर्माण हेतु राशि प्राप्त हुई थी। उक्त राशि से महत्वपूर्ण हाट बाजार / वनधन केन्द्र जहॉ लघु वनोपज की पर्याप्त उपलब्धता हो, के अंतर्गत् उन्नयन एवं गोदाम निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इस हेतु वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित बजट हेतु राशि रू. 600.00 लाख तथा वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट में राशि रू. 350.00 लाख प्रस्तावित की गई है।

8. सिल्क समग्र योजना-2 (मद कमांक - 42)

सिल्क समग्र योजना रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड की योजना है। इस योजना के चार बड़े-बड़े अवयव हैं, जैसे- 1) अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण, तकनीक, हस्तांतरण एवं सूचना तकनीक, 2) बीज संगठन, 3) समन्वयन एवं बाजार निर्माण

तथा 4) गुणवत्ता अभिप्रमाणन प्रणालियाँ (QCS) / निर्यात ब्राण्ड प्रोत्साहन एवं तकनीक का उत्क्रमण। परियोजना हेतु केन्द्रीय रेशम बोर्ड एवं छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ के मध्य 90:10 के अनुपात में परियोजना लागत की राशि का निर्वहन किया जावेगा। इस हेतु वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित बजट तथा वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट में परियोजना लागत की 90 प्रतिशत राशि क्रमशः रू. 150.00 लाख तथा रु. 100.00 लाख इस मद अंतर्गत प्रस्तावित की गई है तथा संघ द्वारा परियोजना लागत की 10 प्रतिशत राशि रू. 17.00 लाख मद क्र. 60.10.3 जिला स्तरीय प्रसंस्करण इकाई अंतर्गत प्रस्तावित की गई है।

9. प्रसंस्करण केन्द्र अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (मद कमांक - 46)

अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मद में प्राप्त राशि से केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई (सेन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट) में आयुर्वेदिक औषधि का निर्माण प्रारंभ किया गया है एवं लघु वनोपज आधारित केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु अधोसंरचना निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जावेगा। इस हेतु वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित बजट हेतु राशि रू. 300.00 लाख तथा वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट में राशि रू. 300.00 लाख प्रस्तावित की गई है।

10. प्रसंस्करण केन्द्र (केन्द्र प्रवर्तित) योजना (मद कमांक - 47)

लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु प्राप्त राशि से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इनक्यूबेशन सेन्टर, आदि से संबंधित कार्य किया जावेगा। इस योजना हेतु वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित बजट हेतु राशि रू. 150.00 लाख तथा वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट में राशि रू. 150.00 लाख प्रस्तावित की गई है।

11. प्रसंस्करण केन्द्र (राज्य शासन) योजना (मद कमांक - 48)

इस योजना अंतर्गत् प्रसंस्करण केन्द्रों के निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित बजट एवं वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित बजट में क्रमशः राशि रू. 1.00-1.00 लाख प्रस्तावित की जा रही है।

12. लघु वनोपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान (अ.ज.जा.) 41-2406-800-0102-(0802) (5231) (मद कमांक - 50)

राज्य शासन से उक्त मद में कुल राशि रु. 20.00 करोड़ प्राप्त हुई है। उक्त राशि में से राशि रु. 10.00 करोड़ मिलेट एवं अन्य वनोपज के व्यापार में हुई हानि प्रतिपूर्ति तथा शेष राशि रु. 10.00 करोड़ का उपयोग मिलेट प्रमोशन हेतु किया जावेगा।

13. संघ को प्राप्त ब्याज की राशि से स्वीकृत छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना (मद कमांक - 51)

शासन से प्राप्त निर्देशानुसार लघु वनोपज के प्रसंस्करण / विपणन को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से संघ को प्राप्त ब्याज की राशि से स्वीकृत छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी परियोजना अंतर्गत् अनुसंधान विस्तार, विपणन एवं हितग्राहियों के अधिकाधिक क्षमता विकास हेतु वर्ष 2017-18 में उक्त योजना प्रारंभ हुआ था जो वर्ष 2023-24 में समाप्त हो चुका है। उक्त मद में उपलब्ध शेष राशि से कार्य किया जा रहा है।

14. लघु वनोपज आधारित उद्यमिता विकास (मद कमांक - 53)

लघु वनोपज आधारित उद्योगों का बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति वर्ष 2019-20 में लघु वनोपज को अति प्राथमिकता के उद्योग घोषित किये गये हैं। तदानुसार लघु वनोपज उद्योगों में निवेश बढ़ाने के लिए उद्यमिता विकास हेतु वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित बजट में राशि रू. 20.00 लाख तथा वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट में राशि रू. 40.00 लाख प्रस्तावित की जा रही है।

15. अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज क्षमता विकास योजना (मद कमांक - 54)

क्षमता विकास हेतु NRLM में प्रस्तावित परियोजना के अतंर्गत् वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित बजट में राशि रू. 1.00 लाख का प्रावधान है तथा वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट में निरंक राशि प्रावधानित है।

16. विश्व बैंक सहायता प्राप्त चिराग परियोजना (मद कमांक - 55)

विश्व बैंक सहायता प्राप्त चिराग परियोजना अंतर्गत् वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित बजट तथा वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट में निरंक राशि प्रावधानित है।

17. लघु वनोपज व्यापार एवं विकास (मद कमांक - 60)

राज्य शासन के निर्णयानुसार तथा शासन के पत्र क्रंमाक एफ 13-31/2009/10-2/बजट दिनांक 23.02.2021 के संदर्भ में तेंदू पत्ते के व्यापार से प्राप्त 15 प्रतिशत की राशि से लघु वनोपज व्यापार एवं विकास कार्य हेतु लघु वनोपज संवर्द्धन, लघु वनोपज विपणन, मानव संसाधन विकास, क्षमता विकास, प्रसंस्करण ईकाइयों का विकास एवं अधोसंरचना विकास कार्य हेतु राशि प्रस्तावित की जा रही है। इस हेतु वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित बजट में राशि रू. 11902.00 लाख एवं वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट में राशि रू. 11902.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

17.1 लघु वनोपज क्षेत्र संवर्धन/उत्पादन (मद 60.1)

उक्त मद में लघु वनोपज क्षेत्र संवर्धन/उत्पादन का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

17.2 लघु वनोपज प्रजाति रोपण / औषधि खेती (मद 60.2)

व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण वनोपज/औषधि का खेती बढ़ावा कार्य उक्त मद में किया जावेगा।

17.3 लाख विकास (मद 60.3)

उक्त मद से लाख विकास हेतु कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

17.4 कच्चे लघु वनोपज पर व्यय (मद 60.4)

उक्त मद अंतर्गत् संघ द्वारा निर्धारित दर पर लघु वनोपज का क्रय / संग्रहण / भंडारण आदि किया जावेगा।

17.5 प्रसंस्कृत लघु वनोपज पर व्यय (मद 60.5)

उक्त योजना में क्रय किए गए लघु वनोपज का द्वितीयक प्रसंस्करण का कार्य प्रस्तावित है।

17.6 लघु वनोपज विपणन (मद 60.6)

इस घटक के अंतर्गत् वन-धन विकास केन्द्र के माध्यम से हर्बल उत्पाद व्यापार हेतु संबंधित वृत्त के NWFP मार्ट को चक्रीय निधि दिया जावेगा। विक्रय उपरांत प्राप्त राशि उक्त मद में पुनः समायोजित की जावेगी। छत्तीसगढ़ हर्बल उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड का प्रचार-प्रसार कार्य भी कराया जा रहा है।

17.7 अनुसंधान विस्तार (मद 60.7)

लघु वनोपज आधारित हर्बल उत्पादों के गुणवत्ता, तकनीकी, उन्नयन एवं नवीन उत्पाद निर्माण हेतु उक्त मद में विभिन्न संस्थाओं जैसे - CFTRI, ICAR, IIMR, IIT आदि तथा अन्य विशेषज्ञों की सेवा ली जानी प्रस्तावित है।

17.8 सूचना प्रबंधन प्रणाली (मद 60.8)

संघ अंतर्गत् व्यापार/विकास कार्यों के संचालन मॉनिटरिंग तथा डिसीजन सर्पोटिंग सिस्टम MIS आदि हेतु उक्त सॉफ्टवेयर निर्माण, हार्डवेयर क्रय आदि कार्य उक्त मद में प्रस्तावित है।

17.9 मानव संसाधन विकास पर व्यय (मद 60.9)

60.9.1 - **मानव संसाधन विकास** :- लघु वनोपज व्यापार/विकास हेतु संविदा पर नियुक्त कर्मचारी वेतन, भत्ते आदि तथा अन्य संविदा संयुक्त कर्मचारी / इंटर्न / वन धन मित्र एवं अन्य प्रकार कर्मचारी वेतन, भत्ते आदि इस मद के अंतर्गत् भारित किया जावेगा।

60.9.2 - **क्षमता विकास पर व्यय** :- लघु वनोपज व्यापार / विकास हेतु नियोचित समूह / कर्मचारी / संग्राहक / कृषक तथा प्रशिक्षण, क्षेत्र भ्रमण तथा क्षमता विकास आदि कार्य इस मद के अंतर्गत् भारित किया जावेगा।

17.10 प्रसंस्करण इकाईयों का विकास (मद 60.10)

60.10.1 - **केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई** :- केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई स्थापना आदि संबंधी व्यय इसके अंतर्गत् भारित किया जावेगा।

60.10.2 - **क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाई** :- क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाई स्थापना आदि व्यय इसके अंतर्गत् भारित किया जावेगा।

60.10.3 - **जिला स्तरीय प्रसंस्करण इकाई** :- राज्य के विभिन्न जिले में प्रस्तावित प्रसंस्करण इकाई स्थापना आदि संबंधी व्यय इस मद के अंतर्गत् भारित किया जावेगा। सिल्क समग्र योजना रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड की योजना है। परियोजना हेतु छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत इस मद अंतर्गत् निर्वहन किया जावेगा।

17.11 प्रसंस्करण इकाईयों का विकास (मद 60.11)

60.11.1 - नवीन भवन निर्माण :- इसके अंतर्गत् गोदाम तथा अन्य नवीन भवन निर्माण किया जावेगा।

60.11.2 - भवन मरम्मत :- इसके अंतर्गत् विभिन्न गोदाम, वनधन केन्द्र, प्रसंस्करण केन्द्र आदि भवन मरम्मत कार्य किया जावेगा।

60.11.3 - अन्य अधोसंरचना विकास :- इसके अंतर्गत् NWFP मार्ट, संजीवनी तथा अन्य प्रकार के भवन निर्माण प्रस्तावित है।

ब. <u>अनुमानित आय एवं अनुदान शीर्ष</u>

1. न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत् विक्रय से प्राप्त आय (मद कमांक - 42)

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत् कच्चे एवं प्रसंस्कृत लघु वनोपज के विक्रय से प्राप्त आय एवं अन्य हेतु वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 12200.00 लाख तथा वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु. 12500.00 लाख का लक्ष्य प्रस्तावित किया जा रहा है।

2. लघु वनोपज व्यापार एवं विकास मद के अंतर्गत् विक्रय से प्राप्त आय (मद कमांक - 61)

लघु वनोपज व्यापार एवं विकास अंतर्गत् कच्चे एवं प्रसंस्कृत लघु वनोपज के विक्रय से प्राप्त आय एवं अन्य हेतु वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 1800.00 लाख तथा वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु. 1400.00 लाख का लक्ष्य प्रस्तावित किया जा रहा है।

3. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज संग्रहण योजना (मद कमांक - 7)

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज संग्रहण योजना अंतर्गत् अनुदान (केन्द्रांश 75 प्रातिशत एवं राज्यांश 25 प्रतिशत) हेतु वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि 1000.00 लाख तथा वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु.1000.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

4. वनधन विकास केन्द्र योजना (मद कमांक - 8)

वनधन विकास केन्द्र योजना अंतर्गत् अनुदान हेतु वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में तथा वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित राजस्व बजट में निरंक राशि प्रस्तावित किया जा रहा है।

5. प्रधानमंत्री जन मन योजना (मद कमांक - 9)

प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत् वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित बजट में राशि रू. 59.88 लाख एवं वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित बजट में राशि रू. 59.88 लाख प्रस्तावित की गई है।

6. लोक संरक्षित क्षेत्र - 01 संघ मद परियोजना (मद कमांक - 31)

लोक संरक्षित क्षेत्र परियोजना अंतर्गत् अनुदान हेतु वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 1035.00 लाख तथा वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु. 1710.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

7. आदिवासी उप योजना 41-5091 (राज्य शासन) लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना (मद कमांक - 32)

लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना कर महत्वपूर्ण लघु वनोपज के संरक्षण योजना अंतर्गत् अनुदान हेतु वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 212.00 लाख तथा वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु. 212.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

8. लाख विकास योजना (मद कमांक - 35)

लाख विकास योजना अंतर्गत् अनुदान हेतु वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 200.00 लाख तथा वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु. 200.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

9. गोदाम निर्माण एवं हाट बाजार उन्नयन (मद क्रमांक - 40)

गोदाम निर्माण एवं हाट बाजार उन्नयन (केन्द्रांश 75 प्रतिशत एवं राज्यांश 25 प्रतिशत) अंतर्गत् अनुदान हेतु वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में एवं वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित राजस्व बजट में निरंक राशि प्रस्तावित किया जा रहा है।

10. सिल्क समग्र योजना-2 (मद कमांक - 42)

सिल्क समग्र योजना अंतर्गत् अनुदान हेतु वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 30.00 लाख तथा वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु. 30.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

11. प्रसंस्करण केन्द्र अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अ.ज.जा.) 14-2406-102-5231 लघु वनोपज कार्य हेतु (मद कमांक - 46)

प्रसंस्करण केन्द्र अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना (केन्द्र क्षेत्रीय योजना) अंतर्गत् अनुदान हेतु वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित राजस्व बजट तथा वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित राजस्व बजट में निरंक राशि प्रस्तावित किया जा रहा है।

12. लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान 41-2406-01-0702 एवं 0705-(6373) (मद कमांक - 47)

लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान (केन्द्र प्रवर्तित योजना) अंतर्गत् वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित राजस्व बजट तथा वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित राजस्व बजट में निरंक राशि प्रस्तावित किया जा रहा है।

13. लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान 41-2406-01-102-0102-5231 (मद क्रमांक - 48)

लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान (राज्य योजना) अंतर्गत् वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 1.00 लाख तथा वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु.1.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

14. लघु वनोपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान (अ.ज.जा.) 41-2406-800-0102-(0802) (5231) (मद कमांक - 50)

वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित बजट में इस हेतु राज्य शासन से उक्त मद में कुल राशि रु. 2000.00 लाख प्राप्त हुई है। उक्त राशि में से राशि रु. 1000.00 लाख मिलेट एवं अन्य वनोपज के व्यापार में हुई हानि प्रतिपूर्ति के लिये किया तथा शेष राशि रु. 1000.00 लाख का उपयोग मिलेट प्रमोशन हेतु किया जावेगा। उसी प्रकार वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट में राशि रु.2000.00 लाख प्रावधानित की गई है। हानि प्रतिपूर्ति हेतु शासन से प्राप्त राशि का समायोजन मद क्र. 60.3 में किया जायेगा।

15. अराष्ट्रीयकृत लघु योजना - क्षमता विकास परियोजना (मद कमांक - 54)

अराष्ट्रीयकृत लघु योजना - क्षमता विकास परियोजना अंतर्गत् अनुदान हेतु वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 1.00 लाख तथा वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित राजस्व बजट में निरंक राशि प्रस्तावित किया जा रहा है।

16. विश्व बैंक सहायता प्राप्त चिराग परियोजना (मद कमांक - 55)

विश्व बैंक सहायता प्राप्त चिराग परियोजना अंतर्गत् अनुदान हेतु वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित राजस्व बजट तथा वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित राजस्व बजट में निरंक राशि प्रस्तावित किया जा रहा है।

17. लघु वनोपज का व्यापार एवं विकास (पूर्व में मद कमांक - 27.11) 15 प्रतिशत की राशि (मद कमांक - 60)

लघु वनोपज का व्यापार एवं विकास (15 प्रतिशत की राशि) अंतर्गत् अनुदान हेतु वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित राजस्व बजट में राशि रु. 1425.00 लाख तथा वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित राजस्व बजट में राशि रु. 1300.00 लाख प्रस्तावित किया जा रहा है।

*****

विषय क्रमांक - 6

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति बाबत्।

छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 अनुसार वित्तीय वर्ष समाप्ति के 6 माह के अंदर अंकेक्षण कार्य कराया जाना है तथा अधिनियम की धारा 49 (छ) अनुसार वार्षिक साधारण सम्मेलन में आगामी वित्तीय वर्ष हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति की जानी है।

पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/514 दिनांक 28.01.2014 से दिये गये निर्देशो की कण्डिका 8 में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी संपरीक्षक / संपरीक्षा फर्म को किसी सोसायटी को लगातार 3 वर्षो की संपरीक्षा हेतु नियुक्ति नहीं की जा सकती है। उक्त निर्देशों से स्पष्ट है कि 2 वर्ष लगातार अंकेक्षण कार्य कराया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंकेक्षण हेतु पंजीयक सहकारी संस्थाये द्वारा सूचीकृत चार्टड एकांउटेंट फर्मो से विज्ञापन के आधार पर परीक्षण उपरांत प्राप्त आवेदन में से तकनीकी रूप से पात्र न्यूनतम दर प्रस्तुत कर्ता फर्म समीर सिंह एसोसिऐट्स, बी-24, जीवन अपार्टमेंट, शंकर नगर, रायपुर को राशि रू. 70,000/- की दर पर संघ द्वारा गठित समिति के अनुसंशा उपरांत नियुक्त किया गया था।

मेसर्स समीर सिंह एसोसिऐट्स, रायपुर द्वारा दिनांक 28.08.2024 को प्राप्त प्रस्ताव अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु राशि रू. 70,000/- की अंकेक्षण शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ राशि रू. 77,000/- (समस्त कर सहित) की दर से वर्ष 2023-24 का अंकेक्षण किये जाने हेतु लेख किया गया है, तदानुसार वर्ष 2023-24 का अंकेक्षण मेसर्स समीर सिंह एसोसिऐट्स, बी-24, जीवन अपार्टमेंट, शंकर नगर, रायपुर से प्राप्त से कराया जाना प्रस्तावित है।

अतः छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (छ) के पालन में वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंकेक्षक की नियुक्ति का प्रस्ताव संघ के संचालक मण्डल की 99वीं बैठक दिनांक 28.10.2024 के प्रस्ताव क्रमांक 99:02 में अनुमोदन उपरान्त संघ की 25वीं वार्षिक साधारण सभा में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

*****

विषय क्रमांक - 7

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एव विकास) सहकारी संघ मर्यादित से 31 जिला वनोपज सहकारी यूनियन संबद्ध है। राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के संग्रहण एवं अन्य शासकीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राशि जिला वनोपज सहकारी यूनियनों को अग्रिम के रूप में प्रदाय की जाती है। उक्त राशि के व्यय उपरांत व्यय लेखे जिला यूनियन से प्राप्त कर संघ की लेखा पुस्तकों में समायोजित किया जाता है एवं इसी प्रकार विक्रित वनोपज का विक्रय लेखों का समायोजन किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में समस्त 31 जिला यूनियनों के प्राप्त वार्षिक लेखों का समायोजन उपरांत संघ के अंतिम वित्तीय पत्रक (व्यापार पत्रक/लाभ-हानि एवं स्थिति विवरण पत्रक) तैयार कर अंकेक्षित अंतिम वित्तीय पत्रक का प्रस्ताव संघ के संचालक मण्डल की 99वीं बैठक दिनांक 28.10.2024 के प्रस्ताव क्रमांक 99:15 में अनुमोदन उपरान्त संघ की 25वीं वार्षिक साधारण सभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

*****

C.G STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH 2024

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABLITIES	AMOUNT	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
1,00,00,00,000.00	**AUTHORISED SHARE CAPITAL**		1,00,00,00,000.00				
	PAID UP SHARE CAPITAL		18,96,87,392.14		**FIXED ASSETS**		1,66,50,03,440.52
4,37,22,122.14	*State Government*	4,37,22,122.14		99,33,58,816.56	*Godown & Building*	1,18,85,67,985.12	
32,000.00	*District Union*	32,000.00		3,61,00,737.00	*Land (Naya Raipur)*	3,61,00,737.00	
10,18,64,348.40	*State Government through NCDC (Old)*	10,18,64,348.40		1,89,19,805.14	*Vehicle (Assets)*	2,05,68,673.14	
54,47,622.40	*Social Justice & Empowerment*	54,47,622.40		4,62,99,995.53	*Furniture and Dead Stock*	4,86,51,206.53	
64,38,099.20	*Tribal & Minority Welfare*	64,38,099.20		2,75,34,916.41	*Computer & Computer Parts*	2,96,52,413.25	
3,21,83,200.00	*NCDC Godowns from C.G. Govt.*	3,21,83,200.00		2,66,74,116.48	*Office Machinery*	2,82,36,817.48	
				26,93,95,780.00	*Office Building (Work in Progress)*	29,45,53,780.00	
	FUNDS & RESERVES		1,44,58,91,762.89	1,86,71,828.00	*DU Office Building/Godown (Work in Progress)*	1,86,71,828.00	
9,26,59,564.99	*General Reserves & Funds*	11,98,12,726.99					
24,75,47,880.71	*Reserve Funds*	26,28,22,759.13			**INVESTMENT**		11,75,000.00
44,35,70,829.53	*Depreciation Funds*	49,45,11,731.53		1,75,000.00	*Purchase of Share*	11,75,000.00	
7,42,87,981.51	*Inventory Loss Funds*	7,88,47,646.71					
7,29,40,111.03	*Co-operative Training &Publicity funds*	7,74,99,776.23			**LIC (Group Grautity)**		11,95,24,775.08
14,68,87,305.88	*Share Capital Redemption Funds*	15,60,06,636.28		5,43,32,806.34	*Group Gratuity Contribution Fund*	6,51,61,944.12	
2,19,46,843.99	*Co-op. Movement & Development Funds*	2,33,14,743.55		4,68,49,632.83	*Interest Accrued From Group Gratuity Fund*	5,43,62,830.96	
1,45,31,817.82	*Bad & Doubtful Debts Funds*	1,54,43,750.86					
4,50,70,384.00	*Subsidy for Godowns From NCDC*	4,50,70,384.00			**LIC (Group Leave Encashment Fund)**		7,57,33,933.50
12,86,92,630.96	*Building Fund*	13,64,44,061.80		3,56,68,027.69	*Group Leave E. Contribution Fund*	3,87,17,940.99	
3,40,65,696.47	*Vehicle Fund*	3,61,17,545.81		3,20,63,075.27	*Interest Accrued From Group Leave Encashment*	3,70,15,992.51	
	LOANS		96,04,417.00		**LOANS & ADVANCES**		1,31,61,41,484.60
46,42,860.00	*Margin Money Loan From M.P. Govt. (MP Bhopal)*	46,42,860.00		26,36,021.60	*Nagrik Apurti Nigam*	-	
49,36,657.00	*Godown Loan From Central Govt.(MP Bhopal)*	49,36,657.00		12,06,952.69	*Advance To Staff*	9,32,379.00	
24,900.00	*Godown Loan From N.C.D.C*	24,900.00		13,508.00	*DFO Mis division Raipur*	-	
				3,941.00	*Director Guru Ghansidas Nationak Park, Korea*	-	
	DEVELOPMENTAL PROJECTS		30,69,09,273.04	137.00	*CGCERT*	-	
4,61,86,890.00	*41-2406 Aadivasi Up yojana-5091(PPA)*	3,32,14,401.00		37,85,73,275.36	*Vaniki & Vanya Jeevan Project(10-2406-01-800)*	-	
15,77,09,858.89	*41-2406 Tribal Sub Plan 5231 Processing*	7,26,06,980.89		9,63,21,574.42	*Mulbhoot Development of Forest and forest Produce*	-	
7,74,93,122.73	*European Commission Project [10-2406-6725]*	1,00,73,832.23		60,625.00	*LSA on Gratuity from LIC*	60,625.00	
20,74,23,793.38	*51-NWFP Based Livelihood project in C.G State*	17,52,94,098.38		16,316.10	*CSPDCL*	3,58,775.10	
1,90,44,023.00	*41-2406-6792 pm jeewan jyoti beema yojna*	1,90,44,023.00		-	*Saheed Mahendra Karma Bima Yojana(C.G.)*	11,48,38,887.50	
1,36,51,427.00	*10-2406-6792 pm jeewan jyoti beema yojna*	1,36,51,427.00		1,00,000.00	*Society Manager Group Insurance Claim*	5,00,000.00	
19,95,241.75	*Bastar Vikas Pradhikaran*	19,95,241.75		3,07,678.00	*NWFP Mart Account*	1,08,07,678.00	
15,76,608.00	*Sarguja/Jaspur Vikas Pradhikaran*	15,76,608.00		-	*41-2406 Tribal Sub Plan 5231 Godwn Construction*	12,64,638.00	
45,52,379.70	*UNDP-CCF-1 Bio Diversity Conservation Project*	45,52,379.70		1,22,49,60,453.00	*MSP Accounts*	1,12,58,78,502.00	
8,66,39,864.40	*41-2406 Lac Development Project 6854*	3,53,55,236.82		87,15,699.00	*41-2406 Kendra Pravartit Yojana*	-	
32,39,79,414.04	*Add Central Assistance Project (14-2406-102-5231)*	27,33,40,777.65		-	*CPU Ayurvedic Unit, Jamgaon*	6,15,00,000.00	
3,63,11,250.00	*Lac Cultivation Project (SGSY)*	3,63,11,250.00					
3,80,171.30	*Tribal Co-operative Marketing Fed. Of India*	3,80,171.30			**GUNNY BAGS & HASSIAN BARDANA**		3,21,67,953.70
48,57,953.50	*National Medicinal Plant Board (NMPB)*	48,57,953.50		1,38,45,629.00	*Gunny Bags & Tarpoline(Bhopal)*	1,38,45,629.00	
43,605.50	*Chhattisgarh Biofuel Vikas Pradhikaran*	43,605.50		1,83,22,324.70	*Hassion Bardana (Bhopal)*	1,83.22,324.70	
1,33,49,146.00	*State Govt. Project for Processing Centre-5231*	1,33,49,146.00					

23,37,892.32	Campa Cold Storage Buildings A c	24,72,310.32	
1,78,95,079.00	NRLM Project	1,78,95,079.00	
-	41-2406 Kendra Pravartit Yojana	9,08,94,751.00	
	OTHERS PAYABLE & PROVISIONS		71,32,80,545.80
75,34,525.79	Provision For Unadjusted Exp PPA	-	
66,78,06,831.76	Provision for People's Protected area (Federation Head)	70,79,78,621.76	
44,97,502.04	Provision for Audit Fees	44,88,265.04	
28,41,742.95	Salseed Bonus Payable	-	
3,39,195.00	Group Gratuity Payable Ac	3,39,195.00	
1,43,969.00	Group Leave Encachment Payable A c	1,43,969.00	
73,205.90	Bills Payable	-	
2,51,562.00	G.S.L.I. Payment A c	3,30,495.00	
	DUTIES & TAXES		48,58,54,992.78
40,54,26,348.89	Forest Development Cess	40,54,26,348.89	
59,754.00	Commercial Tax	59,754.00	
9,42,11,234.78	Goods and Service Tax	5,02,14,037.01	
-	Income Tax	92,995.00	
1,64,287.00	TDS Payable	12,02,082.00	
3,80,215.84	SGST Input	1,44,30,054.60	
3,79,882.51	CGST Input	1,44,29,721.28	
	SUNDRY CREDITORS		1,47,94,90,873.65
9,068.00	F.R.L.H.T.	-	
2,50,79,242.86	Tendu Patta Purchasers	9,40,37,166.86	
2,93,200.16	Sal Seed Purchasers	-	
14,17,609.05	Harra Purchasers	-	
2,00,966.72	Gum Purchasers	-	
29,51,873.30	Security Deposit other than M.F.P.	1,99,47,928.30	
2,25,00,000.00	C-MART Operations	-	
10,000.00	LCSA on GLES fromLIC	10,000.00	
59,090.00	TamilNadu Med.Plants and Herbal Med.Corp.	-	
2,40,562.00	Tirumalla Tirupati Dev Sthanam, Tirupati	-	
2,601.82	Charanpaduka Purchase A c	-	
-	Sphere Biotech Pvt. Ltd.	27,88,800.00	
1,41,89,54,919.02	District Union Advance	1,36,27,06,978.49	
7,03,000.00	Settled Unsettled Amount of Scholorship Yojana	-	
1,94,36,612.50	Saheed Mahendra Karma Bima Yojana (C.G.)	-	
	PAYABLE TO SOCITIES(C.G.)		10,97,00,63,491.24
7,44,94,09,537.34	Incentive Wages to Pluckers C.G.	4,39,23,60,701.29	
2,18,35,83,989.42	Revolving Fund	2,17,67,77,438.18	
4,61,84,42,988.41	Minor Forest Trade and Development (27-11)	4,40,09,25,351.77	
	M.P.M.F.P.CO-OP. FED. BHOPAL		73,45,05,969.87
5,99,86,647.28	M.P.M.F.P.CO-OP. FED. Bhopal A c -1	5,99,86,647.28	
41,02,60,025.99	Bifurcation Dispute with Federation, Bhopal A c 2	41,02,60,025.99	
26,42,59,296.60	M.P.M.F.P.CO-OP. FED. Bhopal A C -3	26,42,59,296.60	
1,13,59,776.94	**SUSPENSE A/C**		1,13,59,776.94

	DUTIES & TAXES		98,25,04,236.16
6,87,452.42	Central Sales Tax	6,87,452.42	
76,40,458.96	VAT Receivable (2008-09)	76,40,458.96	
71,38,61,314.67	VAT	71,38,61,314.67	
16,12,01,795.28	Tax Deducted at Source Receivable	19,02,60,025.28	
6,89,58,944.50	Income Tax (TCS)	6,50,03,369.78	
-	TDS Payable	13,86,906.68	
52,60,682.11	IGST Input	10,36,621.47	
6,82,497.22	Entry Tax on Sale	6,82,497.22	
5,22,460.00	TDS on GST	19,45,589.68	
8,72,371.00	**REPAYABLE RECOVERIES**		4,25,492.00
2,62,00,483.45	**Service Chages Receivable from MSP Project**		23,71,850.04
	CLOSING STOCK		5,34,00,699.66
177.61	Gum	177.61	
9,223.99	Harra	9,223.99	
62,54,81,708.87	Tendu Patta	5,33,57,654.01	
33,644.05	Sal Seed	33,644.05	
	F.D.R./C.D.R./S.D.R.		6,85,22,21,333.42
99,03,81,594.00	FDR A c (Apex Bank) [Fed. Capital]	1,05,73,41,426.00	
1,42,22,579.00	Security Deposit (Court)	1,42,22,579.00	
1,43,38,27,670.00	FDR A c (Apex Bank)	82,57,42,466.00	
1,03,01,48,782.00	FDR A c (Axis Bank)	-	
81,85,75,342.00	FDR A c (Canara Bank)	-	
81,64,37,844.07	FDR A c (Indusind Bank)	80,05,17,215.92	
1,03,16,95,685.00	FDR A c (Kotak Mahindra Bank)	-	
1,04,00,83,892.00	FDR A c (Union Bank of India)	82,49,77,167.00	
1,03,20,36,644.00	FDR A c (Punjab National Bank)	-	
-	FDR A c (IDBI Bank)	98,20,00,000.00	
-	FDR A c (IDFC First Bank)	81,37,54,754.00	
-	FDR A c (Indian Bank)	82,75,66,247.00	
-	FDR A c (State Bank of India)	40,20,00,000.00	
-	SBI Autosweep A c	30,40,99,478.50	
	BANK ACCOUNTS		5,73,95,95,395.17
	CURRENT		
4,21,13,732.00	Axis Bank A c No. 921010024383030	66,68,981.00	
11,56,56,456.03	P.N.B. A c No. 0399005900000058 (C)	1,93,90,902.07	
1,01,48,402.81	State Bank of India A c 30735345823 (C)	1,14,44,530.18	
16,38,532.00	Bank of Baroda A c No.05100200000482 (C)	16,38,532.00	
	SAVING		
8,78,916.00	Apex Bank A c No. 103002061018 (S)	9,69,966.00	
5,19,068.00	Axis Bank A c No. 44794 (S)	5,19,068.00	
6,52,05,981.00	Axis Bank A c No.913010014688171 (S)	1,62,27,040.00	
38,98,49,424.94	Axis Bank A c No. 919010061564958 (S)	56,89,364.52	
16,97,18,847.15	AXIS Bank (S) 910010017380589 (S)	16,97,18,847.15	
5,41,51,019.82	AXIS Bank 921010024383205 (S)	5,25,75,157.82	
58,27,175.00	AXIS Bank 921010024583234 (S)	3,36,33,472.00	

SAMEER S... & ASSOCIATES Chartered Accountants BILASPUR (C.G.)

4,47,21,22,258.80	**MSP Project related Liabilities (Annexure B)**		4,34,44,44,335.53	-	*AXIS Bank 922010058976429 (S)*	14,31,72,910.60	
				-	*AXIS Bank 922010024383328(S) 15%*	8,63,71,469.82	
	FEDERATION PROFIT & LOSS A/C		24.00	-	*AXIS Bank 923010071993538 (S)*	-14,81,569.00	
23.00	*A. Profit of Fed. (in Previouse year)*	23.00		-	*AXIS Bank 92201005898491(S)*	1,55,89,037.04	
	B. Profit of Current Year	7,43,99,815.00		13,32,81,748.40	*Bank of Baroda A/c No. 45730100002093 (S)*	2,63,39,553.01	
	Total	7,43,99,838.00		96,39,419.00	*Bank of Baroda A/c No. 45730100002094 (S)*	99,08,943.00	
				8,26,12,372.23	*Bank of Baroda A/c No. 45730100002401 (S)*	2,66,08,492.67	
	Less: Transfered to General Reserve Fund	7,43,99,814.00		3,55,42,63,509.49	*ICICI Bank A/c No. 016101015839 (S)*	1,09,28,99,005.49	
				3,14,50,222.00	*IDBI Bank (S) A/c No. 49104000371506 (S)*	7,01,914.00	
				-	*IDBI Bank (S) A/c No. 2134104000009751 (S)*	10,51,71,932.00	
				2,39,55,118.00	*Indian Bank 7286663766*	2,97,76,175.00	
				1,67,17,82,029.21	*Indus Ind Bank A/c No. 100061521459 (7)*	3,31,74,16,576.79	
				9,09,911.00	*Indus Ind Bank A/c No. 100061712413 (6)*	9,55,917.00	
				4,01,20,894.00	*Kotak Mahindra Bank A/c No. 1314152492*	4,26,62,943.00	
				24,11,926.64	*P.N.B. A/c No. 0101183276 (Campa) (S)*	25,22,464.64	
				8,48,55,667.77	*P.N.B. A/c No. 3358 (S)*	8,81,25,319.77	
				10,23,68,262.49	*P.N.B. M.Br.A/c No.399000101192414 (S)*	12,70,11,221.49	
				9,82,02,122.70	*State Bank of India A/c No.31144628102 (S)*	11,66,13,065.70	
				20,29,94,423.70	*State Bank of India A/c No.32084656047 (S)*	15,56,68,273.20	
				-	*State Bank of India A/c No.42521309184 (S) 15%*	12,95,389.00	
				13,99,31,620.21	*P.N.B. M Br. 191933 (S)*	3,37,90,500.21	
				4,47,21,22,258.80	**MSP Project related Assets (Annexure B)**		4,34,44,44,335.53
					DD/CHEQUE-IN-HAND		63,82,925.50
				7,03,144.50	*DD Cheque In Hand*	63,82,925.50	
24,68,23,14,123.21	**TOTAL**		21,19,10,92,854.88	24,68,23,14,123.21	**TOTAL**		21,19,10,92,854.88

Notes: As per Annexure 'C' enclosed.

UDIN: 24427714BKCEXF4775

Place : Raipur

Date : 27.09.2024

SAMEER SINGH & ASSOCIATES Chartered Accountants BILASPUR (C.G.)

(Smt. Archana Dhangar)	(CA Shashank Sahu)	(Tamradhwaj Sahu)	(Manivasagan S.)	(Anil Kumar Sahu)	(CA Amit Kumar Shukla)
Asst. Account Officer	Manager Accounts	Manager Finance	General Manager	Managing Director	Auditor (M.No. 427714)

C.G STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

Annexure "A" of Balance Sheet As On 31st MARCH 2024

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT
22,63,000.00	Grant in Aid	22,63,000.00	85,29,42,793.11	Advance to Distt. Union(Bhopal)	85,29,42,793.11
14,00,000.00	M.F.P.Operation- Processing Units & Small Godowns	14,00,000.00			
22,27,000.00	NTFP Plantation (Medicinal Plants)	22,27,000.00			
3,81,50,000.00	Godown Assistance	3,81,50,000.00			
30,57,321.00	Subsidy for Godowns From TRIFED	30,57,321.00			
6,00,000.00	Subsidy for Small Godowns	6,00,000.00			
9,38,96,542.04	Provision for T.P.Trade & Administrative Charges (New)	9,38,96,542.04			
23,52,776.68	Provision for Harra Trade Expenses (New)	23,52,776.68			
39,63,288.56	Provision for Sal Seed Trade Expenses (New)	39,63,288.56			
1,461.84	Provision for Other Gum Trade Expenses (New)	1,461.84			
2,024.00	Provision for Kullu Gum Trade Expenses (New)	2,024.00			
26,09,01,689.23	Provision for T.P.Trade & Admin.Charges (Old)	26,09,01,689.23			
3,50,956.43	Provision for Mahua Trade Expenses	3,50,956.43			
36,84,541.50	Provision for Harra Trade Expenses (Old)	36,84,541.50			
1,99,19,699.20	Provision for Sal Seed Trade Expenses (Old)	1,99,19,699.20			
5,09,30,873.30	Incentive Wages to Pluckers (Bhopal)	5,09,30,873.30			
9,88,14,052.72	Profit To Socities (Reorganisation) (70:15:15)	9,88,14,052.72			
33,03,50,213.89	Advance From Distt. Union (Bhopal)	33,03,50,213.89			
64,000.00	Cash In Transit	64,000.00			
91,29,29,440.39	**GRAND TOTAL**	**91,29,29,440.39**	**85,29,42,793.11**	**GRAND TOTAL**	**85,29,42,793.11**

5,99,86,647.28 **Net transfered to Balance Sheet as M.P.M.F.P.CO-OP. FED. BHOPAL A/c -1** **5,99,86,647.28**

UDIN: 24427714BKCEXF4775

(Smt. Archana Dhangar) Asst. Account Officer

(CA Shashank Sahu) Manager Accounts

(Tamradhwaj Sahu) Manager Finance

(Manivasagan S.) General Manager

(Anil Kumar Sahu) Managing Director

(CA Amit Kumar Shukla) Auditor (M.No. 427714)

Chartered Accountants, Bilaspur (C.G.)

C.G STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

AGENCY TRADING ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR 2023-24

TENDU LEAVES

PARTICULARS	Notes	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	Notes	AMOUNT	AMOUNT
To Opening Stock	Note-1		62,54,81,708.87	**By Sales**	Note-13		
Tendu Patta				*Tendu Patta*			8,54,37,81,157.58
To Wages Paid	Note-2		6,97,30,62,226.08	**By Direct Incomes**			8,56,06,847.69
Tendu Patta Collection		5,17,55,82,674.00		*Interest & Other Income*	Note-14	6,77,51,136.06	
Incentive Wages		1,79,74,79,552.08		*Misc. Income Through D.U.*	Note-15	4,88,156.72	
				Bank Int. Recieved From DU	Note-16	3,36,680.92	
To Direct Expenses			97,81,29,237.34	*Lot Transfer Income*	Note-17	1,69,71,373.99	
Stationery & Printing	Note-3	55,22,106.00		*Tender Form Fees*	Note-18	59,500.00	
Godown Insurance	Note-4	75,825.00					
Godown Rent	Note-5	5,32,440.00					
M.F.P. Insurance Premium	Note-6	30,79,295.00		**By Closing Stock**	Note-19		5,33,57,654.01
Primary Society Establisment Expenses	Note-7	28,44,15,995.00		*Tendu Patta*			
Rebate on Tendu Patta	Note-8	5,72,19,688.96					
Establishment & Admin Exp of D.U	Note-9	33,91,35,584.95					
Tendupatta Overhead Expenses	Note-10	28,74,60,998.15					
Society Manager's Group Insurance A/c	Note-11	6,87,304.28					
To People's Protected Area	Note-12		10,35,27,357.00				
(Fed. Head) Tendu Patta							
To Surplus			25,45,129.99				
TOTAL			8,68,27,45,659.28	**TOTAL**			8,68,27,45,659.28

SALSEED

PARTICULARS	Notes	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	Notes	AMOUNT	AMOUNT
To Opening Stock			33,644.05	**By Closing Stock**			33,644.05
Salseed				*Salseed*			
TOTAL			33,644.05	**TOTAL**			33,644.05

HARRA

PARTICULARS	Notes	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	Notes	AMOUNT	AMOUNT
To Opening Stock			9,223.99	**By Closing Stock**			9,223.99
Harra				*Harra*			
TOTAL			9,223.99	**TOTAL**			9,223.99

GUM

PARTICULARS	Notes	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	Notes	AMOUNT	AMOUNT
To Opening Stock			177.61	By Closing Stock			177.61
Gum				*Gum*			
TOTAL			**177.61**	**TOTAL**			**177.61**

GROSS SURPLUS SUMMARY OF NOTIFIED MINOR FOREST PRODUCE

PARTICULARS	Notes	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	Notes	AMOUNT	AMOUNT
To Gross Surplus Transferred to P&L A/c			25,45,129.99	Tendu Patta Surplus			25,45,129.99
TOTAL			**25,45,129.99**	**TOTAL**			**25,45,129.99**

UDIN: 24427714BKCEXF4775

(Smt. Archana Dhangar)
Asst. Account Officer

(CA Shashank Sahu)
Manager Accounts

(Tamradhwaj Sahu)
Manager Finance

(Manivasagan S.)
General Manager

(Amit Kumar Sahu)
Managing Director

(CA Amit Kumar Shukla)
Auditor (M.No. 427714)

SAMEER SINGH & ASSOCIATES Chartered Accountants BILASPUR (C.G.)

C.G STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

AGENCY PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR 2023-24

PARTICULARS	Notes	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	Notes	AMOUNT	AMOUNT
TO ESTABLISHMENT EXPENSES	Note-20		11,42,41,336.00	**BY GROSS SURPLUS B/F**			25,45,129.99
House Office Rent to Owner		9,87,730.00					
Salary Account		7,37,89,675.00		**BY INDIRECT INCOMES**	Note-27		5,59,07,428.37
Conveyance Exps.		1,34,731.00		*Godown Rent Received*		4,29,39,148.00	
Bonus to Staff-		-12,58,000.00		*Miscellaneous Income*		40,050.00	
CPS Subscription Expenses		3,58,611.00		*Misc. Received Under Information Rights*		723.00	
Group Gratuity Payment A/c		30,31,303.00		*House Rent Licence Fees [Fed.]*		59,900.00	
Group Leave Encashment Payment A/c		13,14,301.00		*Vehicle Charges Recovered*		22,500.00	
Seminar Expenses		92,189.00		*Misc. Deductions*		21,533.00	
E.P.F. Administrative Charges		9,78,295.00		*Interest earned on Group Gratuity Account*		75,13,198.13	
Medical Expenses		42,31,258.00		*Interest earned on Group Leave Encashment*		49,52,917.24	
Travelling Expenses		7,02,125.00		*Interest from SD held with CSPDCL*		3,42,459.00	
Orderly Exp.		16,35,529.00		*EMD / SD Forfieted*		15,000.00	
E.P.F (Contribution)		1,40,17,713.00					
Pension Contribution		33,87,013.00		**BY INTEREST INCOME**	Note-28		
Vehicle Exp.		93,62,047.08		*Interest Earned on FDR*		14,50,17,017.03	
Vehicle Insurance Charges		57,682.00		*Interest Earned on FFD A/c*		4,15,65,093.00	
Verdi (Dress) Exps.		3,07,171.00		*Interest Earned on Saving Bank*		35,27,39,964.00	
Group Gratuity Expenses A/c		7,26,679.22					
Group Leave Encashment Premium A/c		3,85,283.70					
				Total Interest Income		53,93,22,074.03	
TO INDIRECT EXPENSES	Note-21		14,34,40,454.16	*Less: Schemes running out of Interest income*			
IT Based Software Dev. System Expense		2,14,70,820.00		*(a) Fud Munshi Samuh Bima Yojana A/c*		42,16,964.00	
Lease Rent Exp. on Fed. Building		6,88,555.00		*(b) Parivar Samuh Bima Yojana*		1,43,50,000.00	
Consumable Store		63,750.00		*(c) Shahid Mahendra Karma Bima Yojana (Federation)*		14,89,35,500.00	
Honorarium Exps.		3,000.00		*(d) Shiksha Protsahan Yojana [Scholarship Scheme]*		9,59,64,500.00	
13.30-Godown and DU Building repair Maint.		1,38,60,270.00					
Interest paid on GST		11,062.00		***Total expenses incurred on Schemes (a+b+c+d+e)***		26,34,66,964.00	
Interest paid on TCS		1,57,052.00					
Penalty / fine		5,45,597.00		***Net Interest Income***			27,58,55,110.03
Write off Ledger		8,63,00,047.63					
Service Charge on MSP		2,03,40,300.53					
TO MANAGERIAL EXPENSES	Note-22		2,56,14,944.23				
Training Expenses		8,85,800.00					
AGM & BOD Meeting Expense		4,66,682.36					
Commission on Advertisment Charges		3,07,484.61					
Computer/printer/ Other Ins. Reparing		3,87,168.08					
Consultancy Servies		92,05,956.06					
Maintenance & Repair of Office Building		28,63,244.14					
Photocopy & Printing Exps.		3,21,006.34					
Publicity Exps.		3,94,765.10					
Telephone & Installation/lease Line Expenses		6,42,503.60					
Vehicle Others		4,89,105.00					
Stationery & Printing		9,94,061.60					
Books & Periodicals		63,920.00					
Computer Exp		4,90,210.74					

Sameer Singh & Associates Chartered Accountants Bilaspur (C.G.)

Postage & Telegram		18,321.00					
Electricity & Water Supply		18,76,687.00					
Advertisement and Tender Exp A/c		14,96,427.28					
Meeting Expenses		10,74,413.00					
Miscellaneous Expenses		19,53,961.42					
Vidhik Fees/litigation		16,61,700.00					
Bank Charges		21,526.90					
TO DISTRICT UNION COMMISSION	**Note-23**		**31.00**				
TO DEPERICIATION CHARGES	**Note-24**		**5,09,40,902.00**				
TO AUDIT FEES	**Note-25**		**70,000.00**				
TO COMMISSION TO FEDERATION	**Note-26**		**1.00**				
TOTAL			**33,43,07,668.39**	**TOTAL**			**33,43,07,668.39**

UDIN: 24427714BKCEXF4775

(Smt. Archana Dhangar)
Asst. Account Officer

(CA Shashank Sahu)
Manager Accounts

(Tamradhwaj Sahu)
Manager Finance

(Manivasagan S.)
General Manager

(Anil Kumar Sahu)
Managing Director

(CA Amit Kumar Shukla)
Auditor (M.No. 427714)

SAMEER SINGH & ASSOCIATES Chartered Accountants BILASPUR (C.G.)

C.G STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

FEDERATION PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR 2023-24

PARTICULARS	Notes	AMOUNT	PARTICULARS	Notes	AMOUNT
To Net Profit Transferred to Balance Sheet		7,43,99,815.00	By Interest on Federation Seed Capital		7,43,99,814.00
			By Agency Commission B/F from Agency P&L A/c		1.00
TOTAL		7,43,99,815.00	TOTAL		7,43,99,815.00

UDIN: 24427714BKCEXF4775

(Smt. Archana Dhangar)
Asst. Account Officer

(CA Shashank Sahu)
Manager Accounts

(Tamradhwaj Sahu)
Manager Finance

(Manivasagan S.)
General Manager

(Anil Kumar Sahu)
Managing Director

(CA Amit Kumar Shukla)
Auditor (M.No. 427714)

C.G. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

Annexure "B" M.S.P PROJECT BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH' 2024

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES		AMOUNTS	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS		AMOUNTS
2,77,72,22,153.18	***Revolving Fund of MSP***		2,80,49,17,674.62	2,61,64,64,843.91	***Fund to Meet Losses***		2,99,72,11,120.35
	Opening Balance	2,77,72,22,153.18			*Opening Balance*	2,61,64,64,843.91	
	+Fund received	-			*+ Current Year Trading losses*	38,07,46,276.44	
	+ Net of Indirect Income/Expenses	2,76,95,521.44					
				69,11,16,118.46	***Closing Stock***		45,22,42,332.31
36,61,06,348.30	***Payable to MFP Gatherers Under MSP***		37,17,47,997.57		*Aati Imli*	19,14,22,921.79	
	Opening Balance	36,61,06,348.30			*Amla Dry*	13,567.52	
	+ Current Year	56,41,649.27			*Bael*	2,92,128.34	
					Baheda	26,45,612.87	
4,15,90,699.48	***PM VAN DHAN YOJANA***	3,06,54,111.48	3,06,54,111.48		*Baheda Kachariya*	9,12,692.45	
-	***PVTG VAN DHAN YOJNA***	3,000.00	3,000.00		*Bhelwa*	3,62,159.86	
2,92,21,575.96	***Duties & Taxes***		75,77,772.38		*Charota Seed*	19,253.36	
	Forest Development Tax	73,56,511.67			*Chironji Guthli*	4,64,268.65	
	Value Added Tax	2,20,094.71			*Dhawai Phool*	5,42,516.19	
	Income Tax	1,166.00			*Giloe*	11,65,152.15	
					Harra	17,25,378.00	
2,06,93,433.37	***Service Charges Payable***	23,71,850.04	23,71,850.04		*HARRA KACHARIYA*	14,25,597.01	
					Honey	88,62,994.83	
6,39,454.00	***Security Deposit***	1,77,465.50	1,77,465.50		*Imli Beej*	1,19,41,722.80	
					Imli Phool	9,79,87,452.90	
	Sundry Creditors		1,12,69,94,463.94		*Jamun Beej*	13,818.39	
1,16,88,137.82	*MFP Purchasers*	1,09,36,892.23			*Kaju*	1,18,13,979.47	
3.69	*NCDX "E" Marketing Ltd*	3.69			*Kalmegh*	2,08,869.71	
1,22,49,60,453.00	*Receivable from Tendu Patta A/c*	1,11,39,57,502.00			*Karanj Beej*	29,310.00	
-	*NAFED KALKATTA (W.B)*	3,14,340.00			*Kullu Gond*	3,649.76	
-	*NWFP MART*	11,82,565.00			*Kusum Beej*	20,568.18	
-	*District Union Advance*	6,03,161.02			*Kusumi Lac*	2,71,342.51	

SAMEER SINGH & ASSOCIATES Chartered Accountants BILASPUR (C.G.)

C.G. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

Annexure "B" M.S.P PROJECT BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH' 2024

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNTS	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS		AMOUNTS
				Mahua Phool	*14,52,025.88*	
				Mahua Seed	*18,45,450.63*	
				Mahul Leaf	*7,26,389.82*	
				Malkangani	*1,316.00*	
				Nagarmotha	*14,43,490.54*	
				Neem Beej	*1,44,593.23*	
				Phool Jhadu	*2,16,314.06*	
				Puwad Beej	*7,351.92*	
				Rangini Lac	*21,87,907.28*	
				Salseed	*11,19,55,804.68*	
				Satavar	*25,231.56*	
				Sikakai	*11,873.06*	
				Van Jeera	*8,193.73*	
				Van Tulsi	*71,433.18*	
				Loans and Advances		**0.00**
			16,57,84,597.89	*District Union Advance*	-	
			78,96,21,943.61	***Bank Account***		**63,02,79,414.12**
				PNB A/c No. 000067	38,18,047.79	
				ICICI Bank A/c 1371	59,88,000.00	
				Axis Bank A/c No. 244794	1,60,36,807.00	
				Axis Bank A/c No. 383085	25,26,56,304.00	
				ICICI Bank A/c 018105	35,17,80,255.33	

SAMEER SINGH & ASSOCIATES Chartered Accountants BILASPUR (C.G.)

C.G. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

Annexure "B" M.S.P PROJECT BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH' 2024

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNTS	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS		AMOUNTS
			11,88,58,215.72	***Stock Of Commercial Goods***		19,11,70,215.72
				MSP Gunny Bags and Stationary	19,11,70,215.72	
			3,02,28,125.10	**Duties & Taxes**		7,35,41,253.03
				CGST Input	2,70,825.84	
				Entry Tax	93,410.52	
				SGST Input	2,70,825.84	
				IGST Input	1,21,02,003.00	
				Goods and Service Tax	6,16,064.80	
				TCS	1,25,644.92	
				TDS Payal	14,064.00	
			6,00,48,414.11	*Tax Deducted at Source (Bank)*	6,00,48,414.11	
4,47,21,22,258.80	GRAND TOTAL	4,34,44,44,335.53	4,47,21,22,258.80	GRAND TOTAL		4,34,44,44,335.53

UDIN: 24427714BKCEXF4775

SAMEER SINGH & ASSOCIATES Chartered Accountants BILASPUR (C.G.)

(Smt. Archana Dhangar)
Asst. Account Officer

(CA Shashank Sahu)
Manager Accounts

(Tamradhwaj Sahu)
Manager Finance

(Manivasagan S.)
General Manager

(Anil Kumar Sahu)
Managing Director

(CA Amit Kumar Shukla)
Auditor (M.No. 427714)

C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

M.S.P.PROJECT TRADING ACCOUNT FOR THE YEAR 2023-24

SAL SEED

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	70,86,659.67	By Sales	0.00
To Purchase	35,45,49,574.00	By Direct Incomes	
To Direct Overhead Expenses	3,93,01,495.23	By Closing Stock	11,19,55,804.68
To Service Charge Salseed	70,90,991.48	By Loss transfered to Fund to meet loss	29,60,72,915.70
TOTAL	40,80,28,720.38	TOTAL	40,80,28,720.38

HARRA

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	19,18,026.00	By Sales	2,17,244.12
To Purchase	0.00	By Direct Incomes	2,809.62
To Direct Overhead Expenses	3,485.54	By Closing Stock	17,25,378.00
To Payable to MFP Gatherers under MSP	23,920.20		
TOTAL	19,45,431.74	TOTAL	19,45,431.74

MAHUA SEED

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	24,03,746.20	By Sales	-
To Purchase	2,34,465.00	By Direct Incomes	
To Direct Overhead Expenses	21,556.97	By Closing Stock	18,45,450.63
To Service Charge Mahua Seed	4,689.30	By Loss transfered to Fund to meet loss	8,19,006.84
TOTAL	26,64,457.47	TOTAL	26,64,457.47

CHIRONJI

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	44,79,665.32	By Sales	0.00
To Purchase	0.00	By Direct Incomes	
To Direct Overhead Expenses	108.07	By Closing Stock	4,64,268.65
To Service Charge Chironji	0.00	By Loss transfered to Fund to meet loss	40,15,504.74
TOTAL	44,79,773.39	TOTAL	44,79,773.39

SAMEER SINGH & ASSOCIATES
Chartered Accountants
BILASPUR (C.G.)

KUSUMI LAC

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	43,977.87	By Sales	2,52,000.00
To Purchase	2,15,700.00	By Direct Incomes	
To Direct Overhead Expenses	1,746.00	By Closing Stock	2,71,342.51
To Service Charge Kusumi Lac	4,314.00		
To Payable to MFP Gatherers under MSP	2,57,604.64		
TOTAL	5,23,342.51	TOTAL	5,23,342.51

RANGINI LAC

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	58,64,499.49	By Sales	0.00
To Purchase	0.00	By Direct Incomes	
To Direct Overhead Expenses	204.00	By Closing Stock	21,87,907.28
To Service Charge Rangini Lac	0.00	By Loss transfered to Fund to meet loss	36,76,796.21
TOTAL	58,64,703.49	TOTAL	58,64,703.49

BAEL

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	1,28,922.67	By Sales	1,31,415.00
To Purchase	2,44,647.00	By Direct Incomes	12,262.00
To Direct Overhead Expenses	30,133.89	By Closing Stock	2,92,128.34
To Service Charge Bael	4,892.94		
To Payable to MFP Gatherers under MSP	27,208.84		
TOTAL	4,35,805.34	TOTAL	4,35,805.34

BAHEDA

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	31,82,375.06	By Sales	3,23,777.40
To Purchase	0.00	By Direct Incomes	29,907.40
To Rectification of Baheda Kachariya	1,43,881.00	By Closing Stock	26,45,612.87
To Direct Overhead Expenses	39,255.39	By Loss Transfered to Fund to meet loss	3,66,213.78
To Service Charge Baheda	0.00		
TOTAL	33,65,511.45	TOTAL	33,65,511.45

BAHEDA KACHARIYA

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	14,08,093.95	By Sales	6,41,739.40
To Purchase	1,28,820.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Overhead Expenses	23,244.53	By Rectification of Baheda	1,43,881.00
To Service Charge Baheda Kachariya	2,576.40	By Closing Stock	9,12,692.45
To Payable to MFP Gatherers under MSP	1,35,577.97		
TOTAL	16,98,312.85	TOTAL	16,98,312.85

DHAWAI FUL

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	8,23,708.70	By Sales	2,51,580.03
To Purchase	17,755.00	By Direct Incomes	2,292.00
To Direct Overhead Expenses	2,552.00	By Closing Stock	5,42,516.19
To Service Charge Dhawai Ful	355.10	By Loss Transfered to Fund to meet loss	47,982.58
TOTAL	8,44,370.80	TOTAL	8,44,370.80

KALMEGH

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	13,46,265.72	By Sales	10,10,121.89
To Purchase	0.00	By Direct Incomes	60,069.00
To Direct Overhead Expenses	32,038.70	By Closing Stock	2,08,869.71
To Service Charge Kalmegh	0.00	By Loss Transfered to Fund to meet loss	99,243.82
TOTAL	13,78,304.42	TOTAL	13,78,304.42

NAGARMOTHA

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	21,54,780.25	By Sales	1,83,400.00
To Purchase	44,580.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Overhead Expenses	9,564.48	By Closing Stock	14,43,490.54
To Service Charge Nagarmotha	891.60	By Loss Transfered to Fund to meet loss	5,82,925.79
TOTAL	22,09,816.33	TOTAL	22,09,816.33

AATI IMLI

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	27,11,98,652.02	By Sales	5,84,11,339.94
To Purchase	61,08,927.00	By Direct Incomes	32,19,988.00
To Direct Overhead Expenses	46,06,304.32	By Closing Stock	19,14,22,921.79
To Service Charge Aati Imli	1,22,178.54	By Loss Transfered to Fund to meet loss	2,89,81,812.15
TOTAL	28,20,36,061.88	TOTAL	28,20,36,061.88

AMLA

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	3,681.00	By Sales	105.00
To Purchase	9,576.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Overhead Expenses	950.66	By Closing Stock	13,567.52
To Service Charge Amla	191.52	By Loss Transfered to Fund to meet loss	726.66
TOTAL	14,399.18	TOTAL	14,399.18

BHELWA

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	7,34,135.89	By Sales	61,911.00
To Purchase	0.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Overhead Expenses	220.06	By Closing Stock	3,62,159.86
To Service Charge Bhelwa	0.00	By Loss Transfered to Fund to meet loss	3,10,285.09
TOTAL	7,34,355.95	TOTAL	7,34,355.95

CHAROTA SEED

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	20,557.36	By Sales	28.00
To Purchase	0.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Overhead Expenses	129.30	By Closing Stock	19,253.36
To Service Charge Charota Seed	0.00	By Loss transfered to Fund to meet loss	1,405.30
TOTAL	20,686.66	TOTAL	20,686.66

SAMEER SINGH & ASSOCIATES
Chartered Accountants
BILASPUR (C.G.)

GILOE

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	50,27,218.05	By Sales	1,555.00
To Purchase	4,428.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Overhead Expenses	4,033.48	By Closing Stock	11,65,152.15
To Service Charge Giloe	88.56	By Loss transfered to Fund to meet loss	38,69,060.94
TOTAL	50,35,768.09	TOTAL	50,35,768.09

HARRA KACHARIYA

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	22,38,124.92	By Sales	6,91,333.90
To Purchase	8,04,025.00	By Direct Incomes	19,703.00
To Direct Overhead Expenses	69,598.57	By Closing Stock	14,25,597.01
To Service Charge Harra Kachariya	16,080.50	By Loss transfered to Fund to meet loss	9,91,195.08
TOTAL	31,27,828.99	TOTAL	31,27,828.99

HONEY

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	72,68,804.75	By Sales	2,25,000.00
To Purchase	52,58,700.00	By Direct Incomes	
To Direct Overhead Expenses	96,589.00	By Closing Stock	88,62,994.83
To Service Charge Honey	1,05,174.00	By Loss transfered to Fund to meet loss	36,41,272.92
TOTAL	1,27,29,267.75	TOTAL	1,27,29,267.75

IMLI BEEJ

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	80,07,756.02	By Sales	8,61,824.50
To Purchase	2,175.00	By Direct Incomes	
		By Closing Stock	1,19,41,722.80
To Direct Overhead Expenses	465.00		
To Service Charge Imli Beej	43.50		
To Payable to MFP Gatherers under MSP	47,93,107.78		
TOTAL	1,28,03,547.30	TOTAL	1,28,03,547.30

IMLI PHOOL

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	28,50,11,263.80	By Sales	17,78,52,637.00
To Purchase	1,72,500.00	By Direct Incomes	10,000.00
To Direct Overhead Expenses	42,74,516.33	By Closing Stock	9,79,87,452.90
To Service Charge Imli Phool	3,450.00	By Loss transfered to Fund to meet loss	1,36,11,640.23
TOTAL	28,94,61,730.13	TOTAL	28,94,61,730.13

JAMUN BEEJ

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	22,910.43	By Sales	6,000.00
To Purchase	0.00	By Direct Incomes	213.00
To Direct Overhead Expenses	7,470.42	By Closing Stock	13,818.39
To Service Charge Jamun Beej	0.00	By Loss transfered to Fund to meet loss	10,349.46
TOTAL	30,380.85	TOTAL	30,380.85

KAJU

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	2,01,50,263.36	By Sales	-
To Purchase	15,19,560.00	By Direct Incomes	
To Direct Overhead Expenses	1,40,744.24	By Closing Stock	1,18,13,979.47
To Service Charge Kaju	30,391.20	By Loss transfered to Fund to meet loss	1,00,26,979.33
TOTAL	2,18,40,958.80	TOTAL	2,18,40,958.80

KARANJ BEEJ

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	49,305.00	By Sales	19,715.00
To Purchase	0.00	By Direct Incomes	
To Direct Overhead Expenses	118.00	By Closing Stock	29,310.00
To Service Charge Karanj Beej	0.00	By Loss transfered to Fund to meet loss	398.00
TOTAL	49,423.00	TOTAL	49,423.00

KULLU GOND

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	3,650.12	By Sales	0.00
To Purchase	0.00	By Direct Incomes	
To Direct Overhead Expenses		By Closing Stock	3,649.76
To Service Charge Kullu Gond	0.00	By Loss transfered to Fund to meet loss	0.36
TOTAL	3,650.12	TOTAL	3,650.12

KUSUM BEEJ

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	20,568.18	By Sales	0.00
To Purchase	0.00	By Direct Incomes	
To Direct Overhead Expenses	12.43	By Closing Stock	20,568.18
To Service Charge Kusum Beej	0.00	By Loss transfered to Fund to meet loss	12.43
TOTAL	20,580.61	TOTAL	20,580.61

MAHUA PHOOL

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	5,84,50,828.40	By Sales	4,69,64,926.90
To Purchase	11,30,850.00	By Direct Incomes	1,52,529.00
To Direct Overhead Expenses	23,39,396.19	By Closing Stock	14,52,025.88
To Service Charge Mahua Phool	22,617.00	By Loss transfered to Fund to meet loss	1,33,74,209.81
TOTAL	6,19,43,691.59	TOTAL	6,19,43,691.59

MAHUL LEAF

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	7,47,025,90	By Sales	75,739.00
To Purchase	2,00,670.00	By Purchase Return	17,566.00
To Direct Overhead Expenses	25,700.26	By Direct Incomes	0.00
To Service Charge Mahul Leaf	4,013.40	By Closing Stock	7,26,389.82
		By Loss transfered to Fund to meet loss	1,57,714.74
TOTAL	9,77,409.56	TOTAL	9,77,409.56

NEEM BEEJ

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	1,53,741.95	By Sales	0.00
To Purchase	0.00	By Direct Incomes	
To Direct Overhead Expenses	0.00	By Closing Stock	1,44,593.23
To Service Charge Neem Beej	0.00	By Loss transfered to Fund to meet loss	9,148.72
TOTAL	1,53,741.95	TOTAL	1,53,741.95

PHOOL JHADU

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	10,01,945.22	By Sales	20,79,615.00
To Purchase	8,90,000.00	By Direct Incomes	18,083.00
To Direct Overhead Expenses	37.00	By Closing Stock	2,16,314.06
To Service Charge Phool Jhadu	17,800.00		
To Payable to MFP Gatherers under MSP	4,04,229.84		
TOTAL	23,14,012.06	TOTAL	23,14,012.06

PUWAD BEEJ

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	7,351.92	By Sales	0.00
To Purchase	0.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Overhead Expenses	0.00	By Closing Stock	7,351.92
TOTAL	7,351.92	TOTAL	7,351.92

SATAVAR

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	40,184.53	By Sales	0.00
To Purchase	0.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Overhead Expenses	2.48	By Closing Stock	25,231.56
To Service Charge Satavar	0.00	By Loss transfered to Fund to meet loss	14,955.45
TOTAL	40,187.01	TOTAL	40,187.01

SAMEER SINGH & ASSOCIATES Chartered Accountants

SIKAKAI

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	3,730.68	By Sales	0.00
To Purchase	7,500.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Overhead Expenses	642.38	By Closing Stock	11,873.06
To Service Charge Satavar	150.00	By Loss transfered to Fund to meet loss	150.00
TOTAL	12,023.06	TOTAL	12,023.06

VAN JEERA

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	10,681.11	By Sales	0.00
To Purchase	0.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Overhead Expenses	0.00	By Closing Stock	8,193.73
		By Loss transfered to Fund to meet loss	2,487.38
TOTAL	10,681.11	TOTAL	10,681.11

VAN TULSI

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	86,781.00	By Sales	4,628.00
To Purchase	0.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Overhead Expenses	36,470.87	By Closing Stock	71,433.18
To Service Charge Van Tulsi	0.00	By Loss transfered to Fund to meet loss	47,190.69
TOTAL	1,23,251.87	TOTAL	1,23,251.87

MALKANGANI

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Opening Stock	16,235.95	By Sales	260.00
To Purchase	0.00	By Direct Incomes	0.00
To Direct Overhead Expenses	32.29	By Closing Stock	1,316.00
To Service Charge Malkangani	0.00	By Loss transfered to Fund to meet loss	14,692.24
TOTAL	16,268.24	TOTAL	16,268.24

SINGH & ASSOCIATES Chartered Accountants BILASPUR (C.G.)

C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

M.S.P.PROJECT PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR 2023-24

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
To Bank Charges Distt Union	25,531.28	By Interest Earned on FFD	1,44,97,536.00
To Bank Charges H.O.	0.00	By Interest Earned on FDR	0.00
To Other Expenses DU and H.O.	16,95,287.54	By Interest Earned on Saving	1,46,56,683.00
To Revolving Fund of MSP	2,76,95,521.44	By Misc Income	2,62,121.26
TOTAL	2,94,16,340.26	TOTAL	2,94,16,340.26

Note 1 : Expenses other then collection i.e indirect expenses are seperately shown in indirect income/expenses statement.
Note 2 : Rectification of the entries for baheda and baheda kachariya was necessary due to the incorrect allocation of purchase expenses in the tally entry for the previous year, however service charge remained unaffected as in both the current and previous year this charges are calculated based on the purchase value i.e. 143881*2%.

UDIN: 24427714BKCEXF4775

(Smt. Archana Dhangar)	(CA Shashank Sahu)	(Tamradhwaj Sahu)	(Manivasagan S.)	(Amit Kumar Sahu)	(CA Amit Kumar Shukla)
Asst. Account Officer	Manager Accounts	Manager Finance	General Manager	Managing Director	Auditor (M.No. 427714)

Chartered Accountants

- (99) -

C.G. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

Annexure "C"- Notes to Accounts:

1. **Contingent Liability:**

S. No.	Particulars	F. Year	Amount as on 31.03.2024	Remarks	Appeal Pending before
1.	Disputed Income Tax Demand.	2018-19	2,06,47,559/-	Note-1	CIT (Appeals)
2.	Disputed Income Tax Demand.	2019-20	1,31,64,57,730/-	Note-1	CIT (Appeals)
3.	Disputed Income Tax Demand.	2020-21	44,69,90,780/-	Note-1	CIT (Appeals)
4.	Disputed Income Tax Demand.	2021-22	55,82,97,409/-	Note-1	CIT (Appeals)
5.	Disputed VAT Demand.	2009-10	4,40,89,796/-	Note-2	High Court of Chhattisgarh
6.	Disputed VAT Demand.	2010-11	50,42,00,738/-	Note-2	High Court of Chhattisgarh
7.	Disputed VAT Demand.	2013-14	4,22,16,944/-	Note-2	Deputy Commissioner VAT Tax
8.	Pending Litigation due to Separation of Minor Forest Office	-	93,27,00,000/-	Note-3	High Court of Chhattisgarh

SAMEER SINGH & ASSOCIATES Chartered Accountants BILASPUR (C.G.)

Note-1: The Scrutiny assessment of the C.G State Minor Forest Produce (T&D) Co-Operative Federation Ltd., Raipur u/s 143(3) of the Income Tax Act, 1961 were completed for the 2018-19, 2019-20, 2020-21 & 2021-22 and the above mentioned demand's of Income Tax was raised during the year. The federation had

preferred an appeal before the First Appellate Authority against the assessment orders and the same is pending.

Note-2: Certain receivable/Payable under CST/VAT from financial year 2007-08 onwards are not accounted for in the books of accounts as these receivable/payable are subject to final assessment by VAT authorities which are subject to judgment of Hon'ble Supreme Court wide order No. S.L.P (c) No. 12588/2011 dated 23-02-2012 and at present provision amount is not ascertainable.

Note-3: After the formation of Chhattisgarh State, the M.P Minor Forest Office was separated into two parts and due to the separation procedure, the M.P Minor Forest Office has filed an Writ Petition against the C.G Minor Forest Office for payment of outstanding dues and the same is pending.

2. Separate Books of Accounts of M.S.P Books:

Separate Books of Accounts of M.S.P Project have been maintained trading profit transferred to Payable to MFP gatherers under MSP, trading loss have been transferred to Fund to meet losses account and net of all indirect income/expenses have been transferred to Revolving Fund of MSP . Details of Assets and Liabilities are shown separately in **Annexure "B".**

3. Non Moving Stocks:

In the books of Federation, there are some non moving stocks like Sal Seed, Harra, Gum which are not available in physical count but are still appearing in the books of accounts from last several years. Thus, the Stocks have been valued at Rs.1 Per Std. Bag and the leftover stocks will be written off from the books of accounts after receiving the Final Verification Report from the District Union Godowns.

Stocks of Tendupatta for the earlier Seasons are still appearing in the Books of accounts which are physically not available in the Godown, thus, these stocks are been valued at Rs. 1 Per Std. Bag. The Stocks of earlier Season will be written off after following the due course and receiving the Final Verification Report from the District Union Godowns.

SAMEER SINGH & ASSOCIATES Chartered Accountants BILASPUR (C.G.)

- (102) -

4. **Suspense in Books:**

There are many suspense entries in the books of Federation which have bearing impact on the financials of the Federation.

5. **Closing Stock:**

As per the general Accounting Principles, the Federation values its closing stock at *'Cost or NRV, whichever is lower'*.

6. **Outstanding Balances of M.F.P Bhopal:**

After the separation of M.P Minor Forest Produce office, the M.P Minor Forest Produce office had claimed Rs.73,45,05,969.87/- from C.G Minor Forest Office. As the matter is in dispute before the Hon'ble High Court of Chhattisgarh, hence, the same is contingent in nature.

6.1 Various account heads of M.P.MFP Fed, Bhopal are disclosed separately in Balance sheet as liability in **Annexure "A"**.

6.2 Balance of "Profit to Societies" related to 70:15:15 as per Balance Sheet dated 31-10-2000 received from M.P. Fed. Bhopal the amount related to Provision of Development of Forest and Forest Produce for the year ended 1998, 1999, 2000 is not incorporated in corresponding ledgers.

7. **Unpaid Loans & Liabilities:**

The Federation has received loan amounting to Rs.96,04,417/- brought forward from M.P minor Forest Produce Office. As the matter is in dispute before the Hon'ble High Court of Chhattisgarh, hence, the same is contingent in nature.

8. **Payable to societies:**

The surplus earned by the federation is distributed in the ration of 80:15:5 as per the order of the Chhattisgarh Government vide order No. F13-31/2009/10-2 dated 03.11.2009.

SAMEER SINGH & ASSOCIATES Chartered Accountants BILASPUR (C.G.)

The details of surplus is tabulated herein below:

S. No.	Particulars	%
1.	Incentive wages to pluckers (Bonus)	80%
2.	Sale purchase of Not Nationalized products (Herbal)	15%
3.	Revolving Fund	5%

9. **Basis of preparation of Financial Statements**:

The financial statements have been prepared in accordance with the generally accepted accounting principles applicable to Co-operative Societies in India and provisions of the statue have also been followed. The Financial Statements have been prepared under the historical cost convention, on the basis of a going concern, with revenues recognized and expenses accounted on their accrual, including provisions / adjustment for committed obligation and amount determined as payable or receivable during the period. In some of the areas, cash basis of accounting has been followed as it is not practicable and feasible to follow mercantile system of accounting in respect of those areas.

10. **Fixed Assets**:

Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of duties, taxes, incidental expenses, erection / commissioning expenses, including financial cost (if any) till commencement and regularization of fixed assets.

11. **Depreciation**:

During the year under review, depreciation has been provided in books of accounts at presently prevailing rates prescribed under the Income Tax Act. If any asset is put to use for a period of less than one hundred and eighty days in the Financial Year, the deduction w.r.t. depreciation in respect of such asset shall be restricted to Fifty percent of the amount calculated at the percentage prescribed for the respective asset.

12. **Developmental Projects**:

Balances of many developmental projects are appearing in the balance sheet, however, the expenses incurred in the District Union are to be adjusted against the same developmental projects.

- (103) -

13. **Regarding Pending Audit Fees Payable:**

The Federation office had referred to Registrar, Co-operative Societies, Chhattisgarh for Audit of Year 2002-03 to 2008-09 and after completion of Audit, Registrar, Co-operative Societies, Chhattisgarh had raised bill based on the turnover calculated by them and against which the Federation had filed an Writ Petition before the Hon'ble High Court of Chhattisgarh and the same is pending.

14. **Regarding Bank Account Reconcilation:**

There are some entries which are still appearing in BRS will be cleared shorty and will be taken into books of Accounts in upcoming financial year.

15. **Regarding 2% Service Charge Payable:**

Certain expenses are incurred out of 2% Service Charges recievable from MSP Project. During the year such expenses were incurred out of accumulated fund available to the Federation.

Sameer Singh & Associates
Chartered Accountants
Bilaspur (C.G.)

C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

Relevant Notes to Trading and Profit & Loss Account (Financial Year 2023-24)

Note : 1 Opening Stock

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous Years	7,628.41	1.00	7,628.40
2	Season 2018	5,796.10	205.00	11,88,201.14
3	Season 2019	16,148.22	2,250.00	3,63,33,488.25
4	Season 2020	9,324.48	425.00	39,62,904.47
5	Season 2021	1,04,269.73	13.00	13,55,506.47
6	Season 2022	2,55,653.35	2,279.00	58,26,33,980.14
7	Season 2023	-	-	-
	Total:	**3,98,820.28**	**5,173.00**	**62,54,81,708.87**

Note : 2 Wages Paid

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous Years	-	-	-
2	Season 2018	-	-	-
3	Season 2019	-	-	-
4	Season 2020	-	-	-
5	Season 2021	-	-	-
6	Season 2022	-	-	-
7	Season 2023	-	-	6,97,30,62,226.08
	Total:	-	-	**6,97,30,62,226.08**

Note : 3 Stationary and Printing T.P. Trade

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	-
2	Season 2018	-	-	-
3	Season 2019	-	-	-
4	Season 2020	-	-	-
5	Season 2021	-	-	-
6	Season 2022	-	-	-
7	Season 2023	-	-	55,22,106.00
	Total:	-	-	**55,22,106.00**

Note : 4 Godown Insurance and Premium

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	-
2	Season 2018	-	-	-
3	Season 2019	-	-	-
4	Season 2020	-	-	-
5	Season 2021	-	-	-
6	Season 2022	-	-	-
7	Season 2023	-	-	75,825.00
	Total:	-	-	**75,825.00**

Note : 5 Godown Rent

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	-
2	Season 2018	-	-	-
3	Season 2019	-	-	-
4	Season 2020	-	-	-
5	Season 2021	-	-	-
6	Season 2022	-	-	-
7	Season 2023	-	-	5,32,440.00
	Total:	-	-	**5,32,440.00**

Sameer Singh & Associates Chartered Accountants

Note : 6 MFP Insurance Premium

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	-

2	Season 2018	-	-	-
3	Season 2019	-	-	-
4	Season 2020	-	-	-
5	Season 2021	-	-	-
6	Season 2022	-	-	-
7	Season 2023			30,79,295.00
	Total:	-	-	**30,79,295.00**

Note : 7 Establishment Expenses of Primary Society

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	-
2	Season 2018	-	-	-
3	Season 2019	-	-	-
4	Season 2020	-	-	-
5	Season 2021	-	-	-
6	Season 2022	-	-	-
7	Season 2023	-	-	28,44,15,995.00
	Total:	-	-	**28,44,15,995.00**

Note : 8 Rebate on Tendupatta Sale

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	-
2	Season 2018	-	-	-
3	Season 2019	-	-	-
4	Season 2020	-	-	2,597.82
5	Season 2021	-	-	1,13,341.00
6	Season 2022	-	-	14,53,884.64
7	Season 2023			5,56,49,865.50
	Total:	-	-	**5,72,19,688.96**

Note : 9 Establishment Expenses of DU

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	-
2	Season 2018	-	-	-
3	Season 2019	-	-	-
4	Season 2020	-	-	-
5	Season 2021	-	-	-
6	Season 2022	-	-	-
7	Season 2023	-	-	33,91,35,584.95
	Total:	-	-	**33,91,35,584.95**

Note : 10 Tendupatta Over Head Expenses

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	-
2	Season 2018	-	-	-
3	Season 2019	-	-	-
4	Season 2020	-	-	-
5	Season 2021	-	-	-
6	Season 2022	-	-	-
7	Season 2023	-	-	28,74,60,998.15
	Total:	-	-	**28,74,60,998.15**

Note : 11 Society Manager's Group Insurance

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	-
2	Season 2018	-	-	-
3	Season 2019	-	-	-
4	Season 2020	-	-	-
5	Season 2021	-	-	-
6	Season 2022	-	-	-
7	Season 2023	-	-	6,87,304.28
	Total:			**6,87,304.28**

Note : 12 People's Protected Area

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	-
2	Season 2018	-	-	-
3	Season 2019	-	-	-
4	Season 2020	-	-	-
5	Season 2021	-	-	-
6	Season 2022	-	-	-
7	Season 2023	-	-	10,35,27,357.00
	Total:			**10,35,27,357.00**

Note : 13 Sales

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	-
2	Season 2018			
3	Season 2019			
4	Season 2020			10,53,261.02
5	Season 2021			1,03,99,119.07
6	Season 2022			1,17,97,82,738.72
7	Season 2023			7,35,25,46,038.77
	Total:	-		**8,54,37,81,157.58**

Note : 14 Interest & Other Income

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	-
2	Season 2018	-	-	
3	Season 2019	-	-	
4	Season 2020	-	-	10,129.91
5	Season 2021	-	-	63,574.34
6	Season 2022	-	-	4,52,62,656.06
7	Season 2023			2,24,11,171.67
8	Season 2024			3,604.08
	Total:			**6,77,51,136.06**

Note : 15 Mis. Income Through D.U.

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	-
2	Season 2018	-	-	-
3	Season 2019	-	-	-
4	Season 2020	-	-	-
5	Season 2021	-	-	-
6	Season 2022	-	-	-
7	Season 2023			4,88,156.72
	Total:			**4,88,156.72**

Note : 16 Bank Interest Received from D.U.

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	-
2	Season 2018	-	-	-
3	Season 2019	-	-	-
4	Season 2020	-	-	-
5	Season 2021	-	-	-
6	Season 2022	-	-	-
7	Season 2023			3,36,680.92
	Total:			**3,36,680.92**

Chartered Accountants
BILASPUR (C.G.)

Note : 17 Lot Transfer Income

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	-
2	Season 2018	-	-	
3	Season 2019	-	-	
4	Season 2020	-	-	30,000.00
5	Season 2021	-	-	1,30,000.00
6	Season 2022	-	-	13,17,600.00

7	Season 2023			1,54,93,773.99
	Total:			1,69,71,373.99

Note : 18 Tender Form Fees

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	-
2	Season 2018	-	-	-
3	Season 2019	-	-	-
4	Season 2020	-	-	-
5	Season 2021	-	-	-
6	Season 2022	-	-	
7	Season 2023			59,500.00
	Total:			59,500.00

Note : 19 Closing Stock Tendupatta

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	7,628.410	1.00	7,628.40
2	Season 2018	5,796.103	13.00	75,349.36
3	Season 2019	16,148.217	13.00	2,09,926.84
4	Season 2020	3,392.897	13.00	44,107.67
5	Season 2021	3,857.848	13.00	50,152.04
6	Season 2022	22,123.415	672.00	1,48,66,934.88
7	Season 2023	1,15,816.276	329.00	3,81,03,554.82
	Total:	1,74,763.17		5,33,57,654.01

Note : 20 Establishment Expenses

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	49,86,632.88
2	Season 2018	-	-	37,88,867.90
3	Season 2019	-	-	1,05,55,965.12
4	Season 2020	-	-	22,17,910.64
5	Season 2021	-	-	25,21,845.53
6	Season 2022	-	-	1,44,61,906.04
7	Season 2023	-	-	7,57,08,207.88
	Total:			11,42,41,336.00

Note : 21 Indirect Expenses

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	62,61,174.02
2	Season 2018	-	-	47,57,270.46
3	Season 2019	-	-	1,32,53,980.42
4	Season 2020	-	-	27,84,789.83
5	Season 2021	-	-	31,66,407.90
6	Season 2022	-	-	1,81,58,246.77
7	Season 2023	-	-	9,50,58,584.76
	Total:			14,34,40,454.16

Note : 22 Managerial Expenses

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	11,18,091.99
2	Season 2018	-	-	8,49,531.73
3	Season 2019	-	-	23,66,835.57
4	Season 2020	-	-	4,97,295.11
5	Season 2021	-	-	5,65,442.73
6	Season 2022	-	-	32,42,617.16
7	Season 2023	-	-	1,69,75,129.93
	Total:			2,56,14,944.23

Note : 23 District Union Comission

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	-
2	Season 2018	-	-	-
3	Season 2019	-	-	-

SAMEER SINGH & ASSO. Chartered Accountants BILASPUR (C.G.)

4	Season 2020	-	-	-
5	Season 2021	-	-	-
6	Season 2022	-	-	-
7	Season 2023	-	-	31.00
	Total:			**31.00**

Note : 24 Depreciation Expenses

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	-
2	Season 2018	-	-	-
3	Season 2019	-	-	-
4	Season 2020	-	-	-
5	Season 2021	-	-	-
6	Season 2022	-	-	-
7	Season 2023	-	-	5,09,40,902.00
	Total:			**5,09,40,902.00**

Note : 25 Audit Fees

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	-
2	Season 2018	-	-	-
3	Season 2019	-	-	-
4	Season 2020	-	-	-
5	Season 2021	-	-	-
6	Season 2022	-	-	-
7	Season 2023	-	-	70,000.00
	Total:			**70,000.00**

Note : 26 Comission to Federation

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	-
2	Season 2018	-	-	-
3	Season 2019	-	-	-
4	Season 2020	-	-	-
5	Season 2021	-	-	-
6	Season 2022	-	-	-
7	Season 2023	-	-	1.00
	Total:			**1.00**

Note : 27 By Indirect Income

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	24,40,358.55
2	Season 2018	-	-	18,54,196.29
3	Season 2019	-	-	51,65,878.52
4	Season 2020	-	-	10,85,401.18
5	Season 2021	-	-	12,34,140.84
6	Season 2022	-	-	70,77,368.00
7	Season 2023	-	-	3,70,50,085.00
	Total:	-	-	**5,59,07,428.37**

Note : 28 Interest Income

S. No.	Particulars	Qty	Rate	Amount
1	Previous years	-	-	1,20,41,072.09
2	Season 2018	-	-	91,48,865.10
3	Season 2019	-	-	2,54,89,170.74
4	Season 2020	-	-	53,55,521.97
5	Season 2021	-	-	60,89,424.38
6	Season 2022	-	-	3,49,20,728.54
7	Season 2023	-	-	18,28,10,327.20
	Total:			**27,58,55,110.03**

...GH & ASSOCIATES Chartered

विषय क्रमांक - 8

विषयः- **वर्ष 2003 सीजन के तेन्दूपत्ता लॉट क्रमांक 471 देवरी के क्रेता मेसर्स लक्ष्मण भाई डायाभाई पटेल, दुर्ग को गोदामीकृत तेन्दूपत्ता का खुला परिदान देने के फलस्वरूप 70.205 मानक बोरा की कमी की राशि रू. 43,375 के अपलेखन बाबत्।**

तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2003 सीजन के तेन्दू पत्ता लॉट क्रमांक 471 देवरी के 70.205 मानक बोरा हानि की राशि रू. 45,852/- का संबंधित पोषक अधिकारी, फड़मंशी एवं फड़ अभिरक्षक से वसूल किया जाना था। जिला यूनियन महासमुन्द द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक/32 दिनांक 27.09.2010 द्वारा पोषक अधिकारी, फड़मुंशी एवं फड़ अभिरक्षक की जिम्मेदारी तय करते हुए वसूली आदेश जारी किया गया था। वसूली आदेश के प्रक्रिया अनुसार पोषक अधिकरी एवं फड़मुंशी देवरी से कुल राशि रूपये 4387/- की वसूली की गई थी, शेष राशि रूपये 43,375/- के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों के अन्यत्र स्थानांतरण/मृत्यु होने के कारण वसूली ना होने पर जिला यूनियन महासमुन्द द्वारा उक्त प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली हेतु शेष राशि के अपलेखन हेतु जिला यूनियन में आयोजित वार्षिक साधारण आमसभा में वसूल न होने योग्य राशि रू. 43,375 के अपलेखन का प्रस्ताव पारित किया जाकर प्रबंध संचालक जिला यूनियन महासमुन्द द्वारा पत्र क्रमांक 23 दिनांक 01.01.2024 से मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महा प्रबंधक रायपुर वृत्त रायपुर को भेजा गया था। मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महा प्रबंधक रायपुर वृत्त रायपुर के पत्र क्रमांक 22 दिनांक 10.01.2024 द्वारा रू. 43,375 के अपलेखन का प्रस्ताव मान्य किये जाने हेतु अनुरोध के साथ प्राप्त होने पर वर्ष 2003 सीजन के तेन्दू पत्ता लॉट क्रमांक 471 देवरी के 70.205 मानक बोरा हानि की राशि रू. 43,375/- को अपलेखन बाबत् प्रस्ताव संचालक मण्डल की बैठक में प्रस्तावित किया गया था।

संचालक मण्डल की बैठक क्रमांक 98 दिनांक 09.07.2024 विषय क्रमांक 98.09 द्वारा अपलेखन के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान करते हुये कार्योत्तर अनुमोदन हेतु आमसभा में रखे जाने बाबत् निर्देशित है।

अतः वर्ष 2003 सीजन के तेन्दू पत्ता लॉट क्रमांक 471 देवरी के 70.205 मानक बोरा हानि की राशि रू. 43,375/- के अपलेखन का प्रस्ताव का कार्योत्तर अनुमोदन आमसभा से कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त प्रस्ताव आमसभा की बैठक में कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

*****

विषय क्रमांक - 9

विषयः- **वर्ष 2007 सीजन के सालबीज संग्रहण की पारिश्रमिक भुगतान हेतु पोषक अधिकारी श्री रतन सिंह उइके द्वारा ली गई अग्रिम राशि रू. 3,23,050/- के अपलेखन बाबत्।**

जिला यूनियन दक्षिण कोण्डागांव अंतर्गत प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति रंधना में कार्यरत पोषक अधिकारी श्री रतन सिंह उइके वनपाल द्वारा सालबीज संग्रहण सीजन 2007 में सालबीज संग्राहकों के पारिश्रमिक राशि भुगतान हेतु जिला यूनियन दक्षिण कोण्डागांव से प्राप्त की गई अग्रिम राशि 3,23,050/- संग्राहकों को पारिश्रमिक भुगतान न करने साथ ही साथ श्री रतन सिंह वनपाल सेवा निवृत्त हो गये सेवानिवृत्त से मिलने वाले देय स्वत्वों से राशि 3,23,050/- वसूल न होने पर श्री उइके से वसूली हेतु थाना फरसगांव में एफ.आई.आर. दर्ज कराया गया।

श्री रतन सिंह उइके द्वारा संघ/शासन की गबन की गई राशि 3,23,050/- की वसूली हेतु उनके नाम पर ग्राम बागोड़, तहसील नरहरपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर में स्थापित कृषि भूमि 2.15 हेक्टेयर को कुर्क कर वसूल करने हेतु पर जिला कलेक्टर उत्तर बस्तर कांकेर को प्रबंध संचालक जिला यूनियन दक्षिण कोण्डागांव द्वारा लेख किया गया था। तहसीलदार नरहरपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर ने अपने पत्र क्रमांक 118 दिनांक मार्च 2013 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री रतन सिंह उइके के नाम पर ग्राम बागोड़ में चल/अचल संपत्ति नहीं है, जो सम्पत्ति है वह शामिल खाते में है।

वसूली का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन अवधि में श्री रतन सिंह उइके की मृत्यु होने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4099 दिनांक 15.04.2019 द्वारा जिला यूनियन दक्षिण कोण्डागांव को राशि 3,23,050/- का अपलेखन प्रस्ताव संचालक मण्डल से पारित कर भेजने हेतु लेख किये जाने पर दिनांक 08.03.2022 को जिला यूनियन दक्षिण कोण्डागांव के संचालक मण्डल में राशि 3,23,050/- का अपलेखन हेतु प्रस्ताव पारित की गई है।

उक्त पारित प्रस्ताव को मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महाप्रबंधक कांकेर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 780 दिनांक 10.06.2024 द्वारा अपलेखन हेतु अनुशंसा की गई है।

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/वनो/संघ/व्यापार/2002/5733 दिनांक 13.08.2002 में लेख है कि रू. एक लाख तक की क्षति का प्रस्ताव पर जिला यूनियन के संचालक मण्डल द्वारा अपलेखित किया जावेगा। एक लाख रू. से अधिक की हानि का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की आमसभा की बैठक में प्रस्तुत कर अपलेखन की कार्यवाही की जायेगी।

अतः वर्ष 2007 सीजन के सालबीज संग्रहण में श्री रतन सिंह उइके द्वारा ली गई अग्रिम राशि रू. 3,23,050/- को अपलेखन हेतु प्रस्ताव आमसभा में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

*****

विषय क्रमांक - 10

विषयः- **प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति प्रबंधकों के सेवा के दौरान मृत्यु होने पर प्रबंधक के आश्रित परिवार के एक सदस्य को प्रबंधक पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने बाबत्।**

- श्री रामाधार लहरे, प्रांताध्यक्ष, छत्तीसगढ राज्य लघु वनोपज सहकारी समिति प्रबंधक संघ रायपुर का आवेदन पत्र क्रमांक/छ.ग.रा.वनो.से.प्र.संघ/67 दिनांक 02.08.2024 से मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज की भांति छत्तीसगढ़ राज्य में भी प्राथमिक समितियों के प्रबंधकों का सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रित परिवार के एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति दिये का प्रावधान लागू किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है **(पृ.क्र.01)**।

- कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक/विप/2024/1161 दिनांक 31.07.2024 से प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधको को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु प्रबंधक सेवा नियम में प्रावधान किया गया है **(पृ.क्र.02-03)**।

- ''प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित प्रबंधक सेवा (नियोजन, निबंधन तथा कार्य स्थिति) नियम'' में प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों की मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान नहीं है।

- छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ 7-1/2019/1-3 दिनांक 23.02.2019 के कण्डिका क्रमांक 8(1) में प्रावधान है कि ''अनुकम्पा नियुक्ति सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी के पद पर संवर्ग में स्वीकृति कुल पदों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं की जाएगी।'' प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति में प्रबंधक का पद एकल पद के रूप में स्वीकृत है। **(पृ.क्र.04)**।

- तदानुसार श्री रामाधार लहरे, प्रांताध्यक्ष, समिति प्रबंधक संघ द्वारा प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधक की मृत्यु होने की स्थिति में अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने के संबंध में प्रस्ताव आमसभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

*****

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी समिति प्रबंधक संघ रायपुर
पंजीयन क्रमांक–488

प्रांताध्यक्ष
छ.ग. वन कर्मचारी संघ
संरक्षक
छ.ग.रा.ल.वनो.
सह.समिति प्रबंधक संघ

राजशेखर पौराणिक
संरक्षक
छ.ग.रा.ल.वनो.
सह.समिति प्रबंधक संघ
मो.नं.–9406227799

रामाधार लहरे
प्रांताध्यक्ष
छ.ग.रा.ल.वनो.
सह.समिति प्रबंधक संघ
मो.नं.–9893241556
Email Id- rdlahare66@gmail.com

प्रांतीय कार्यालय
उपवनमण्डलकार्यालय
परिसर पण्डरिया
जिला कबीरधाम (छ.ग.)
पिन – 491559

कार्यकारी अध्यक्ष
श्री चन्द्रभानसिंह ठाकुर
मो.नं. – 9691224545
सचिव
श्री एन.डी.कुरेशी
मो.नं.–7000273339
कोषाध्यक्ष
श्री रविकुमार मंडावी
मो.नं.–7970020713
महामंत्री
श्री सुरेश सोनी
मो.नं.–9424256339
संगठन मंत्री
श्री एस.एम.रावटे
मो.नं.–7610772751
मुख्य सलाहकार
श्री निर्मल विश्वास
मो.नं.–9479747595
श्री शंभु मेहर
मो.नं.– 9753871080
श्री डायमंड साहू
मो.नं.–7987960870
उप प्रांताध्यक्ष
श्री ललित कश्यप
मो.नं.–9754877017
श्री विरेंद्र वैष्णव
मो.नं.–9406069430
श्री सपन पाल
मो.नं.–
श्री रवि गुप्ता
मो.नं.–9406078354
श्री संतोष तिवारी
मो.नं.–9399766067
श्री मोहम्मद ईस्ताक
मो.नं.–7049080352
प्रमुख प्रवक्ता
श्री राजू हरपाल
मो.नं.–7974174789
श्री विवेक सिंह
मो.नं.–7587451313
मीडिया प्रभारी
श्री संजय रेड्डी
मो.नं.–9479021345
श्री अरूण यादव
मो.नं.–9926493555
7987173669
सह सचिव
श्री रामलाल कंवर
मो.नं.–6267218328
सह कोषाध्यक्ष
समस्त अध्यक्ष जिला
लघु वनोपज सहकारी
समिति प्रबंधक संघ
छत्तीसगढ़

क्रमांक/छ.ग.रा.वनो.स.प्र.संघ/ 67 दिनांक 02/08/2021

प्रति,

प्रबंध संचालक महोदय,
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित वन धन भवन सेक्टर 24
अटल नगर रायपुर (छ.ग.),

विषय – प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति प्रबंधकों के सेवा के दौरान मृत्यु होने पर प्रबंधक के आश्रित परिवार के एक सदस्य को प्रबंधक पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने बाबत्।

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि प्रदेश में आपके अधिनस्थ 902 प्राथमिक वनोपज समिति प्रबंधक वर्ष 1988–89 से लगातार कार्यरत हैं, समिति प्रबंधकों की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उनके परिवार के समक्ष भरण–पोषण में गंभीर आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है जिससे मृत प्रबंधक के परिवार के आश्रितों को जिवकोपार्जन में गंभीर समस्या आ रही है।

अतः आदरणीय महोदय, समीपवर्ती राज्य मध्यप्रदेश में कार्यरत समिति प्रबंधकों के सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रित परिवार के एक सदस्य को मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारियों हेतू लागू अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधान अनुसार प्रबंधक पद पर नियुक्ति दी जा रही है। कृपया आप से विनम्र निवेदन है कि हम प्रबंधकों की सेवा नियम क्रमांक 22 (अ) में संशोधन कर अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान लागू करने की कृपा करें। जिससे नवीन प्रावधान लागू होने से मृत प्रबंधक के आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता मिलेगी। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी समिति प्रबंधक संघ सदैव आपके आभारी रहेंगे।

संलग्न :– मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी समितियों में
कार्यरत प्रबंधकों की अनुकंपा नियुक्ति संबंधी आदेश।

भवदीय

(रामाधार लहरे)
प्रांताध्यक्ष
छ.ग.रा.ल.वनो.
सह.समिति प्रबंधक संघ

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं म0प्र0

Email:- rcs.marketing@mp.gov.in दूरभाष नम्बर :- 0755-2554355

क्र./विप./वनो./2024/1161/ भोपाल दिनांक 31/07/24

:: आदेश ::

म0प्र0 राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित भोपाल के पत्र क्र./वनो./सह./2024/8771, दिनांक 15.07.2024 द्वारा प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों के सेवानियम में संशोधन प्रस्तावित किये गये है। उक्त प्रस्ताव लघु वनोपज संघ के संचालक मंडल की 147वीं बैठक दिनांक 25.06.2024 में प्रस्ताव क्रमांक 147:03 से अनुमोदित किया गया है।

म0प्र0 राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित भोपाल द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के अनुक्रम में म0प्र0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं, मनोज कुमार सरियाम, पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं म0प्र0 भोपाल, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों के सेवानियमों में संलग्न परिशिष्ट अनुसार संशोधन प्रतिस्थापित करता हूं।

यह आदेश आज दिनांक 31-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

संलग्न :- उक्तानुसार।

(मनोज कुमार सरियाम)
पंजीयक
सहकारी संस्थाऐं म0प्र0
भोपाल दिनांक 31/07/24

क्र./विप./वनो./2024/1161/

प्रतिलिपि :-

1. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित भोपाल।
2. संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग समस्त म0प्र0।
3. उप/सहायक आयुक्त सहकारिता जिला समस्त म0प्र0।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

पंजीयक
सहकारी संस्थाऐं म0प्र0

(3)

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों के सेवा नियम में संशोधन

क्र.	सेवा नियम क्र.	वर्तमान प्रावधान	प्रतिस्थापित प्रावधान	संशोधन का कारण
1	2	3	4	5
1	22(अ)	निरंक	संस्था के प्रबंधक की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर, प्रबंधक के आश्रित परिवार के एक सदस्य को म0प्र0 शासन के कर्मचारियों हेतु लागू अनुकम्पा नियुक्ति के प्रावधान के अनुसार प्रबंधक पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाएगी।	नवीन प्रावधान संस्था के प्रबंधक के आश्रित परिवार की सहायता हेतु।
2	22(ब)	निरंक	संस्था के प्रबंधक की सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर म0प्र0 राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित भोपाल द्वारा एक मुश्त रू. 1.00 लाख उपादान की राशि प्रदत्त की जाएगी।	संस्था के प्रबंधक की आर्थिक सुरक्षा हेतु।

पंजीयक
सहकारी संस्थाएँ म0प्र0

(3) चतुर्थ श्रेणी के दिवंगत कर्मचारी के परिवार के सदस्य को भरत नियम में निर्धारित शैक्षणिक अर्हता की पूर्ति करने पर तृतीय श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी ।

8. अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पदों की गणना एवं पदों का सीमा बंधनः—

(1) अनुकम्पा नियुक्ति सीधी भरती के तृतीय श्रेणी के पद पर संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं की जाएगी ।

(2) तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु 10 प्रतिशत का सीमा बंधन इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से केवल एक बार के लिए 1 वर्ष* के लिए शिथिल रहेगा।

(3) अनुकम्पा नियुक्ति के उम्मीदवारों की नियुक्ति तथा आकस्मिकता निधि/दैनिक वेतनभोगी/तदर्थ रूप से एवं संविदा पर की जाएगी ।

(4) चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पदों की संख्या का कोई सीमा बंधन (सींलिग) नहीं होगा ।

9. अनुकम्पा नियुक्ति हेतु भरती प्रक्रिया में छूट :—

(1) रोजगार कार्यालय के माध्यम से सीधी भरती की नियमित पद्धति से छूट रहेगी ।

(2) सीधी भरती पर लागू प्रतिबंध से छूट रहेगी ।

10. अनुकम्पा नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अर्हता में छूट/शिथिलीकरण :—

(1) चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु विधवा/आश्रित विधवा पुत्री/आश्रित तलाकशुदा पुत्री एवं विधवा पुत्रवधु** को नियमों में पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता में विभागाध्यक्ष द्वारा छूट दी जाएगी ।

***स्पष्टीकरण—निर्देश कमांक 10(1) में अविवाहित शासकीय सेवक (अथवा विधुर जिसके पुत्र/पुत्री नहीं है) के आश्रित माता, पिता, भाई एवं बहन भी शामिल माने जाएंगे। तद्नुसार उन्हें भी चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने हेतु पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता में विभागाध्यक्ष द्वारा छूट प्रदान की जाएगी ।

---

* परिपत्र क्रमांक एफ 7—1/2012/1—3 दिनांक 13.10.2015 द्वारा सीमा बंधन को पुनः एक वर्ष अर्थात् दिनांक 12.10.2016 तक के लिए तथा परिपत्र दिनांक 1.8.2018 द्वारा पुनः दिनांक 14.9.2018 तक शिथिल किया गया।

** परिपत्र क्रमांक एफ 7—1/2012/1—3 दिनांक 29.8.2016 द्वारा शब्द "विधवा पुत्रवधु" जोड़ा गया।

*** परिपत्र क्रमांक एफ 7—1/2012/1—3 दिनांक 13.10.2017 द्वारा उक्त स्पष्टीकरण जोड़ा गया।

कमशः......4

विषय क्रमांक - 11

विषयः- **प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति प्रबंधकों के सेवा निवृत्ति/मृत्यु पर एकमुश्त उपादान राशि प्रदान करने बाबत्।**

- श्री रामाधार लहरे, प्रांताध्यक्ष, छत्तीसगढ राज्य लघु वनोपज सहकारी समिति प्रबंधक संघ रायपुर का आवेदन पत्र क्रमांक/छ.ग.रा.वनो.से.प्र.संघ/68 दिनांक 02.08.2024 से मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज की भांति छत्तीसगढ़ राज्य में भी प्राथमिक समितियों के प्रबंधकों के सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर परिवार के आर्थिक सुरक्षा हेतु एकमुश्त 10.00 लाख रूपये उपादान राशि का प्रावधान लागू किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है **(पृ.क्र.-01)**।

- कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक/विप/2024/1161 दिनांक 31.07.2024 से प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधको को सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर एकमुश्त राशि रूपये 1.00 लाख प्रदान किये जाने हेतु प्रबंधक सेवा नियम में प्रावधान किया गया है **(पृ.क्र.02-03)**।

- ''प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित प्रबंधक सेवा (नियोजन, निबंधन तथा कार्य स्थिति) नियम'' में प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों के सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर उपादान राशि उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान नहीं है।

- ''प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित प्रबंधक सेवा (नियोजन, निबंधन तथा कार्य स्थिति) नियम'' में अध्याय-7 सेवानिवृत्ति एवं अन्य के कण्डिका क्रमांक 22 में प्रावधान है कि **''संस्था के प्रबंधक के लिये, संघ द्वारा, जीवन बीमा के क्षेत्र में कार्यरत संस्था से सामूहिक बीमा कराया जावेगा। जिसके तहत प्रीमियम का वहन संघ द्वारा किया जावेगा।''** प्रबंधक के मृत्यु होने पर उनके दावेदार को बीमा राशि रूपये 1,00,000/- का भुगतान किया जाता है।

तदानुसार श्री रामाधार लहरे, प्रांताध्यक्ष, समिति प्रबंधक संघ द्वारा प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधक की सेवानिवृत्ति/मृत्यु होने की स्थिति में उपादान राशि प्रदाय किये जाने के संबंध में प्रस्ताव आमसभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

*****

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी समिति प्रबंधक संघ रायपुर

पंजीयन क्रमांक–488

प्रांताध्यक्ष
छ.ग. वन कर्मचारी संघ
संरक्षक
छ.ग.रा.ल.वनो.
सह.समिति प्रबंधक संघ

राजशेखर पौराणिक
संरक्षक
छ.ग.रा.ल.वनो.
सह.समिति प्रबंधक संघ
मो.नं.–9406227799

रामाधार लहरे
प्रांताध्यक्ष
छ.ग.रा.ल.वनो.
सह.समिति प्रबंधक संघ
मो.नं.–9893241556
Email Id- rdlahare66@gmail.com

प्रांतीय कार्यालय
उपवनमण्डलकार्यालय
परिसर पण्डरिया
जिला कबीरधाम (छ.ग.)
पिन – 491559

कार्यकारी अध्यक्ष
श्री चन्द्रभानसिंह ठाकुर
मो.नं. – 9691224545
सचिव
श्री एन.डी.कुरैशी
मो.नं.–7000273339
कोषाध्यक्ष
श्री रविकुमार मंडावी
मो.नं.–7970020713
महामंत्री
श्री सुरेश सोनी
मो.नं.–9424256339
संगठन मंत्री
श्री एस.एम.रावटे
मो.नं.–7610772751
मुख्य सलाहकार
श्री निर्मल विश्वास
मो.नं.–9479747595
श्री शंभु मेहर
मो.नं.–9753871080
श्री डायमंड साहू
मो.नं.–7987960870
उप प्रांताध्यक्ष
श्री ललित कश्यप
मो.नं.–9754877017
श्री विरेंद्र वैष्णव
मो.नं.–9406069430
श्री सपन पाल
मो.नं.–
श्री रवि गुप्ता
मो.नं.–9406078354
श्री संतोष तिवारी
मो.नं.–9399766067
श्री मोहम्मद ईस्ताक
मो.नं.–7049080352
प्रमुख प्रवक्ता
श्री राजू हरपाल
मो.नं.–7974174789
श्री विवेक सिंह
मो.नं.–7587451313
मीडिया प्रभारी
श्री संजय रेड्डी
मो.नं.–9479021345
श्री अरूण यादव
मो.नं.–9926493555
7987173669
सह सचिव
श्री रामलाल कंवर
मो.नं.–6267218328
सह कोषाध्यक्ष
समस्त अध्यक्ष जिला
लघु वनोपज सहकारी
समिति प्रबंधक संघ
छत्तीसगढ़

क्रमांक/छ.ग.रा.वनो.स.प्र.संघ/ 68 — दिनांक 02/08/2024

प्रति,

प्रबंध संचालक महोदय,
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित वन धन भवन सेक्टर 24
अटल नगर रायपुर (छ.ग.),

विषय – प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति प्रबंधकों की सेवा निवृत्ति/मृत्यु पर एकमुश्त उपादान राशि प्रदान करने बाबत्।

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि प्रदेश में आपके अधिनस्थ प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों में वर्ष 1988–89 से लगातार 35–36 वर्षों से सेवारत प्रबंधक जिनकी आयु 62 वर्ष पूर्ण हो रही है अथवा सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है जिन्हें किसी भी प्रकार की सहायता राशि नहीं दी जा रही है ऐसे प्रबंधकों के आश्रितों के समक्ष परिवार के भरण–पोषण में गंभीर समस्या आ रही है।

अतः आदरणीय महोदय, समीपवर्ती राज्य मध्यप्रदेश में कार्यरत समिति प्रबंधकों के सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर परिवार के आर्थिक सुरक्षा हेतू एकमुश्त उपादान राशि प्रदान करने का प्रावधान लागू है। कृपया आपसे विनम्र निवेदन है छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ में कार्यरत प्रबंधकों के सेवा नियम क्रमांक 22 (ब) में संशोधन कर हम प्रबंधकों की समस्या को ध्यान में रखते हुए। सेवा निवृत्ति/सेवा के दौरान मृत प्रबंधकों के आश्रितों को एकमुश्त दस लाख रूपये उपादान राशि प्रदान करने की कृपा करें। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज प्रबंधक संघ सदैव आपके आभारी रहेंगें।

संलग्न :– मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी समितियों में कार्यरत प्रबंधकों की उपादान राशि संबंधी आदेश।

भवदीय
रामाधार लहरे
प्रांताध्यक्ष
छ.ग.रा.ल.वनो.
सह.समिति प्रबंधक संघ

(2)

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ म०प्र०

Email:- rcs.marketing@mp.gov.in दूरभाष नम्बर :- 0755-2554355

क्र./विप./वनो./2024/1161 भोपाल दिनांक 31/07/24

:: आदेश ::

म०प्र० राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित भोपाल के पत्र क्र./वनो./सह./2024/8771, दिनांक 18.07.2034 द्वारा प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों के सेवानियम में संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं। उक्त प्रस्ताव लघु वनोपज संघ के संचालक मंडल की 147वी बैठक दिनांक 25.06.2024 के प्रस्ताव क्रमांक 147:03 से अनुमोदित किया गया है।

म०प्र० राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित भोपाल द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के अनुक्रम में म०प्र० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं, मनोज कुमार सरियाम, पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ म०प्र० भोपाल, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों के सेवानियमों में संलग्न परिशिष्ट अनुसार संशोधन प्रतिस्थापित करता हूं।

यह आदेश आज दिनांक 31-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

संलग्न :- उक्तानुसार।

(मनोज कुमार सरियाम)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएँ म०प्र०

क्र./विप./वनो./2024/1161 भोपाल दिनांक 31/07/24

प्रतिलिपि :-

1. प्रबंध संचालक, म०प्र० राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित भोपाल।
2. संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग समस्त म०प्र०।
3. उप/सहायक आयुक्त सहकारिता जिला समस्त म०प्र०।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

पंजीयक
सहकारी संस्थाएँ म०प्र०

(3)

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों के
सेवा नियम में संशोधन

क्र.	सेवा नियम क्र.	वर्तमान प्रावधान	प्रतिस्थापित प्रावधान	संशोधन का कारण
1	2	3	4	5
1	22(अ)	निरंक	संस्था के प्रबंधक की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर, प्रबंधक के आश्रित परिवार के एक सदस्य को म0प्र0 शासन के कर्मचारियों हेतु लागू अनुकम्पा नियुक्ति के प्रावधान के अनुसार प्रबंधक पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाएगी।	नवीन प्रावधान संस्था के प्रबंधक के आश्रित परिवार की सहायता हेतु।
2	22(ब)	निरंक	संस्था के प्रबंधक की सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर म0प्र0 राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित भोपाल द्वारा एक मुश्त रू. 1.00 लाख उपादान की राशि प्रदत्त की जाएगी।	संस्था के प्रबंधक की आर्थिक सुरक्षा हेतु।

पंजीयक
सहकारी संस्थाऐं म0प्र0

Dawar PC(I) Drive/Vipran/Vanopaj-Dukdh 2024 ... 24

विषय क्रमांक - 12

विषयः- छ.ग. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्या. में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के हड़ताल अवधि का मजदूरी भुगतान के संबंध में।

- ❖ छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक 2218/2014/2024/10-1/वन दिनांक 25.10.2024 के अनुसार "अनियमित रूप से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के हड़ताल अवधि का मजदूरी भुगतान के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-6/2004/1-9/ दिनांक 25.05.2005 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है।
- ❖ सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त पत्र के कंडिका अनुसार ऐसे कर्मचारी (दैनिक वेतन भोगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि) जिनके पास किसी भी तरह का अवकाश शेष न होने के कारण उनकी हड़ताल अवधि की वेतन नहीं दी जा सकी है। ऐसे कर्मचारियों के लिए शासन ने निर्णय लिया है कि इनका उक्त अवधि का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कर उन्हें वेतन भुगतान किया जाए।
- ❖ दैनिक वेतन भोगी / श्रमिक को किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं है तथा अवकाश की पात्रता नहीं रहती है।
- ❖ संघ मुख्यालय / वृत्त कार्यालय एवं जिला यूनियन में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, जो हड़ताल में गए थे, उनका दिनांक 11.08.2024 से 27.09.2024 तक की हड़ताल अवधि को विशेष अवकाश स्वीकृत कर, पारिश्रमिक भुगतान करने संबंधी प्रस्ताव संचालक मण्डल की 100वीं बैठक दिनांक 10.12.2024 के प्रस्ताव क्रमांक 100:14 में अनुमोदन उपरान्त संघ की 25वीं वार्षिक साधारण सभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

*****

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वनबल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर –492002

(प्रभाग–प्रशासन/राजपत्रित/समन्वय)

फोन एवं फैक्स– 0771–2512838 ईमेल–apccfadm365@gmail.com

क्रमांक/प्रशा.अराज.1/437/2022/11017 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक : 25/10/2024

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक
   (क्षेत्रीय/वन्यप्राणी/कार्य आयोजना)
   छत्तीसगढ़
2. समस्त वनमण्डलाधिकारी
   (क्षेत्रीय/वन्यप्राणी/सामाजिक वानिकी)
   छत्तीसगढ़

विषय :– छ.ग. दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ द्वारा अपने 09 सूत्रीय मांगों को लेकर दिनांक 11.08.2024 से 27.09.2024 तक हड़ताल अवधि का मजदूरी भुगतान के संबंध में।

संदर्भः– छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रमांक/3218/ 2014/ 2024/ 10–1/वन, दिनांक 25.10.2024

—00—

दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ के 09 सूत्रीय मांगों को लेकर विभाग के दैनिक श्रमिक दिनांक 11.08.2024 से 27.09.2024 तक हड़ताल पर थे। उक्त अवधि का मजदूरी भुगतान के संबंध में शासन के संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) के कण्डिका कमांक–02 में दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 28.10.2024 तक मजदूरी भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से अवगत करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

25/10

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा./राज./सम.)
छत्तीसगढ़ अटल, नगर नवा रायपुर

पृ.क्रमांक/प्रशा.अराज.1/437/2022/11018 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक : 25/10/2024

प्रतिलिपि –

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छ.ग. नवा रायपुर।
2. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम, अटल नगर, नवा रायपुर
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर
4. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य लघुवनोपज संघ, अटल नगर, नवा रायपुर
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड, रायपुर
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) अटल नगर, नवा रायपुर
7. सदस्य सचिव, जैव विविधता बोर्ड, अटल नगर, नवा रायपुर

की ओर शासन के संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

25/10

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा./राज./सम.)
छत्तीसगढ़ अटल, नगर नवा रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
"मंत्रालय"
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 3218/2014/2024/10–1/वन, नवा रायपुर, दिनांक 25/10/2024

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख,
छत्तीसगढ़, अटल नगर, रायपुर।

विषय :– छ.ग. दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ द्वारा अपने 09 सूत्रीय मांगों को लेकर दिनांक 11.08.2024 से 27.09.2024 तक हड़ताल अवधि का मजदूरी भुगतान के संबंध में।

संदर्भ :– आपका पत्र क्र./प्रशा.अराज.1/437–2/2024/10165, दिनांक 30.09.2024.

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ की 09 सूत्रीय मांगों को लेकर दिनांक 11.08.2024 से 27.09.2024 तक हड़ताल अवधि का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कर, मजदूरी भुगतान की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया गया हैं।

2/ उक्त संबंध में छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये अभिमत अनुसार "अनियमित रूप से कार्यरत् दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के हड़ताल अवधि का मजदूरी भुगतान के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–6/2004/1–9, दिनांक 25.05.2005 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। अतः उक्त परिपत्र में उल्लेखित निर्देश अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।"

3/ कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर, इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार।

(डी.आर. सोन्टापर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां क्रमांक /2014/2024/10–1/वन, नवा रायपुर, दिनांक /10/2024

प्रतिलिपि :–

(1) विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
(3) प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
(4) प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
(5) प्रांताध्यक्ष, छ.ग. दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ, पता :– मेन रोड, दुर्गा मंदिर के पास, वन परिक्षेत्र कार्यालय बागबाहरा, जिला महासमुंद की ओर सूचनार्थ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

APCCF (N/G)

Letter 2024 Class III/IV

PCCF 25/10/2024

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक
आवक क्र. 3948
दिनांक 25/10/2024
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 3-6/2004/1-9

रायपुर, दिनांक 25-5-2005

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त, विभागाध्यक्ष/जिला कलेक्टर्स
छ0ग0

विषय:- चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को हड़ताल अवधि का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने बाबत ।

चतुर्थ वर्ग के वे कर्मचारी जो दिनांक 29.9.2004 को सामूहिक अवकाश एवं दिनांक 8.11.2004 से 27.11.2004 तक अनिश्चित कालीन हड़ताल पर रहे थे, उनका शासन ने हड़ताल वापस लेने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए हड़ताल अवधि का अवकाश स्वीकृत कर उस अवधि का वेतन भुगतान करने के निर्देश प0क्र0एफ 3-6/04/1-9 दिनांक 2.12.2004 से दिए है ।

2/ शासन के ध्यान में यह लाया गया कि कतिपय कार्यालयों में कुछ ऐसे कर्मचारी (दैनिक वेतनभोगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि) जिनके पास किसी भी तरह का अवकाश शेष न होने के कारण उनकी हड़ताल अवधि की वेतन नहीं दी जा सकी है । ऐसे कर्मचारियों के लिए शासन ने निर्णय लिया है कि इनका उक्त अवधि का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कर उन्हें वेतन भुगतान किया जाय ।

(एन0के0भट्टर)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 3-6/2004/1-9

रायपुर, दिनांक 25-5-2005

प्रतिलिपि:-

रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, बिलासपुर
सचिव, लोक सेवा आयोग, रायपुर
राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर
सचिव, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
विशेष सहायक/निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण
आवासीय आयुक्त, छ.ग. भवन, नई दिल्ली, ...निरन्तर

विषय क्रमांक - 13

विषयः- संघ के सेक्टर-26 में स्थित आवासीय परिसर में रिक्त आवास संघ में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को आबंटन करने विषयक।

❖ संघ के सेक्टर-26 अटल नगर नवा रायपुर स्थित आवास 3BHK (140.75 Sqare meter) 24 फ्लैट में से 2 फ्लेट एवं 2BHK (104.17 Sqare meter) 48 फ्लैट में से 23 फ्लैट कुल 25 संघ के कर्मचारियों को आबंटित किया गया है। इस प्रकार संघ के सेक्टर -26 के कुल 72 आवासों में से 47 फ्लैट रिक्त है। इस प्रकार आबंटितएवं रिक्त आवासों का विवरण निम्नानुसार है **(प्रदर्श-1)** :-

क्र.	आवासों का प्रकार / निकटतम टाईप	कुल आवास	आवास का क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)	आबंटित आवास	रिक्त आवास
1	3BHK / E Type	24	1231.39	02	22
2	2BHK (Block I) / F Type	24	878.22	11	13
3	2BHK (Block II) / F Type	24	878.22	12	12
	Grand Total	72	2987.83	25	47

❖ छ.ग. शासन, गृह विभाग, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, के आदेश 16 अक्टूबर, 2008, क्रमांक एफ 6-23/गृह/दो/2008- शासकीय आवास आबंटन नियम, 2000 के अंतर्गत जारी आदेश क्रमांक एफ -1-138/दो-ए (3) भोपाल दिनांक 24 जून, 2000 की कंडिका (2) में संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा रायपुर स्थित समान्य पूल के शासकीय आवासों का बाजार दर पर संशोधित मासिक किराया निम्नानुसार निर्धारित किया गया है **(प्रदर्श-2)**:-

क्र.	आवासों का प्रकार / निकटतम टाईप	आवास का क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)	रिक्त आवास	बाजार दर पर संशोधित मासिक किराया
1	3BHK / E Type	1231.39	22	12,300/-
2	2BHK (Block I) / F Type	878.22	13	7,950/-
3	2BHK (Block II) / F Type	878.22	12	7,950/-

❖ उपरोक्तानुसार शासकीय आवासों का संशोधित मासिक किराया निर्धारित है। संघ के रिक्त आवासों हेतु उक्त मासिक किराया दर पर / संशोधन कर उपरोक्त रिक्त आवासों को संघ में संविदा पर कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों को बाजार दर / रियायती बाजार दर पर किराये पर देने हेतु प्रस्ताव संचालक मण्डल की 100वीं बैठक दिनांक 10.12.2024 के प्रस्ताव क्रमांक 100:17 में विचार उपरान्त संघ की 25वीं वार्षिक साधारण सभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

*****

<u>छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर</u>

आवास आबंटन समिति की बैठक दिनांक 29.07.2024

<u>कार्यवाही विवरण</u>

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के नवा रायपुर सेक्टर-26 स्थित नवा आवास गृह कर्मचारियों को आबंटन किये जाने हेतु संघ के आदेश क्रमांक MFP01/01.B/स्था-01/2022/303 दिनांक 18.07.2022 द्वारा निम्न अधिकारियों की आवास आबंटन समिति गठित (**प्रदर्श-1**) की गई है :-

1	**श्री मणिवासगन एस., कार्यकारी संचालक,** छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर	-	**अध्यक्ष**
2	**सुश्री किरन गुप्ता, सचिव** छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर	-	सदस्य
3	**श्री ताम्रध्वज साहू, प्रबंधक (वित्त)** छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर	-	सदस्य

आवास आबंटन समिति की बैठक दिनांक 29.07.2024 को अपरान्ह 03:30 बजे आयोजित की गई । चूंकि संघ में पृथक से आवास आबंटन नियम निर्धारित/लागू नहीं है, अतः संघ के कर्मचारी, भर्ती वर्गीकरण तथा सेवाशर्ते नियम 1994 की कंडिका/उपनियम क्रमांक 95 में स्थापित प्रावधान

''यदि किसी विषय के संबंध में प्रावधान उपरोक्त नियमों में न किया गया हो तो उस विषय के संबंध में शासन द्वारा बनाये गये नियम लागू होगें'' । (**प्रदर्श-2**)

के पालन में छत्तीसगढ़ शासन में लागू शासकीय आवास आबंटन नियम 2000 के संदर्भ में पात्रता/लाइसेंस शुल्क/आबंटन की शर्ते आदि का निर्धारण के संबंध में विचार किया गया है । (**प्रदर्श-3**)

<u>आवास की उपलब्धता</u> - वर्तमान में संघ के पास उपलब्ध भरे एवं रिक्त आवास का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	**स्थान का नाम**	**भवन का प्रकार**	**श्रेणी**	**कुल**	**भरे**	**रिक्त**
1	**सेक्टर-26**	3BHK फ्लैट	E	24	0	24
2	**सेक्टर-26**	2BHK फ्लैट	F	48	0	48
3	**कचना**	3BHK फ्लैट	E	01	01	0
4	**कचना**	2BHK फ्लैट	F	14	13	01
कुल योग				**87**	**14**	**73**

<u>प्राप्त आवेदनों का विवरण</u> - संघ में पदस्थ 20 निम्न अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा सेक्टर-26 में आवास आबंटन हेतु आवेदन पत्र समिति के समक्ष आबंटन के संबंध में विचार हेतु प्रस्तुत किया गया ।

......2

क्र.	कर्मचारियों का नाम	पदनाम	आवेदन दिनांक	रिमार्क
1	श्री अक्षय मनु	उप प्रबंधक (आंतरिक अंकेक्षण)	02.06.2023	
2	श्रीमती काजल साहू	प्रोग्रामर	26.05.2023	
3	श्री दिनेश पटेल	शीघ्रलेखक	24.05.2023	
4	कु. केका नागवंशी	लेखा अधीक्षक	01.07.2023	तृतीय तल हेतु निवेदन किया गया ।
5	श्री चित्रेश सिंह परिहार	कर सहायक	22.05.2023	
6	श्री नितिन कुमार जायवसाल	आंतरिक अंकेक्षक	18.05.2023	
7	श्री विकास कुमार साहू	आंतरिक अंकेक्षक	18.05.2023	
8	श्री नीलम कुमार खोटेल	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	26.05.2023	प्रथम तल हेतु निवेदन किया गया ।
9	श्री भेमा राम साहू	सहायक ग्रेड-3	18.05.2023	
10	श्री हेमचरण साहू	सहायक ग्रेड-3		प्रथम तल हेतु निवेदन किया गया ।
11	श्री नारायण दत्त	सहायक ग्रेड-3	23.05.2023	
12	श्री प्रहलाद कुमार पाल	वाहन चालक	19.05.2023	
13	श्री महेन्द्र कुमार साहू	वाहन चालक	19.05.2023	
14	श्री रमेश कुमार मारबते	वाहन चालक	23.05.2023	
15	श्री शत्रुहन कुमार तारक	संदेश वाहक	23.05.2023	प्रथम तल हेतु निवेदन किया गया ।
16	श्री महेन्द्र कुमार रात्रे	संदेश वाहक	19.05.2023	
17	श्रीमती चंचल प्रजापति	संदेश वाहक	23.05.2023	
18	श्री मोहित राम यादव	संदेश वाहक	25.05.2023	
19	कु. तारिका दुबे	संदेश वाहक	18.07.2024	प्रथम तल हेतु निवेदन किया गया ।
20	श्रीमती राजकुमारी ध्रुव	सहायक ग्रेड-3	30.07.2024	

आवास आबंटन की शर्तें :-

(i) यह आबंटन केवल आवासीय उपयोग के लिये ही है । आवास का वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक उपयोग इसके अलावा अन्य को अन्यथा उपयोग हेतु किराये पर देना भी पूर्णतः प्रतिबंधित है । ऐसा पाया जाता है तो तत्काल आबंटन निरस्त कर बेदखली की जाएगी तथा आबंटिती के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर आवास का बाजार दर की दुगनी दर से दांडिक किराया भी वसूल किया जाएगा ।

(ii) आवास को आवासीय उपयोग में नहीं लेकर ताला लगाकर रिक्त रखने पर भी आबंटन आदेश निरस्त कर निष्कासन किया जाएगा ।

(iii) आबंटिती के स्थानान्तरण एवं सेवानिवृत्ति होने की स्थिति में 2 माह तथा पदच्युत होने, त्याग पत्र तथा बर्खास्तगी होने की स्थिति में 1 माह तक आवास को आधिपत्य में रख सकेंगे । अन्यथा अनधिकृत रूप से आधिपत्य पर बिना विपरीत प्रभाव डाले, इस अवधि के लिये बाजार दर से दुगुनी दर पर किराया वसूल होगा ।

(iv) आबंटिती द्वारा आवासगृह से लगी भूमि पर अतिक्रमण करने, जानवर पालने, पड़ोसियों की सुख सुविधा में व्यवधान पैदा करने, किराया बकाया रखने या आवास अन्य व्यक्ति को किराये पर देने या स्वयं न रहने पर किसी भी समय आबंटन आदेश निरस्त कर किया जा सकेगा तथा आबंटिती के विरूद्ध अनधिकृत रूप से आधिपत्य की अवधि का किराया कंडिका । के तहत वसूल किया जावेगा ।

......3

(v) इस आदेश के द्वारा आवास आबंटन के उपरांत आबंटिती यदि रायपुर शहर के 8 किलोमीटर की परिधि में स्वयं अथवा पत्नी के नाम से मकान निर्मित करता है तो मकान का निर्माण कार्यपूर्ण होने के 3 माह के भीतर संघ को इसकी सूचना देगा अन्यथा संघ के आंबटित आवास को अनधिकृत रूप से आधिपत्य मानकर इस अवधि के लिए बाजार दर से दुगुनी दर पर किराया वसूल किया जावेगा ।

(vi) प्रशासनिक प्रकरणों से यह आंबटन आदेश किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त किया जावेगा तथा आंबटन आदेश निरस्त किया जाने पर सात दिवस के अन्दर आवास रिक्त करना होगा ।

(vii) आबंटिती भवन में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य नहीं कर सकेगा तथा भवन के मूल स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकेगा ।

(viii) आबंटिती भवन के रख-रखाव, साफ-सफाई, पानी, बिजली आदि के व्यय को स्वयं वहन करेगा ।

(ix) इस आदेश के जारी होने के 30 दिन के अंदर भवन का अधिपत्य लेना अनिवार्य होगा अन्यथा संघ आबंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगा ।

(x) **आबंटिती के वेतन से प्रत्येक माह नियमानुसार लायसेंस फीस की राशि की कटौती की जाएगी ।**

प्रस्तावित आवास आबंटन :-

समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों का अवलोकन किया गया । आवास आबंटन हेतु समिति द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य आवास आबंटन नियम 2000 का अवलोकन किया गया तथा सेक्टर-26 भवन ब्लॉक-**1,2 (2BHK),** ब्लॉक-**3 (3BHK)** में उपलब्ध रिक्त भवनों को आबंटन की समिति की अनुशंसा निम्नानुसार है :-

(A) ब्लॉक-1 (2BHK फ्लैट) F-टाइप

निर्धारित लाइसेंस फीस 210/- रूपये

क्र.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स लेवल/ग्रेड वेतन	सेक्टर-26 नवा रायपुर, ब्लॉक-1 में आवास			
				प्रस्तावित भवन क्रमांक (ब्लॉक-1 में)	प्रकार	तल	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री दिनेश पटेल	शीघ्रलेखक	Level-9 GP-4300	103	F	प्रथम	-
2	श्री नीलम कुमार खोटेल	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	Level-7 GP-2800	101	F	प्रथम	आवेदन अनुसार
3	श्रीमती राजकुमारी ध्रुव	सहायक ग्रेड-III	Level-4 GP-1900	104	F	प्रथम	-
4	श्री हेमचरण साहू	सहायक ग्रेड-III	Level-4 GP-1900	102	F	प्रथम	आवेदन अनुसार
5	श्री भेमा राम साहू	सहायक ग्रेड-III	Level-4 GP-1900	201	F	द्वितीय	-

......4

1	2	3	4	5	6	7	8
6	श्री चित्रेश सिंह परिहार	कर सहायक	Level-7 GP-2800	202	F	द्वितीय	-
7	श्री नितिन कुमार जायवसाल (परिवीक्षाधीन)	आंतरिक अंकेक्षक	Level-7 GP-2800	203	F	द्वितीय	-
8	श्री विकास कुमार साहू (परिवीक्षाधीन)	आंतरिक अंकेक्षक	Level-7 GP-2800	204	F	द्वितीय	-
9	कु. केका नागवंशी	लेखा अधीक्षक	Level-8 GP-4200	301	F	तृतीय	आवेदन अनुसार
10	कु. तारिका दुबे	संदेश वाहक	Level-1 GP-1300	302	F	तृतीय	आवेदन अनुसार

(B) ब्लॉक-2 (2BHK फ्लैट) F-टाइप

निर्धारित लाइसेंस फीस 210/- रूपये

क्र.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स लेवल/ग्रेड वेतन	सेक्टर-26 नवा रायपुर, ब्लॉक-2 में आवास			
				प्रस्तावित भवन क्रमांक (ब्लॉक-2 में)	प्रकार	तल	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री नारायण दत्त (परिवीक्षाधीन)	सहायक ग्रेड-III	Level-4 GP-1900	204	F	द्वितीय	-
2	श्री रमेश कुमार मारबते	वाहन चालक	Level-7 GP-2800	203	F	द्वितीय	-
3	श्री प्रहलाद कुमार पाल	वाहन चालक	Level-4 GP-1900	202	F	द्वितीय	-
4	श्री महेन्द्र कुमार साहू	वाहन चालक	Level-4 GP-1900	201	F	द्वितीय	-
5	श्री मोहित राम यादव	संदेश वाहक	Level-2 GP-1400	101	F	प्रथम	-
6	श्री महेन्द्र कुमार रात्रे	संदेश वाहक	Level-1 GP-1300	104	F	प्रथम	-
7	श्रीमती चंचल प्रजापति	संदेश वाहक	Level-1 GP-1300	102	F	प्रथम	-
8	श्री शत्रुहन कुमार तारक	संदेश वाहक	Level-1 GP-1300	103	F	प्रथम	आवेदन अनुसार

......5

(C) ब्लॉक-3 (3BHK फ्लैट) E-टाइप

निर्धारित लाइसेंस फीस 350/- रूपये

क्र.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स लेवल/ग्रेड वेतन	सेक्टर-26 नवा रायपुर, ब्लॉक-3 में आवास			
				प्रस्तावित भवन क्रमांक (ब्लॉक-3 में)	प्रकार	तल	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री अक्षय मनु	उप-प्रबंधक (आंतरिक अंकेक्षण)	Level-12 GP-5400	101	E	प्रथम	-
2	कु. काजल साहू (परिवीक्षाधीन)	प्रोग्रामर	Level-12 GP-5400	102	E	प्रथम	-

उपरोक्तानुसार उप-प्रबंधक (आतंरिक अंकेक्षण), प्रोग्रामर, लेखा अधीक्षक, कर सहायक, आंतरिक अंकेक्षक, डाटा एन्ट्री आपरेटर, सहायक ग्रेड-III, वाहन चालक एवं संदेशवाहक संवर्ग से प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाकर, उपलब्ध आवासीय भवन के आधार पर तालिका में दर्शित कर्मचारियों को आवास आबंटन की अनुशंसा की जाती है ।

सही/-
(ताम्रध्वज साहू)
प्रबंधक वित्त
सदस्य
छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ

सही/-
(किरन गुप्ता)
संयुक्त आयुक्त एवं सचिव
सदस्य
छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ

सही/-
(मणिवासगन एस.)
कार्यकारी संचालक
अध्यक्ष
छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ

कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित्
"वन धन भवन"
सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
E-mail: mfpfed.cg@nic.in ☎ (0771) 2513100 Website: www.cgmfpfed.org

क्रमांक/MFP01/स्था.-1/2024/ **नवा रायपुर, दिनांक /08/2024**

//आदेश//

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, नवा रायपुर अटल नगर जिला-रायपुर के नवा रायपुर सेक्टर-26 स्थित आवासीय भवन का आबंटन निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	आबंटित आवास का विवरण		
			नवा रायपुर सेक्टर-26	आवास क्रमांक	लाइसेंस फीस (मासिक)
1	2	3	4	5	6
01	श्री अक्षय मनु	उप-प्रबंधक (आंतरिक अंकेक्षण)	**Block-3**	**101**	**350/-**
02	कु. काजल साहू (परिवीक्षाधीन)	प्रोग्रामर	**Block-3**	**102**	**350/-**
03	श्री दिनेश पटेल	शीघ्रलेखक	**Block-1**	**103**	**210/-**
04	श्री नीलम कुमार खोटेल	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	**Block-1**	**101**	**210/-**
05	श्रीमती राजकुमारी ध्रुव	सहायक ग्रेड-III	**Block-1**	**104**	**210/-**
06	श्री हेमचरण साहू	सहायक ग्रेड-III	**Block-1**	**102**	**210/-**
07	श्री भेमा राम साहू	सहायक ग्रेड-III	**Block-1**	**201**	**210/-**
08	श्री चित्रेश सिंह परिहार	कर सहायक	**Block-1**	**202**	**210/-**
09	श्री नितिन कुमार जायवसाल (परिवीक्षाधीन)	आंतरिक अंकेक्षक	**Block-1**	**203**	**210/-**
10	श्री विकास कुमार साहू (परिवीक्षाधीन)	आंतरिक अंकेक्षक	**Block-1**	**204**	**210/-**
11	कु. केका नागवंशी	लेखा अधीक्षक	**Block-1**	**301**	**210/-**
12	कु. तारिका दुबे	संदेश वाहक	**Block-1**	**302**	**210/-**
13	श्री नारायण दत्त (परिवीक्षाधीन)	सहायक ग्रेड-III	**Block-2**	**204**	**210/-**
14	श्री रमेश कुमार मारबते	वाहन चालक	**Block-2**	**203**	**210/-**
15	श्री प्रहलाद कुमार पाल	वाहन चालक	**Block-2**	**202**	**210/-**
16	श्री महेन्द्र कुमार साहू	वाहन चालक	**Block-2**	**201**	**210/-**
17	श्री मोहित राम यादव	संदेश वाहक	**Block-2**	**101**	**210/-**
18	श्री महेन्द्र कुमार रात्रे	संदेश वाहक	**Block-2**	**104**	**210/-**
19	श्रीमती चंचल प्रजापति	संदेश वाहक	**Block-2**	**102**	**210/-**
20	श्री शत्रुहन कुमार तारक	संदेश वाहक	**Block-2**	**103**	**210/-**

......2

आवास आबंटन की शर्तें :-

(i) यह आबंटन केवल आवासीय उपयोग के लिये ही है । आवास का वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक उपयोग इसके अलावा अन्य को अन्यथा उपयोग हेतु किराये पर देना भी पूर्णतः प्रतिबंधित है । ऐसा पाया जाता है तो तत्काल आबंटन निरस्त कर बेदखली की जाएगी तथा आबंटिती के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर आवास का बाजार दर की दुगनी दर से दांडिक किराया भी वसूल किया जाएगा ।

(ii) आवास को आवासीय उपयोग मे नहीं लेकर ताला लगाकर रिक्त रखने पर भी आबंटन आदेश निरस्त कर निष्कासन किया जाएगा ।

(iii) आबंटिती के स्थानान्तरण एवं सेवानिवृत्ति होने की स्थिति में 2 माह तथा पदच्युत होने, त्याग पत्र तथा बर्खास्तगी होने की स्थिति में 1 माह तक आवास को आधिपत्य में रख सकेंगे । अन्यथा अनधिकृत रूप से आधिपत्य पर बिना विपरीत प्रभाव डाले, इस अवधि के लिये बाजार दर से दुगुनी दर पर किराया वसूल होगा ।

(iv) आबंटिती द्वारा आवासगृह से लगी भूमि पर अतिक्रमण करने, जानवर पालने, पड़ोसियों की सुख सुविधा में व्यवधान पैदा करने, किराया बकाया रखने या आवास अन्य व्यक्ति को किराये पर देने या स्वयं न रहने पर किसी भी समय आबंटन आदेश निरस्त कर किया जा सकेगा तथा आबंटिती के विरूद्ध अनधिकृत रूप से आधिपत्य की अवधि का किराया कंडिका 1 के तहत वसूल किया जावेगा ।

(v) इस आदेश के द्वारा आवास आबंटन के उपरांत आबंटिती यदि रायपुर शहर के 8 किलोमीटर की परिधि में स्वयं अथवा पत्नी के नाम से मकान निर्मित करता है तो मकान का निर्माण कार्यपूर्ण होने के 3 माह के भीतर संघ को इसकी सूचना देगा अन्यथा संघ के आंबटित आवास को अनधिकृत रूप से आधिपत्य मानकर इस अवधि के लिए बाजार दर से दुगुनी दर पर किराया वसूल किया जावेगा ।

(vi) प्रशासनिक प्रकरणों से यह आंबटन आदेश किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त किया जावेगा तथा आंबटन आदेश निरस्त किया जाने पर सात दिवस के अन्दर आवास रिक्त करना होगा ।

(vii) आबंटिती भवन में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य नहीं कर सकेगा तथा भवन के मूल स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकेगा ।

(viii) आबंटिती भवन के रख-रखाव, साफ-सफाई, पानी, बिजली आदि के व्यय को स्वयं वहन करेगा ।

(ix) इस आदेश के जारी होने के 30 दिन के अंदर भवन का अधिपत्य लेना अनिवार्य होगा अन्यथा संघ आबंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगा ।

(x) आबंटिती के वेतन से प्रत्येक माह नियमानुसार लायसेंस फीस की राशि की कटौती की जाएगी ।

सही/-
(किरन गुप्ता)
संयुक्त आयुक्त एवं सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर

......3

पृ.क्रमांक/MFP01/स्था.-1/2024/ नवा रायपुर, दिनांक /08/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. **प्रबंधक (वित्त),** छ.ग. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ नवा रायपुर अटल नगर ।
2. **प्रबंधक (लेखा),** छ.ग. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ नवा रायपुर अटल नगर ।
3. **स्थापना देयक शाखा,** छ.ग. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ नवा रायपुर अटल नगर नियमानुसार कार्यवाही करें ।
4. **सर्व श्री/श्रीमती/कु.** -- छ.ग. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ नवा रायपुर अटल नगर की ओर पालनार्थ ।

सही/-

संयुक्त आयुक्त एवं सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर

<u>छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर</u>

आवास आबंटन समिति की बैठक दिनांक 17.09.2024

<u>कार्यवाही विवरण</u>

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के नवा रायपुर सेक्टर-26 स्थित नवा आवास गृह कर्मचारियों को आबंटन किये जाने हेतु संघ के आदेश क्रमांक MFP01/01.B/स्था-01/2022/303 दिनांक 18.07.2022 द्वारा निम्न अधिकारियों की आवास आबंटन समिति गठित (**प्रदर्श-1**) की गई है :-

1 **श्री मणिवासगन एस., कार्यकारी संचालक,** - **अध्यक्ष**
छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर

2 **सुश्री किरन गुप्ता, सचिव** - सदस्य
छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर

3 **श्री ताम्रध्वज साहू, प्रबंधक (वित्त)** - सदस्य
छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर

आवास आबंटन समिति की बैठक दिनांक 29.07.2024 को अपरान्ह 03:30 बजे आयोजित की गई । चूंकि संघ में पृथक से आवास आबंटन नियम निर्धारित/लागू नहीं है, अतः संघ के कर्मचारी, भर्ती वर्गीकरण तथा सेवाशर्ते नियम 1994 की कंडिका/उपनियम क्रमांक 95 में स्थापित प्रावधान

''यदि किसी विषय के संबंध में प्रावधान उपरोक्त नियमों में न किया गया हो तो उस विषय के संबंध में शासन द्वारा बनाये गये नियम लागू होगें'' । (प्रदर्श-2)

के पालन में छत्तीसगढ़ शासन में लागू शासकीय आवास आबंटन नियम 2000 के संदर्भ में पात्रता/लाइसेंस शुल्क/आबंटन की शर्ते आदि का निर्धारण के संबंध में विचार किया गया है । (**प्रदर्श-3**)

<u>आवास की उपलब्धता</u> - वर्तमान में संघ के पास उपलब्ध भरे एवं रिक्त आवास का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	स्थान का नाम	भवन का प्रकार	श्रेणी	कुल	आबंटित/भरे	रिक्त	रिमार्क
1	**सेक्टर-26**	3BHK फ्लैट	E	24	2	22	
2	**सेक्टर-26**	2BHK फ्लैट	F	48	18	30	
3	**कचना**	3BHK फ्लैट	E	01	01	0	
4	**कचना**	2BHK फ्लैट	F	14	12	02	
कुल योग				**87**	**33**	**54**	

<u>कर्मचारियों का विवरण</u> - संघ द्वारा निम्न कर्मचारियों को पात्रतानुसार किराये का आवास उपलब्ध कराया गया है, जिसके लिये संघ द्वारा मकान मालिक से अनुबंध किया जाकर मकान मालिक के खाते में किराये की राशि का भुगतान किया जाता है । वर्तमान में संघ के पास स्वयं के आवास उपलब्ध है । अतः निम्न कर्मचारियों को (जो वर्तमान में किराये के मकान में निवासरत है) को आवास निम्नानुसार आवास आबंटन प्रस्तावित किया जाता है :-

......2

क्र.	कर्मचारियों का नाम	पदनाम
1	श्री श्रीकांत मालवे	कनिष्ठ लेखापाल
2	श्री प्रदीप वलथरे	वाहन चालक
3	श्री लोकेश्वर डहरिया	वाहन चालक
4	श्री हिरेन्द्र साहू	वाहन चालक
5	श्री आंनद शर्मा	वाहन चालक

<u>आवास आबंटन की शर्तें</u> :-

(i) यह आबंटन केवल आवासीय उपयोग के लिये ही है । आवास का वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक उपयोग इसके अलावा अन्य को अन्यथा उपयोग हेतु किराये पर देना भी पूर्णतः प्रतिबंधित है । ऐसा पाया जाता है तो तत्काल आबंटन निरस्त कर बेदखली की जाएगी तथा आबंटिती के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर आवास का बाजार दर की दुगनी दर से दांडिक किराया भी वसूल किया जाएगा ।

(ii) आवास को आवासीय उपयोग में नहीं लेकर ताला लगाकर रिक्त रखने पर भी आबंटन आदेश निरस्त कर निष्कासन किया जाएगा ।

(iii) आबंटिती के स्थानान्तरण एवं सेवानिवृत्ति होने की स्थिति में 2 माह तथा पदच्युत होने, त्याग पत्र तथा बर्खास्तगी होने की स्थिति में 1 माह तक आवास को आधिपत्य में रख सकेंगे । अन्यथा अनधिकृत रूप से आधिपत्य पर बिना विपरीत प्रभाव डाले, इस अवधि के लिये बाजार दर से दुगुनी दर पर किराया वसूल होगा ।

(iv) आबंटिती द्वारा आवासगृह से लगी भूमि पर अतिक्रमण करने, जानवर पालने, पड़ोसियों की सुख सुविधा में व्यवधान पैदा करने, किराया बकाया रखने या आवास अन्य व्यक्ति को किराये पर देने या स्वयं न रहने पर किसी भी समय आबंटन आदेश निरस्त कर किया जा सकेगा तथा आबंटिती के विरूद्ध अनधिकृत रूप से आधिपत्य की अवधि का किराया कंडिका 1 के तहत वसूल किया जावेगा ।

(v) इस आदेश के द्वारा आवास आबंटन के उपरांत आबंटिती यदि रायपुर शहर के 8 किलोमीटर की परिधि में स्वयं अथवा पत्नी के नाम से मकान निर्मित करता है तो मकान का निर्माण कार्यपूर्ण होने के 3 माह के भीतर संघ को इसकी सूचना देगा अन्यथा संघ के आंबटित आवास को अनधिकृत रूप से आधिपत्य मानकर इस अवधि के लिए बाजार दर से दुगुनी दर पर किराया वसूल किया जावेगा ।

(vi) प्रशासनिक प्रकरणों से यह आंबटन आदेश किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त किया जावेगा तथा आंबटन आदेश निरस्त किया जाने पर सात दिवस के अन्दर आवास रिक्त करना होगा ।

(vii) आबंटिती भवन में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य नहीं कर सकेगा तथा भवन के मूल स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकेगा ।

(viii) आबंटिती भवन के रख-रखाव, साफ-सफाई, पानी, बिजली आदि के व्यय को स्वयं वहन करेगा ।

(ix) इस आदेश के जारी होने के 30 दिन के अंदर भवन का अधिपत्य लेना अनिवार्य होगा अन्यथा संघ आबंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगा ।

(x) **आबंटिती के वेतन से प्रत्येक माह नियमानुसार लायसेंस फीस की राशि की कटौती की जाएगी ।**

......3

<u>प्रस्तावित आवास आबंटन</u> :-

समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों का अवलोकन किया गया । आवास आबंटन हेतु समिति द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य आवास आबंटन नियम 2000 का अवलोकन किया गया तथा सेक्टर-26 भवन ब्लॉक-**1,2 (2BHK),** ब्लॉक-**3 (3BHK)** में उपलब्ध रिक्त भवनों को आबंटन की समिति की अनुशंसा निम्नानुसार है :-

(A) ब्लॉक-1 (2BHK फ्लैट) F-टाइप

निर्धारित लाइसेंस फीस 210/- रूपये

क्र.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स लेवल/ग्रेड वेतन	सेक्टर-26 नवा रायपुर, ब्लॉक-1 में आवास			
				प्रस्तावित भवन क्रमांक (ब्लॉक-1 में)	प्रकार	तल	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री श्रीकांत मालवे	कनिष्ठ लेखापाल	Level-6 GP-2400	303	F	तृतीय	-

(B) ब्लॉक-2 (2BHK फ्लैट) F-टाइप

निर्धारित लाइसेंस फीस 210/- रूपये

क्र.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स लेवल/ग्रेड वेतन	सेक्टर-26 नवा रायपुर, ब्लॉक-2 में आवास			
				प्रस्तावित भवन क्रमांक (ब्लॉक-2 में)	प्रकार	तल	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री प्रदीप वलथरे	वाहन चालक	Level-6 GP-2400	301	F	तृतीय	-
2	श्री लोकेश्वर डहरिया	वाहन चालक	Level-6 GP-2400	302	F	तृतीय	-
3	श्री हिरेन्द्र कुमार साहू	वाहन चालक	Level-6 GP-2400	303	F	तृतीय	-
4	श्री आनंद शर्मा	वाहन चालक	Level-6 GP-2400	304	F	तृतीय	-

उपरोक्तानुसार कनिष्ठ लेखापाल एवं वाहन चालक संवर्ग के कर्मचारियों को आवास आबंटन हेतु विचार किया जाकर, उपलब्ध आवासीय भवन के आधार पर तालिका में दर्शित कर्मचारियों को आवास आबंटन की अनुशंसा की जाती है ।

सही/-
(ताम्रध्वज साहू)
प्रबंधक वित्त
सदस्य
छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ

सही/-
(किरन गुप्ता)
संयुक्त आयुक्त एवं सचिव
सदस्य
छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ

सही/-
(मणिवासगन एस.)
कार्यकारी संचालक
अध्यक्ष
छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ

कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित्
"वन धन भवन"
सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
E-mail: mfpfed.cg@nic.in ☎ (0771) 2513100 Website: www.cgmfpfed.org

क्रमांक/MFP01/स्था.-1/2024/ नवा रायपुर, दिनांक /09/2024

//आदेश//

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, नवा रायपुर अटल नगर जिला-रायपुर के नवा रायपुर सेक्टर-26 स्थित आवासीय भवन का आबंटन निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	आबंटित आवास का विवरण		
			नवा रायपुर सेक्टर-26	आवास क्रमांक	लाइसेंस फीस (मासिक)
1	2	3	4	5	6
1	श्री श्रीकांत मालवे	कनिष्ठ लेखापाल	Block-1	303	210/-
2	श्री प्रदीप वलथरे	वाहन चालक	Block-2	301	210/-
3	श्री लोकेश्वर डहरिया	वाहन चालक	Block-2	302	210/-
4	श्री हिरेन्द्र कुमार साहू	वाहन चालक	Block-2	303	210/-
5	श्री आनंद शर्मा	वाहन चालक	Block-2	304	210/-

टीप :- आबंटन अनुसार आवासों का आधिपत्य माह के अंत तक ग्रहण करें । माह अक्टूबर 2024 के पश्चात् संघ द्वारा अनुबंध के आधार पर आपको उपलब्ध कराये गये आवास के किराये का भुगतान नहीं किया जावेगा । कृपया मकान मालिक को भी अवगत करावें ।

आवास आबंटन की शर्तें :-

(i) यह आबंटन केवल आवासीय उपयोग के लिये ही है । आवास का वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक उपयोग इसके अलावा अन्य को अन्यथा उपयोग हेतु किराये पर देना भी पूर्णतः प्रतिबंधित है । ऐसा पाया जाता है तो तत्काल आबंटन निरस्त कर बेदखली की जाएगी तथा आबंटिती के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर आवास का बाजार दर की दुगनी दर से दांडिक किराया भी वसूल किया जाएगा ।

(ii) आवास को आवासीय उपयोग मे नहीं लेकर ताला लगाकर रिक्त रखने पर भी आबंटन आदेश निरस्त कर निष्कासन किया जाएगा ।

(iii) आबंटिती के स्थानान्तरण एवं सेवानिवृत्ति होने की स्थिति में 2 माह तथा पदच्युत होने, त्याग पत्र तथा बर्खास्तगी होने की स्थिति में 1 माह तक आवास को आधिपत्य में रख सकेंगे । अन्यथा अनधिकृत रूप से आधिपत्य पर बिना विपरीत प्रभाव डाले, इस अवधि के लिये बाजार दर से दुगुनी दर पर किराया वसूल होगा ।

(iv) आबंटिती द्वारा आवासगृह से लगी भूमि पर अतिक्रमण करने, जानवर पालने, पड़ोसियों की सुख सुविधा में व्यवधान पैदा करने, किराया बकाया रखने या आवास अन्य व्यक्ति को किराये पर देने या स्वयं न रहने पर किसी भी समय आबंटन आदेश निरस्त कर किया जा सकेगा तथा आबंटिती के विरूद्ध अनधिकृत रूप से आधिपत्य की अवधि का किराया कंडिका 1 के तहत वसूल किया जावेगा ।

......2

(v) इस आदेश के द्वारा आवास आबंटन के उपरांत आबंटिती यदि रायपुर शहर के 8 किलोमीटर की परिधि में स्वयं अथवा पत्नी के नाम से मकान निर्मित करता है तो मकान का निर्माण कार्यपूर्ण होने के 3 माह के भीतर संघ को इसकी सूचना देगा अन्यथा संघ के आंबटित आवास को अनधिकृत रूप से आधिपत्य मानकर इस अवधि के लिए बाजार दर से दुगुनी दर पर किराया वसूल किया जावेगा ।

(vi) प्रशासनिक प्रकरणों से यह आंबटन आदेश किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त किया जावेगा तथा आंबटन आदेश निरस्त किया जाने पर सात दिवस के अन्दर आवास रिक्त करना होगा ।

(vii) आबंटिती भवन में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य नहीं कर सकेगा तथा भवन के मूल स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकेगा ।

(viii) आबंटिती भवन के रख-रखाव, साफ-सफाई, पानी, बिजली आदि के व्यय को स्वयं वहन करेगा ।

(ix) इस आदेश के जारी होने के 30 दिन के अंदर भवन का अधिपत्य लेना अनिवार्य होगा अन्यथा संघ आबंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगा ।

(x) **आबंटिती के वेतन से प्रत्येक माह नियमानुसार लायसेंस फीस की राशि की कटौती की जाएगी ।**

सही/-
(किरन गुप्ता)
संयुक्त आयुक्त एवं सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर

पृ.क्रमांक/MFP01/स्था.-1/2024/ **नवा रायपुर, दिनांक /09/2024**

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. **प्रबंधक (वित्त),** छ.ग. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ नवा रायपुर अटल नगर ।
2. **प्रबंधक (लेखा),** छ.ग. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ नवा रायपुर अटल नगर ।
3. **स्थापना देयक शाखा,** छ.ग. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ नवा रायपुर अटल नगर नियमानुसार कार्यवाही करें ।
4. **सर्व श्री/श्रीमती/कु.** -- छ.ग. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ नवा रायपुर अटल नगर की ओर पालनार्थ ।

सही/-
संयुक्त आयुक्त एवं सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर

प्रदर्श. 02

CHHATTISGARH HOUSING BOARD, CAPITAL PROJECT DIVISION, NAVA RAIPUR ATAL NAGAR

(PWD FORM NO. 136)

S NO.	Name of Work	NO. of Subsidiary Structure	No. of Building	Source of Funds From Which Purchased or Created	Fund from Which maintained	Date of Creation or Purchased (if Purchased) enter also date of creation nearly as on be accepted	Recorded value	By whom & How occupied	Foundation	wall (A) plinth(B) Super Structure	Floor	Roof & Covering	NO. of Stories	Super Biult Up Area	Biult Up Area	Cubic Content	Class of Buildings in terms of Para of the PWD Manaual	Annual Maintanance	Land	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Construction of Residetial Complex for Chhattisgarh Rajya Laghu Vanopaj Sahkari Sangh Maryadit at Sector-26, Nava Raipur Atal Nagar.	1) 2BHK Flats Block No. 01 & 02 (02 No. Block)	1) 2BHK Type Flats (48 Nos.)	Deposite Work for CG Rajya Laghu Vanopaj Sahkari Sangh Maryadit.	Maintained by CG Rajya Laghu Vanopaj Sahkari Sangh Maryadit	CG Rajya Laghu Vanopaj Sahkari Sangh Maryadit, Raipur vide L.No. /2020/294 Date 27.08.2020	-	By Employe e of CG Rajya Laghu Vanopaj Sahkari Sangh Maryadit	RCC Coloum Footing	First Class Fly Ash Bricks	Vitrified tiles in all rooms and ceramic Tiles in Toilets & Balcony	RCC Slab	(S+6)	1) 2BHK Flats 104.17 Sqm Each Flat 5000.16 Sqm Total Flats	1) 2BHK Flats 81.59 Sqm Each Flat 3916.32 Sqm Total Flats	1) 2BHK Flats 269.25 cum Each Flat 12924.00 cum Total Flats	Class - 1	-	On Lease to CG Rajya Laghu Vanopaj Sahkari Sangh Maryadit from Nava Raipur Atal Nagar Vikas Pradhikaran	
		2) 3BHK Flat Block No. 03 (01 No. Block)	2) 3BHK Type Flat (24 Nos.)								Vitrified tiles in all rooms and ceramic Tiles in Toilets & Balcony			2) 3BHK Flats 140.75 Sqm Each Flat 3378.00 Sqm Total Flats	2) 3BHK Flats 114.40 Sqm Each Flat 2745.60 Sqm Total Flats	2) 3BHK Flats 377.52 cum Each Flat 9060.48 cum Total Flats				

Handed Over By

Taken Over BY

Assistant Engineer,
Chhattisgarh Housing Board,
Capital Project Division, Nava Raipur Atal Nagar

Executive Engineer,
Chhattisgarh Housing Board,
Capital Project Division, Nava Raipur Atal Nagar

7. **आवास आबंटन के लिए पात्र कर्मचारियों की सूची** :- आवास आबंटन हेतु पात्र सेवायुक्त की सूची इस प्रकार है :-

1. श्री अंगद प्रसाद तिवारी, निज सचिव - इ श्रेणी

आवास आबंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अन्य कर्मचारियों के पांचवा वेतनमान के अनुरूप पात्रता श्रेणी के आवास, संघ के पास उपलब्ध नहीं होने के कारण आवास आबंटन समिति उनको आवास आबंटन की अनुशंसा नहीं करती हैं । परन्तु संघ के पास उपलब्ध आवास को सेवायुक्तों को आबंटित नहीं किए जाने से संघ द्वारा आवास क्रय करने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी । अतः सक्षम प्राधिकारी पात्रता श्रेणी से उच्च श्रेणी के आवास को आवेदित सेवायुक्तों को आबंटन हेतु विचार कर सकती है ।

8. **आवास आबंटन की शर्तो का निर्धारण** :- आवास आबंटन हेतु आवास आबंटन नियम 2000 के नियम 6 (7) एवं नियम 10 (8) (ख) तथा संघ की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए आवास आबंटन की शर्तें तथा प्रारूप परिशिष्ट -1 के अनुसार अनुशंसित की जाती है ।

9. **लायसेंस फीस का निर्धारण** :- आवास आबंटन के नियमानुसार संघ के आवास का निम्नानुसार लायसेंस फीस का निर्धारण करने की अनुशंसा की जाती है :-

क्रमांक	संघ के आवास का क्षेत्रफल (वर्गफीट)	आवास का निकटतम टाइप	आवास आबंटन नियम 2000 के नियम 45 ए के अधीन	आवास आबंटन नियम 2000 के नियम 45 बी के अधीन
1	2	3		
1	1735.91	D	425/-	850/-
2	1129.26	E	350/-	700/-
3	1097.2	E	350/-	700/-
4	996.8	F	210/-	425/-

(यू.बी.एस.राठिया)
संयोजक सदस्य

(अनिल कुमार साहू)
सदस्य

(डॉ. बी.पी.नोन्हारे)
अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ शासन के आदेश

छतीसगढ़ शासन

गृह विभाग

डी. के. एस भव्रन, मंत्रालय, रायपुर

आदेश

रायपुर, दिनाक 16 अक्टूबर, 2008

क्रमांक एफ- 6-23/गृह- दो/2008- शासकीय आवास आवंटन नियम, 2000 परिशिष्ट चार के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक एफ-1-138/दो-ए (3) भोपाल दिनाक 24 जून, 2000 की कंडिका (2) में सशोधन करते हुए राज्य शासन एतद द्वारा रायपुर स्थित सामान्य पुल के शासकीय आवासों का बाजार दर पर मासिक किराया निम्नानुसार निर्धारित करता है :-

क्र.	श्रेणी	बाजार दर पर मासिक किराया वर्तमान दर	बाजार दर पर संशोधित- मासिक किराया
1.	B	8500	25,500
2.	C	8150	24,450
3.	D	67750	20,250
4.	E	4100	12300
5.	F	2650	7950
6.	G	1800	5400
7.	H	1450	4350
8.	I	900	2700

(ए.आर. दिव्य)
उप सचिव

- - - - -

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
नवा रायपुर में कार्यरत अधिकारी

अ.क्र.	अधिकारियों का नाम	संघ के पदनाम	मूल विभाग का नाम
1	2	3	4
1	श्री अनिल कुमार साहू, भारतीय वन सेवा	प्रबंध संचालक (प्रधान मुख्य वन संरक्षक)	छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
2	श्री मनिवासगन एस., भारतीय वन सेवा	महाप्रबंधक / कार्यकारी संचालक (मुख्य वन संरक्षक)	छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
3	सुश्री किरन गुप्ता, राज्य सिविल सेवा	सचिव (संयुक्त आयुक्त पंजीयक)	छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग
4	श्री ताम्रध्वज साहू, राज्य सिविल सेवा	प्रबंधक (वित्त) (लेखाधिकारी)	छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
5	श्री सुबीर कुमार दत्ता	महाप्रबंधक (प्रणाली)	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ
6	श्री शशांक साहू	प्रबंधक (लेखा)	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ
7	श्री के.के. धनगर	स्टॉफ ऑफिसर	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ
8	श्रीमती काजल साहू	प्रोग्रामर	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ
9	श्री अक्षय मनु	उप प्रबंधक आंतरिक अंकेक्षण	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ

*****

प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन

काजू प्रसंस्करण

माहुल दोना-पत्तल निर्माण

इमली प्रसंस्करण

महुआ प्रसंस्करण

अमचूर निर्माण

मिलेट लड्डू निर्माण

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित

वन धन भवन, सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

Email : support@chhattisgarhherbal.com | Website : www.chhattisgarhherbal.com